तृतीय माला, खण्ड २३—अंक १७

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३
१९ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या ४७५ से ४८१ और ४८३ . . .	१९८५—२००६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४८२ और ४८४ से ५०० . .	२००६—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३७ से १४४६ . . .	२०१६—६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२०६४–६५,२१०९–१०
पूर्वी रेलवे की लिलुआ वर्कशाप में तालाबन्दी	
तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२०६५—२१११
श्री अ० प्र० जैन	२०६५-६६
श्री दाजी	२०६६—६८
श्री कृ० चं० पंत	२०६८—७०
श्रीमती विजय राजे	२०७०–७१
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२०७१–७६
श्री मणियंगाडन	२०७६–७७
श्री पु० र० पटेल	२०७७–७८
श्री उमानाथ	२०७८–७९
श्री अब्दुलगनी गौनी	२०७९–८३
श्री मुरारका	२०८३—८५
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२०८५
डा० सरोजिनी महिषि	२०८५—८७
श्री रघुनाथ सिंह	२०८७—९१
श्री खाडिलकर	२०९१—९३
श्री मौर्य	२०९३—९७
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	२०९७—२१०९
श्री प्र० चं० बरुआ	२११०–११
कार्य मंत्रणा समिति . . .	२१११
बाईसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	२११२—१७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

१० दिसम्बर, १९६३ । १९ अग्रहायण, १८८५

का

शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ २००७, अन्तिम पंक्ति, "३ दिसम्बर, १९६६
पर "३ सितम्बर, १९६३" पढ़िये ।

संद
२. पृष्ठ २०१८, अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३,
"श्री म० ना० स्वामी" के स्थान पर "श्री म० प

३. पृष्ठ २०१९, अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलि
"(ख) जी, हाँ ।"

विषय सूची

पृष्ठ २०२०, अतारांकित प्रश्न संख्या २३४८, सदस्या का नाम "श्री विजयराजे सिंधिया" के स्थान पर "श्रीमती विजयराजे सिंधिया" पढ़िये ।

पृष्ठ २०६२, अतारांकित प्रश्न संख्या २४४३, सदस्य का नाम "श्री यमुना प्रसाद मंडक" के स्थान पर "श्री यमुना प्रसाद मंडल" पढ़िये ।

पृष्ठ २९९९, नीचे से चौथी पंक्ति, सदस्य का नाम "श्री राजे" के स्थान पर "श्री राने" पढ़िये ।

लोक-सभा

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३

१९ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मालाबार में हवाई अड्डा

+

†*४७५. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री कोया :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री मणियंगाडन :

क्या परिवहन मंत्री १३ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालाबार क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिए कोई उपयुक्त स्थान चुनने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा हवाई अड्डा बनाने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान चुना गया है तथा निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). मामले की अभी जांच की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी देर क्यों की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : देर की वजह यह हुई कि कोई पांच छः बरस पहले एक मुकाम का जो कालीकट से पांच छः मील दूर था इंतखाब किया गया था। लेकिन वहां धान की काश्त अच्छी होती थी और वहां कई छोटे छोटे कस्बे थे। लोग वहां रहते थे। वहां से एक रिप्रिजेंटेशन आया कि इनको वहां से हटाया न जाए। चंद मैम्बर्ज पार्लिमैंट ने भी इस पर इसरार किया। इसलिए उस वक्त इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर कोई दूसरे मुकाम की कोशिश की जा रही है कि अच्छी जगह जो मौजूं हो हवाई जहाजों के लिए मिले। लेकिन अब तक पता नहीं चला है। लेकिन कोशिश की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : अंदाजन कितना समय और लग जायेगा आपको तय करने में?

श्री मुहीउद्दीन : मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कितना समय लगेगा। लेकिन अगर उसी मुकाम को फिर दुबारा हम हासिल करेंगे जो इंतखाब किया गया था, उस में तो काफी वक्त लगेगा उसको तामीर करने में।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** कोजीकोड या कालीकट क्योंकि एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र हैं और यह प्रस्ताव पिछले पांच वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है, सरकार इस हवाई अड्डे को जल्दी से बनाने के लिये क्या उपाय करेगी?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसमें यथासंभव शीघ्रता की जायेगी परन्तु समस्या उपयुक्त स्थान चुनने की है। कुछेक स्थानों को देखा जा रहा है। उदाहरणार्थ, एक छोटा धावन-मार्ग वहां बनाया गया था। परन्तु आई० ए० सी० के लिये इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है क्योंकि इसे बढ़ा कर ५,४०० फुट नहीं किया जा सकता जो फाकर जैसे विमान के लिये आवश्यक है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या यह विलम्ब इसलिये हुआ है कि असैनिक उड्डयन विभाग के पास मालाबार के भौगोलिक ज्ञान की कमी है या केरल सरकार की ओर से कोई अड़चन पड़ रही है?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी नहीं, केरल सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं है। मैंने वास्तविक तथ्य बता दिये हैं कि पांच वर्ष पहले एक स्थान चुना गया था। एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और हम ने देखा कि उसमें कुछ सच्चाई थी। इसीलिये वह स्थान छोड़ दिया गया। अब शायद वही स्थान फिर लेना पड़े।

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** भौगोलिक ज्ञान के बारे में क्या मैं इतना और जोड़ सकता हूं कि उस इलाके में बहुत ही घनी आबादी है। जहां भी हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं कोई न कोई कठिनाई बीच में आ जाती है। परन्तु केरल सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी स्थान हमने चुन लिया है या चुनना चाहते हैं वह उसे न केवल अर्जित करने के लिए बल्कि जिन लोगों को वहां से हटना पड़ेगा उन्हें पुनः बसाने के लिये भी सभी उपाय करेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** छः वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ है?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० व० राघवन : क्या हवाई अड्डे के स्थान के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने भूमि को अर्जित करना भी स्वीकार कर लिया है ?

†श्री मुहीउद्दीन : वह चुनी गई भूमि अर्जित करने को तैयार है। मैंने बताया है कि दो या तीन स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए हैं। उनमें से चेरावन्नूर एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जो सर्वोत्तम रहेगा।

श्री कछवाय : जिस प्रकार से इस हवाई अड्डे को बनाने में इतनी देर लग रही है, उसी तरह से देश में कितने हवाई अड्डे बनाने हैं जिन में इस तरह से देर लग रही है ?

श्री मुहीउद्दीन : इस हवाई अड्डे को बनाने का जहां तक सवाल है, इसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया है कि क्या वजह है देरी की। जो बात मैंने कही है और मैम्बर्ज पार्लिमेंट की तरफ से जो कुछ कहा गया था उसकी वजह से यह चीज मुल्तवी हो गई थी। चूंकि फिर इसरार हो रहा है इसलिए बनाने का सवाल है। रहा यह कि कहां कहां बन रहे हैं इसका जवाब देना तो जरा मुश्किल है।

†श्री कपूर सिंह : इस तरह के हवाई अड्डे पर सामान्यतः कितनी लागत आती है और इस विशेष हवाई अड्डे के बनाये जाने का विशेष कारण क्या है ?

†श्री मुहीउद्दीन : वहां यातायात बढ़ता जा रहा है और आई० ए० सी० वाले भी चाहते हैं कि वहां एक हवाई अड्डा होना चाहिये क्योंकि उससे यातायात के विकास की बड़ी संभावनायें हैं।

†श्री कपूर सिंह : इस तरह के हवाई अड्डे पर कितनी लागत आती है ?

†श्री मुहीउद्दीन : इस स्थान का प्राक्कलन बहुत ज्यादा है ; यह लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हो सकता है।

दिल्ली परिवहन

+

†*४७६. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री श्री० प्र० यादव :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रणंजय सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नागरिक परिषद् का एक शिष्टमंडल दिल्ली परिवहन के कार्यकरण की जांच करवाने के हेतु सरकार से अनुरोध करने के लिए सितम्बर, १६६३ के अन्त में अथवा अक्तूबर, १६६३ के आरम्भ में परिवहन मंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल ने ऐसी कौन सी मुख्य बातें उठाई थीं जिनकी जांच की आवश्यकता थी ; और

(ग) उनकी मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६१ / ६३]**

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले एक वर्ष में दिल्ली परिवहन को लगभग २ करोड़ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने जा रही है ? यदि हां, तो जांच समिति में कौन कौन होंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली परिवहन को पिछले दो वर्षों में कुछ नुकसान हुआ अवश्य था लेकिन कितना हुआ यह मैं पूर्व सूचना के बिना नहीं बता सकता।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, दिल्ली परिवहन के संचालन का सारा भार निगम पर है। परन्तु निगम ने अपनी ही ओर से दो या तीन समितियां नियुक्त की हैं, एक बसों के संधारण तथा संचालन आदि में बचत का सुझाव देने के लिए, और दूसरी वस्तु-सूची नियंत्रण के लिये ; कार्य अध्ययन के बारे में तीसरा अध्ययन उत्पादिकता परिषद् को सौंपा गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या दिल्ली परिवहन बहुत सी बसों को दोषयुक्त पोषण के कारण नहीं चला सका ? यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : पोषण के बारे में कुछ शिकायतें हैं और कभी कभी—जैसा कि दिल्ली परिवहन ने मुझे सूचित किया है—तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों के बारे में भी शिकायतें आई हैं क्योंकि एक या दो मामलों में कुछ अज्ञात लोगों ने पैट्रोल की टंकियों में लोहे के टुकड़े डाल दिये थे। यह सुनिश्चित करने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं कि पोषण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मिस्त्रियों या इंजीनियरों पर निर्धारित किया जाए तथा उन ड्राइवरों पर भी जो सुबह बसों को ले जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की कई बसें बहुत पुरानी और टूटी-फूटी हैं जिससे कि अनेक दुर्घटनायें हो जाती हैं तथा जो धुआं उनसे निकलता है वह यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सच नहीं है कि सारी बसें पुरानी हो गई हैं। उनके पास ८५५ बसें हैं। उनके अतिरिक्त वे और भी लेने वाले हैं। उन्होंने दो दोमंजिला बसें भी चलाई हैं। इनमें से अधिकतर काफी अच्छी हैं। केवल कुछ प्रतिशत बसों को ही पुराना कहा जा सकता है। परन्तु उनकी भी देखरेख की जाती है।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : डी० टी० यू० के पास जो बसिस की कमी है, उसकी वजह से यात्रियों को बहुत देर तक हर एक जगह खड़े रहना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कमी कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री राज बहादुर : इस में कोई शक नहीं कि कुछ कमी है और उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। आपको जैसे मालूम है तीसरे प्लान में ३ २ करोड़ पयों का प्राविज़न है। एक सब कमिटी बनाई गई थी डी० टी० यू० के बारे में जिस ने तजवीज की है कि २०० बसें बाहर से ला कर और जोड़ी जायें। ८५५ बसें हैं, और जैसा मैं ने कहा कोई १५ या २० बसें और आने वाली हैं। इस के अलावा २० बसें यू० पी० गवर्नमेंट की और २५ बसें पंजाब की, यानी कुल ४५ बसें और जोड़ी गई हैं। डी० यू० का कहना है कि उन की मौजूदा जरूरतों के लिये वह करीब करीब काफी हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दिल्ली परिवहन में कार्यदक्षता क्योंकि सदा बनी रहती है और उसका कोई इलाज भी नहीं, सरकार उसे अपने हाथ में लेकर अधिक कार्यकुशलता से क्यों नहीं चलाती ?

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली परिवहन निगम का अंग है। निगम पूर्णतः निर्वाचित निकाय है। अपने कार्यकरण तथा संचालन के लिये दिल्ली परिवहन निगम के प्रति उत्तरदायी है। दिल्ली के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसकी पूरी तरह से छान बीन करते हैं। यह सुझाव देना, बल्कि सोचना भी, कि इसे भारत सरकार संभाल ले पीछे की ओर जाना है। दिल्ली परिवहन की कुछ कठिनाइयां दायागत है और वह उनका सामना करने का प्रयास कर रहा है।

†**श्री हेडा** : पीछे एक दिन मंत्री जी ने हमें बताया था कि अधिकतर बसों में से धुआं नहीं निकलता लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्येक दस बसों में से नौ धुआं छोड़ती हैं। क्या मंत्री महोदय कुछेक बसों को देखने का कष्ट करेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : वह जानकारी आपको दी गई थी और मैं समझता हूं कि वह ठीक थी। मैं अपनी याद से ही बता रहा हूं क्योंकि अब वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है : ८५५ बसों में से ४५० या उससे भी ज्यादा "ए" श्रेणी में हैं जिनसे कोई धुआं नहीं निकलता। लगभग २०० या उससे अधिक बसें "बी" श्रेणी में हैं जो थोड़ा धुआं छोड़ती हैं। लगभग ८० या १०० बसें "सी" श्रेणी में हैं जो कुछ क्षतिग्रस्त हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि ४५ बसें बाहर से अर्थात् यू० पी० और जाब से ला कर जोड़ी गई हैं। जहां तक पब्लिक की परेशानी का सम्बन्ध है, उसे कभी कभी

---

†मूल अंग्रेजी में

तो घंटे घंटे और दो दो घंटे सड़कों पर खड़े रहना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस परेशानी को दूर करने के लिये क्या और बसें दूसरे राज्यों से ली जायेंगी।

श्री राज बहादुर : जी हां, बराबर। इस वक्त की जो आवश्यकता है उसे देखते हुए बसों को बाहर से ला कर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ सेक्टर्स में हो सकता है कि लोगों को घंटे घंटे भर खड़ा रहना पड़ता हो लेकिन कुछ सेक्टर्स में काफी जल्दी बसें आती हैं।

श्री बड़े : अभी मंत्री जी ने कहा कि दो मंजिलों की बसें शुरू की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी कितनी दो मंजिली बसें हैं और कितनी और जल्दी आने वाली हैं।

श्री राज बहादुर : मेरे ख्याल से ३ हैं।

कुछ माननीय सदस्य : चार हैं।

श्री बड़े : कितनी और आप लाने वाले हैं।

श्री राज बहादुर : यह मुझे पता नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो सुझाव दिया है कि रूरल रूट्स प्राइवेट कम्पनियों को दी जायें, इस के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है।

श्री राज बहादुर : इस वक्त जो डी० टी० यू० की **सो काल्ड रूरल रूट्स** हैं वह हैं दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गाजियाबाद—दिल्ली गाजियाबाद मुझे पता नहीं है कि चलती भी है या नहीं . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं चलतीं।

श्री राज बहादुर : और दिल्ली जयपुर। दिल्ली फरीदाबाद रूट के लिये तो कहा जा सकता है कि बहुत से लोग फरीदाबाद से यहां आते हैं और दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं इस लिये डी० टी० यू० की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिये। जहां तक दिल्ली जयपुर का सवाल है उस में यह है कि इस रूट पर प्राइवेट बसों को चलाने के लिये हम को दूसरी स्टेट्स को जाजत देनी पड़ती है कि उन की बसें यहां आयें। इसलिये उन के मुकाबले में यहां की बसें जरूर जायेंगी। इस लिये जरा हम को और चांस मिलता है बाहर की रूट्स पर जाने का। जब यहां बाहर की बसें लाने की हम इजाजत देते हैं तो डी० टी० यू० को भी हक है कि उस की बसें बाहर जायें। मैं समझता हूं कि यह जायज है।

श्री बृज राज सिंह : मिनिस्टर महोदय जब इस तरह के अनिश्चित इन्फार्मेशन देते हैं और किसी मामले में अपनी नावाकफियत दिखलाते हैं, जैसे कि अभी कहा कि पता नहीं जाती भी है या नहीं जाती हैं, तो यह एक बड़े डिस्ग्रेस की बात है। हाउस को कहना चाहिये कि यहां इस प्रकार के जवाब न दिये जायें।

श्री राज बहादुर : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आप को इत्मीनान दिलाना चाहूंगा कि मुझ से जो इन्फार्मेशन मांगी जा रही है वह सवाल से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं ने जबानी, अपनी याददाश्त से उस का जवाब दिया है। मुझ अफसोस है कि इस पर ऐसा एतराज किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन के प्रशासन में बहुत सी कमियों के कारण कुछ बड़े बड़े गैर-सरकारी बस-मालिक सरकार पर ज़ोर डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकारी बसों के स्थान पर गैर-सरकारी बसें चलने दी जायें ?

†**श्री रंगा** : वे हमारी अधिक अच्छी सेवा करेंगे ।

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली परिवहन में इस तरह का बड़ा भारी भाव है । यद्यपि कुछ शिकायतें हो सकती हैं परन्तु यह भूल नहीं जाना चाहिये कि कुल मिला कर दिल्ली परिवहन बहुत से क्षेत्रों में कुशल सेवा कर रहा है । उनकी अपनी कठिनाइयां हैं । जैसा कि मैंने कहा, कुछ कठिनाइयां उन्हें भूतपूर्व प्रशासन से विरासत में मिली हैं जिन्हें वे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु दिल्ली परिवहन प्रबन्ध तथा सेवा को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ।

दुग्ध परिरक्षण

†*४७७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा ताज़े दूध का उसकी प्राकृतिक अवस्था में ही परिरक्षण करने की एक नई प्रक्रिया की खोज की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) मीर अमजद अली काज़मी नामक एक व्यक्ति ने दूध के परिरक्षण की प्रक्रिया के लिये एकस्व लिया था जो १४ मई, १९५५ को एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । तथापि नवीकरण शुल्क न देने के कारण उक्त एकस्व १८ अक्तूबर, १९५९ को समाप्त हो गया है ।

(ख) जी नहीं, एकस्व प्राप्त करने वाले से सम्पर्क स्थापित करन के प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हो पाये । लगता है कि श्री काज़मी अब इस देश में नहीं हैं और अमरीका चले गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता कि क्या वैज्ञानिक द्वारा किये गये दावे की एकस्व प्राधिकारियों ने जांच की थी ?

†**श्री शिन्दे** : निस्सन्देह, एकस्व लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना के ब्योरे की जांच करने के बाद ही एकस्व दिया जाता है । इस मामले में जो योजना भेजी गई थी उसकी युक्तियुक्त जांच की गई थी और इसे आज़माना संगत समझ गया था ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तरीके को जानने का कष्ट करेगी ताकि इसे भारत में इस्तेमाल किया जा सके ?

†**श्री शिन्दे** : तरीका हमारे पास है और यदि कुछ दुग्धशालायें उसे अपनाना चाहें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । इसके विपरीत, सरकार तो उन दुग्धशालाओं की सहायता करने का प्रयास करेगी जो इस योजना को अपनाना चाहें ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार इस योजना को अपनाने जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: सच तो यह है कि सरकार एकस्व प्राप्त करने वाले से सम्पर्क स्थापित करना चाहती थी । उन्हें ढूंढ़ना संभव नहीं था। वह देश से बाहर चले गये हैं । जहां तक एकस्व का सम्बन्ध है, सम्बन्धित अधिकारी के सामने एक विस्तृत योजना रखी गई है। मेरे पास उसकी एक प्रति है परन्तु यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो प्रति उन्हें दे दी जाए ।

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां, वह दी जा सकती है ।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के एक वैज्ञानिक ने किसी अवस्था पर दुग्ध परिरक्षण की इस प्रक्रिया का परीक्षण किया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : तथ्य यह है कि यह कोई अधिक उत्साहवर्द्धक प्रतीत नहीं होती। यह बहुत जटिल प्रक्रिया है और हम भी इसके परिणामों के बारे में निश्चित नहीं हैं ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : पिछले उत्तर से लगता है कि सरकार इस प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं है तो फिर इस एकस्वी की खोज क्यों की गई ? इसे छोड़ क्यों न दिया जाए और देश को बता दिया जाए कि यह व्यर्थ है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सच तो यह है कि हमने इसे लगभग छोड़ ही दिया है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : दूध के परिरक्षण के समय रोगाणुओं की संख्या क्या होगी, इसकी गंध कैसी होगी तथा क्या इसकी किस्म पूर्णतः ठीक होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार सदन को स प्रक्रिया के सिद्धांत के बारे में बताने की स्थिति में है तथा लागत और अन्य बातों में इसमें तथा सामान्य पास्चुरीकरण प्रक्रियाओं में क्या अन्तर है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह एक प्रकार की निर्वात प्रक्रिया है। हम थरमसों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तथ्य यह है कि इससे कुछ समय के लिये परिरक्षण होता है।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा**: मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जो कहते हैं कि दूध की जांच की जा रही है तो वह जांच विदेशियों के द्वारा की जा रही है या हमारे यहां के वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है ?

†**श्री शिन्दे** : भारत के वैज्ञानिक द्वारा की जा रही है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रक्रिया का परीक्षण केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था के वैज्ञानकों द्वारा किया गया था ।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं नहीं जानता कि इसकी वहां जांच की गई है या नहीं । सच तो यह है कि हम स्वयं उसकी जांच करना चाहते थे और इसीलिए हम एकस्वी को मिलना चाहते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में ऋणग्रस्तता

+

†*४७८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऋणग्रस्तता बढ़ी है अथवा घटी है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). जनगणना कार्यक्रम के अन्तर्गत महापंजीकार तथा जनगणना आयुक्त द्वारा देश के कुछ चुने हुए गावों में एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों में जिन विषयों का अध्ययन किया जा रहा है उनमें एक गांवों में ऋणग्रस्तता है। तथापि, इन सवक्षणों का योजनावधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋण, उधार मांगने, उधार वापिस लौटाने तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अन्य महत्व-पूर्ण पहलुओं के बारे में विश्वसनीय प्राक्कलन प्राप्त करने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक ने भी १९६१-१९६२ में एक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा है कि जब इन परिणामों का विश्लेषण किया जायेगा तो ऋणग्रस्तता की स्थिति के बारे में कुछ स्थूल प्रवृत्तियों का पता चलेगा।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सर्वेक्षण के दौरान सरकार के ध्यान में यह बात आई थी कि ऋणग्रस्तता के कारण कुछ लोग अपनी सारी सम्पत्ति खो बैठे हैं ?

†श्री श्यामधर मिश्र : परिणाम हमारे पास नहीं हैं। ग्रामीण उधार सर्वेक्षण का भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

†श्री सुबोध हंसदा : मंत्री जी ने कहा है कि यह योजना सर्वेक्षण का सामान्य भाग नहीं है। उन अविकसित क्षेत्रों के बारे में उनका क्या विचार है जहां पर विशेष बहुप्रयोजनीय खंड हैं और बहुत से आदिवासी लोग हैं ? सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

†श्री श्यामधर मिश्र : यह विशेष प्रश्न गांवों में सामान्य ऋणग्रस्तता के बारे में है। किसी विशेष स्थान पर कृषकों में अधिक ऋणग्रस्तता हो सकती है। परन्तु मेरा कहना है कि ऋणग्रस्तता का अर्थ घोर निर्धनता नहीं है ; कभी कभी इसका यह अर्थ हो सकता है कि ऋण लेकर उत्पादन की आवश्यक-ताएं पूरी की जाती हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इस समय इसमें वृद्धि हुई है या कमी आई है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आदिवासियों के बारे में ढेबर आयोग के प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था ?

†श्री श्यामधर मिश्र : मैं नहीं कह सकता।

†श्री बालकृष्णन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सर्वेक्षण में पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों की ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक दशा का अध्ययन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जनगणना आयुक्त के सर्वेक्षण में लगभग सभी राज्यों के गांव आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उधार सर्वेक्षण भी पिछले ४–५ वर्षों से इस विषय की जांच कर रहा है। एक ग्रामीण ऋण विनियोजन सर्वेक्षण है। आकड़ों का विश्लेषण हो रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी हुआ था। इन सभी के परिणाम अभी मिलने हैं और जब वे हमारे पास आयेंगे तो हम कुछ बता सकेंगे ।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार** : क्या यह सर्वेक्षण एक राज्य के कुछ गावों तक सीमित है अथवा प्रत्येक राज्य के थोड़े थोड़े गांव इसके अन्तर्गत आयेंगे क्योंकि गोखाला समिति के प्रतिवेदन के बाद देश के गांवों में ऋणग्रस्तता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : भारत के रिजर्व बैंक के ग्रामीण ऋण विनियोजन सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के कुछेक गावों में होगा। जनगणना आयुक्त द्वारा भी प्रत्येक राज्य के थोड़े थोड़े गावों में सर्वेक्षण किया जायेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण केवल कुछेक राज्यों के कुछ विशेष गावों के लिये था।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार इस चीज़ के कुछ आंकड़े पेश कर सकती है कि उसने किसानों को कुल कितना कर्ज़ा दिया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : अगर माननीय सदस्य का मतलब सहकारी कर्जे से है, तो पिछले साल किसानों को २६० करोड़ रुपया दिया गया। यह तख्मीना है कि किसानों को सालाना १२०० करोड़ रुपये के कर्ज़े की आवश्यकता है। सन् १९५१ में रूरल क्रेडिट सर्वे ने यह अनुमान लगाया था कि किसानों को सालाना साड़े सात सौ करोड़ के कर्जे की आवश्यकता है। इस समय कितनी है यह नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत का रिजर्व बैंक भी नमूना सर्वेक्षण करता है। पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था और उसका क्या परिणाम निकला था ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने कहा था कि यह १९६१–६२ में शुरू हुआ ; उन्होंने आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रतिवेदनों का क्योंकि अन्तिम रूप से परीक्षण नहीं किया गया है इसलिये मैं निष्कर्षों के बारे में नहीं पूछ रहा। परन्तु सरकार को विभिन्न प्रवृत्तियों का अवश्य पता होना चाहिये क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रवृत्तियां एक दूसरे से कहां तक मेल खाती हैं और कहां तक परस्पर विरोधी हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** :इस सम्बन्ध में मैं रिजर्व बैंक के ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के बारे में कुछ पढ़ कर सुना देता हूं :

रिजर्व बैंक प्रति वर्ष सीमित ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण करता आ रहा है जो एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। १९५७–६० की अवधि में कुछ चुने हुए गांवों में किये गए चार सर्वेक्षणों से कतिपय स्थूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। जिन २७ जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से १४ जिलों में एक निश्चित महीने तक (मई-जून) का ऋण तथा निश्चित महीने से पहले के एक वर्ष में लिया गया उधार भी १९५१–५२ से कम था। १९ जिलों में प्रति कृषक परिवार ऋण भी १९५१–५२ से कम था।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल ही में दिल्ली के कुछ गांवों में भी सर्वेक्षण हुआ था। इनमें से दो प्रतिवदन प्रकाशित कर दिये गए हैं। ये भलसुआ जंगीरपुर तथा सनोध गांवों के बारे में हैं। जनगणना कार्यवाही अधीक्षक, दिल्ली ने कहा है कि उनके पास इन गांवों में ऋणग्रस्तता के बारे में पिछले कोई अभिलेख नहीं थे और यह कहना संभव नहीं है कि पिछले लगभग दस वर्षों में ऋणग्रस्तता बढ़ी है या कम हुई है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री काशीराम गुप्त : मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी कि कर्जदारी गरीबी की निशानी नहीं है। जो सेंसस लिया जा रहा है, क्या उसमें इस बात की जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जाएगा कि जो उन पर कर्जा है उससे ज्यादा मालियत उनके पास है और यदि यह जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो कैसे कहेंगे कि गरीबी नहीं है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जो रूरल क्रेडिट सर्वे और रूरल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट सर्वे किया जा रहा है, और जिनकी रिपोर्ट आने को है, उसमें यह पता चलाने की चेष्टा करेंगे कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसमें से कितना प्रोडक्शन क्रेडिट है और कितना कंजम्पशन क्रेडिट है। उनकी रिपोर्ट आने पर इस का इंडीकेशन मिलेगा।

श्री राम सेवक यादव : अभी मंत्री जी ने बताया कि कुछ इलाके हो सकते हैं जिन में कि गरीबी बढ़ी हो। मैं जानना चाहता हूं कि वे इलाके उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के किन-किन प्रदेशों में हैं जहां गरीबी बढ़ी है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैंने तो यह नहीं बताया, या शायद मैं भूल करता हूं। मैंने यह नहीं बताया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गरीबी बढ़ी है। लेकिन यह सही है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें गरीबी है और वे हर प्रदेश में हो सकते हैं। जहां हर प्रदेश में अमीरी है वहां हर प्रदेश में गरीबी की पाकिट्स भी हैं, लोग जानते हैं कि किन इलाकों में अमीरी है और किन में गरीबी है।

श्री विश्राम साद : यहां पर जो शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की गयी और जिस पर बहस हुई थी, उसमें बताया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कर्जे के बदले में दो-दो और तीन तीन पीढ़ियों तक साहूकार के यहां मुफ्त में काम करते हैं। क्या इस ओर सरकार का ध्यान गया है और उनमें से कितने प्रतिशत को सहायता दी गयी है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह बात सही है कि कुछ किसान, कुछ शिड्यूल्ड कास्ट के लोग और कुछ भूमि हीन मजदूर लोग ऐसे हैं जिन पर पुश्तदर पुश्त कर्जा चला आ रहा है। हम इन लोगों को भी सहकारिता द्वारा कर्जे देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए बैंकों को और सोसाइटीज़ को गारन्टी फंड दिया जाता है ताकि ऐसे लोगों को कर्ज़ दिया जा सके। यह स्कीम है। मैं नहीं कह सकता कि अभी यह कहां तक सफल हुई है।

श्री कछवाय : मैं जानना चहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि किसानों को सरकार द्वारा जो कर्जा मिलता है उसके लिये उनको सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं कि रिश्वत कौन देता है अगर कोई खास केस बताया जाय तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि कोआपरेटिव बैंक किसानों को साढ़े सात परसेंट सूद पर कर्जा देता है जबकि रिजर्व बैंक ग्रौफ इंडिया सिर्फ डेढ़ फ़ीसदी सूद पर कर्ज देता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : ठीक इसी तरह के एक सवाल का जवाब मैंने पिछली बार भी दिया था और वह यह कि यह भ्रम है कि रिजर्व बैंक का ही रुपया कोआपरेटिव को पूरा दिया जाता है। दरग्रसल रिजर्व बैंक के रुपये का कुछ ही हिस्सा दो परसेंट कंसेशनल फाइनेंस के रूप में दिया जाता है, बाकी कोआपरेटिव्ज़ खुद ग्रपना फाईनैन्स करती हैं। लेकिन बाजार के डिपाजिट की दर पांच परसेंट ग्रौर साढ़ पांच परसेंट कोग्रापरेटिव्ज़ को देना पड़ता है। यह सारा पूल किया जाता है ग्रौर सोसायटी लेविल पर, बैंक लेविल पर, एपैक्स बैंक लेविल पर ग्रौर डिस्ट्रिक्ट बैंक लेविल पर १ या ग्राधा परसैंट मुनाफ़ा देना पड़ता है। ६ परसेंट से लेकर साढ़े ९ परसेंट तक कज़ दिये जायेंगे लेकिन सरकार का ख्याल है कि ६ परसैंट से केवल ८ परसैंट तक होना चाहिए ग्रौर यह साढ़े ९ परसैंट की दर ग्रधिक है। इस की जांच हो रही है ग्रौर उस को कम करने की चेष्टा की जायेगी।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : इस बात को देखते हुए कि रिपोर्ट निकलने में देर लगेगी ग्रौर इस बीच जैसा कि समाचारों से पता चलता है, पश्चिम बंगाल में किसानों की ऋण-ग्रस्तता बराबर बढ़ती जा रही है, क्या उसे रोकने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं जिससे वे ग्रपनी छोटी छोटी जमीनें बेचने के लिए मजबूर न हों ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : कागजात से यह बात साबित नहीं होती । चार पूर्वी राज्यों में से पश्चिमी बंगाल में सहकारी ऋण सबसे कम है। यदि ऐसा कोई विशिष्ट क्षेत्र हो जिसमें वह बढ़ रहा हो तो मुझे नहीं मालूम।

†**श्री रंगा** : बीज, खाद साज-सामान ग्रादि खरीद कर किसानों को दिये गये ऋण के संबंध में उनकी ऋण भुगतान क्षमता के बारे में सरकार की जानकारी में क्या ग्रनुभव है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ग्राज सहकारी ऋणों के ग्रतरिक्त देय लगभग २४ या २५ प्रतिशत है जिसका ग्रर्थ यह है कि संपूर्ण देश में सालाना लगभग ७५ प्रतिशत भुगतान किया जाता है। कुछ राज्यों में ग्रतिरिक्त देय २५ प्रतिशत हो गया है जिसके कारण तत्सम्बन्धी स्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। कभी कभी उसे बढ़ाना होता है लेकिन उनके उपयोग के बारे में मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण किया गया है कि सरकारी ऋण न पहुंच पाने के कारण ऊंची दरों पर साहूकारों से ऋण लेने की वजह से ग्रामीण लोगों की ऋण ग्रस्तता कितनी है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ठीक इसी प्रश्न के संबंध में १९५४ में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५३–५४ तक केवल ३ प्रतिशत ऋण सहकारी समितियों के जरिये दिया गया ग्रर्थात् किसानों को दिये गये ७५० करोड़ रुपये में से सिर्फ ७ या ८ प्रतिशत सहकारी समितियों के जरिये दिया गया। पिछले वर्ष के ग्राखिर तक यह ग्रांकड़ा २६८ करोड़ रुपये तक ग्रा गया था।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणुका राय** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि साहूकारों ने कितने ऋण दिये हैं और ग्रामीणों की कितनी ऋण-ग्रस्तता ऊंचे मुनाफों पर साहूकारों द्वारा दिये गये कर्ज़ के कारण है। क्योंकि सरकारी ऋण समय पर उन तक पहुंच नहीं पाते।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सरकारी ऋण केवल तकावी ऋण है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसमें से कितना साहूकारों से आता है?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ५० प्रतिशत से अधिक साहूकारों से है।

†**डा० सरोजिनी महिषि** : विभिन्न अधिकरणों ने किस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया है और उनके कोई विचारणीय विषय हैं?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : उद्देश्य है तथ्य मालूम करना और किसानों की दशा सुधारने और अधिक ऋण देने के लिए काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं और सरकार के सामने उसे रखना।

दूषित मक्खन से घी बनाना

\+

*४७९. **श्री राम सेवक यादव** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री प० कुन्हन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र में काफी अधिक मूल्य का मक्खन घी और अन्य दुग्ध जन्य पदार्थ नष्ट हो गये थे और यदि हां, तो इनका मूल्य कितना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत सितम्बर में दुग्ध योजना केन्द्र में दूषित मक्खन से घी बनाया था जिससे दुर्गन्ध आती थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा घी तैयार करने के क्या कारण थे और क्या किसी पर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). सभा की पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–२०६२/६३।**]

श्री राम सेवक यादव : जो लोग जिम्मेदार पाये गये इस काम के लिये उन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शिन्दे** : उसकी जांच हो रही है। यदि किन्हीं विशेष व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि जब इस तरह का ख़राब घी तैयार हुआ जिससे कि बीमारी फैलने का भय था तो क्या वह खराब घी कब्जे में लिया गया और उसे बर्बाद कर दिया गया या यह कि उस ख़राब घी को बिकने दिया गया?

†**श्री शिन्दे** : दो विशेषज्ञों ने जांच की थी। नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के दो विशेषज्ञों को इस मामले की जांच करने के लिए बुलाया गया था। कई नमूनों की जांच के बाद यह पता लगा कि जो घी बरबाद किया गया उसमें मिलावट नहीं थी लेकिन उसका रंग खराब था और वह गलत जगह पर रखा गया था। ऐसी वस्तु रखने के लिए डीप-फ्रीज़ उपकरण आवश्यक है। १६६२ में उसके लिए आर्डर दिया गया था लेकिन वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमान है कि वह थोड़ ही समय में प्राप्त हो जायगा।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने वह कारण बताया कि स्टोरेज़ की व्यवस्था ठीक न होने के कारण खराब गया था और उस कारण वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया था तो उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कि इसको बनाया था ऐसे हानिकारक माल के इस्तेमाल न होने देने के लिए उन्होंने क्या पाबन्दी लगाई?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना से सप्लाई किये गये घी की किस्म के बारे में कुछ संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें मेरे पास पहुंची है। मैंने अपने संयुक्त सचिव को भंडार की स्थिति प्रत्यक्ष जाकर देखने और उसके बारे में बताने के लिए कहा था। मैंने भंडार की स्थिति असंतोषजनक पायी। वास्तव में २ डिगरी से ४ डिगरी सेन्टीग्रेट तापमान पर मक्खन रखा गया था जबकि उसे १०० सेन्टीग्रड स्थिति में रखना चाहिये। उसमें ज्यादा क्षार भी था लेकिन वह आग्मार्क स्टैण्डर्ड के अनुसार था। फिर भी मैंने यह तय किया कि चूंकि शिकायतें प्राप्त हुई और क्षार ज्यादा था, इसलिए उसे टिनों में दिल्ली दूध योजना के घी के तौर पर न बेचा जाय बल्कि तलने के लिए और बेकरीज़ के हाथ थोक बेच दिया जाये। उन्हें इसे इस्तेमाल करने में कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि आग्मार्क घी इस्तेमाल करते हैं और यह उस स्टेन्डर्ड के अनुरूप था। लेकिन जनता के सीधे उपभोग के लिए और बिक्री के लिए मैंने कहा था कि दिल्ली दुग्ध योजना के रूप में उसे न बेचा जाय और वह नहीं बेचा गया है।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि यह जो मक्खन सड़ गया था यह वहां के कर्मचारियों में असन्तोष होने से खराब गया क्योंकि असन्तोष होने के कारण वह मुस्तैदी से बराबर काम करते नहीं हैं और इस कारण वह मक्खन व घी सड़ गया और वह सड़ा हुआ घी पार्लियामेंट के मैम्बरों को बेचा गया और उसी क़ीमत पर बेचा गया जिस पर कि वह शुद्ध घी बेचते हैं?

†**श्री अ० म० थामस** : कर्मचारियों के असंतोष से उसका कोई संबंध नहीं है। मैं पहले सदन को बता चुका हूं कि भंडार रखने की स्थिति सन्तोषजनक थी और वह घी काफी देर तक वहां पड़ा रहा। चूंकि डीप-फ्रीज उपकरण उपलब्ध नहीं था इसलिए संतोषजनक स्थितियों में उसका भंडार नहीं रखा जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वस उसी कीमत पर संसद् सदस्यों को बेचा गया था। वह सड़ा हुआ था और उसे फेंक देना पड़ा। मैंने ३२ रु० दिये थे।

†**श्री अ० म० थामस** : उस घी से तैयार किया गया मक्खन संसद सदस्यों को नहीं बेचा गया था।

†**श्री बड़े** : वह बेचा गया था। मेरे पास नमूना है। मैं उसे दिखा सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री प्र० कु० घोष** : यदि दिल्ली दुग्ध योजना में डीप-फ्रीज की व्यवस्था नहीं है, तो मक्खन सड़ने से पहले उससे घी तैयार करने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गयी थी?

†**श्री अ० म० थामस** : उस कारखाने में रोजाना १ टन घी तैयार किया जा सकता है। बात तो यह है कि काफी मक्खन इकट्ठा हो गया था क्योंकि सर्दी में दूध की खपत के लिए हमें जरूरत से कहीं ज्यादा दूध लेना पड़ता था जिससे मक्खन जमा हो गया। डीप-फ्रीज उपकरण के लिए हमने नवम्बर, १९६२ में आर्डर दिया था। आमतौर से देर होती है और वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या यह सत्य है कि मक्खन से निकला हुआ यह घी, जिस में बदबू पैदा हो गई थी, और जिस को करनाल से स्पैशलिस्ट बुला कर पास कराया गया था, दीवाली के आस-पास दिल्ली में हलवाइयों को सस्ते दामों पर बेचा गया; यदि हां, तो इस घी की वास्तविक कीमत क्या थी, इस को किस मूल्य पर बेचा गया और इस प्रकार सस्ते दामों पर बेचने से सरकार को कितने रुपयों का घाटा हुआ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में लिमिटेड टेन्डर के आधार पर हमने प्यारेलाल लाखी-मल को यह घी बेचा था जिसने ५६२ रु० प्रति क्विन्टल की दर पर लगभग २५½ टन घी लिया था। इसकी लागत ३,८३,५०० रु० आयेगी लेकिन हम २,८६,६२० रू० वसूल करेंगे। बाकी मात्रा अभी हमारे पास ही है। वह केवल हलवाइयों को बचने के लिये था, न कि प्रत्यक्ष उपभोग के लिए।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : कितना मक्खन इकट्ठा किया गया था, कितना बेचा गया और खराब मक्खन कितना बचा हुआ है?

†**श्री अ० म० थामस** : अब कोई मक्खन बचा हुआ नहीं है। सितम्बर के शुरूआत में ४३ टन सफेद मक्खन इकट्ठा हो गया था।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मंत्री ने अभी बताया कि घी हलवाइयों को बेचा गया था, प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं। तो उपभोग के अलावा अन्य किस प्रयोजन के लिए वह बेचा गया था।

एक माननीय सदस्य : मालिश करने के लिए।

एक माननीय सदस्य : घी के चिराग जलाने के लिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने बताया है कि वह इक्ट्ठा इस्तेमाल के लिये हलवाहयों को दिया गया था। मेरे सहयोगी ने बताया है कि नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के दो विशेषज्ञों ने जिनका दिल्ली दुग्ध योजना से कोई सम्बन्ध नहीं था, देखा था कि वह तलने के लिये काम में लाया जा सकता था। वह उसी प्रयोजन के लिये दिया गया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिस महाशय को सस्ती कीमत पर यह घी बेचा गया था उससे क्या गारण्टी ली गयी थी कि वह साधारण उपभोक्ता के हाथ उसे नहीं बेचेगा और केवल उसी प्रयोजन के लिये बेचेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में चूंकि यह घी आग्मार्क स्टैंडर्ड के अ ुरूप था इसलिये दिल्ली दुग्ध योजना इसे बेच सकता था। लेकिन हम उसे दिल्ली दुग्ध योजना के घी के तौर पर नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि वह पुराना था और उसमें एसिडिटी ज्यादा थी। आग्मार्क स्टैंडर्ड के अधीन एसिडिटी की सीमा ३ प्रतिशत है। स लिये कानूनन हम वह घी बेच सकते थ। आग्मार्क घी के लिये जो गारण्टी है वही स घी के लिये भी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। जिसे सस्ते दाम पर घी बेचा गया उससे क्या गारण्टी ली गयी थी कि वह केवल उसी प्रयोजन के लिये बेचेगा और उसे बाजार में नहीं भर देगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसमें गारण्टी का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह आग्मार्क स्टैंटर्ड के अनुसार था। उस स्टैंडटर्ड के अनुसार कोई भी व्यक्ति घी बेच सकता है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या इस घी की कुछ मात्रा कनाट प्लेस और क्वीनसव के आसपास मिठाई वालों को बेची गयी थी। जहां संभ्रांत व्यक्ति और अच्छी पोशाक वाली औरतें खड़े होकर खाती हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं नहीं जानता कि अच्छी पोशाक वाली औरतों और दूसरों में क्या भेद-भाद किया जाय। विशेषज्ञों ने इस घी को जांचकर देखा था कि क्या मनुष्यों के उपभोग के लिये ठीक है, वह तलने के लिए भी ीक था ; लेकिन ज्यादा एसिडि ी के कारण हम उसे बैचना नहीं चाहते थे ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में केवल अच्छी मशीनों बल्कि कर्मचारियों की कमी की वजह से भी, अत्यन्त अकुशलता से सारा काम काज हो रहा है ? क्या सरकार उसमें आमूल परिवर्तन और उसक ा प्रबन्ध ठीक करने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं दिल्ली दुग्ध योजना के सारे कामकाज की जांच कर रहा हूं। अभी हाल में मैंने कुछ कड़ी कार्य वाई की है और उम्मीद है कि हालत सुधर जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी स प्रश्न में है। इस लिये मुझे भी सप्लीमेंटरी पूछने का मौका मिलना चाहिये।

श्री बड़े : माननीय सदस्य का नाम भी स प्रश्न में है।

श्री कछवाय : मैं कई दफा खड़ा हुआ, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया।

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। हमने इस प्रश्न पर १० मिनट खर्च किये हैं। अगला प्रश्न ।

रूई का उत्पादन

+

†*४८०. {**श्री दे० शि० पाटिल** :
　　　　{**श्री भगवत झा आजाद** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय पण्य समिति द्वारा किसी नई प्रणाला की खोज की गई है ;

(ख) क्या रूई के उत्पादन के सम्बन्ध में यह प्रणाली लागू कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जो संपूर्ण रूई विकास योजना दूसरी योजना की अवधि मे चालू की गयी थी, उसके अलावा चालू योजना में रुई उत्पादन की क्षमता वाले क्षेत्रों में ई के विकास के लिये एक पैकेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया है।

(ख) रुई पैदा करने वाले सभी बड़े बड़े राज्यों में पैकेज कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में १९६२–६३ में ई का उत्पादन १७.७ प्रतिशत अधिक हुआ है जो मुख्यतः संपूर्ण ई विकास योजना के कारण हुआ है। ैकेज प्रोग्राम के परिणाम अभी मालूम नहीं हुए हैं क्योंकि वह अभी हाल ही में चालू किया गया है।

†**श्री द० शि० पाटिल** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति एकड़ पैदावार कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुल जमीन १९७ लाख एकड़ है और ैदावार ५३ लाख गांठे हैं।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : क्या यह सच है कि वह पैदावार दुनिया में सब से कम है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सभी जानते हैं कि हमारे यहां कुछ चीजों की पैदावार बहुत कम है लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जसे महाराष्ट्र में गन्ने और रुई की पैदावार दुनिया के अन्य किस भाग में होने वाली पैदावार से कहीं ज्यादा है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : देशी रुई के मकाबले में लंबे रेशे वाली रुई पैदा करने में हम कहां तक सफल हुए हैं और देश में उसकी कितनी आवश्यकता है ?

†**श्री अ० म० थामस**: संपूर्ण योजना का एक उद्देश्य लंबे रेश वाली रूई पैदा करना भी है। वास्तव में हम अच्छे बीज और अधिक क्षेत्र में बोना चाहते हैं। वह एक बुनियादी योजना है जिसे हम तैयार कर रहे हैं। हमारी कल्पना यह है कि तीसरी योजना के अंत तक ६० प्रतिशत क्षेत्र में अच्छे सुधरे हुए बीज बोए जायें ।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : काटन के उत्पादन के सम्बन्ध में जो नई प्रणाली चालू की गई है, क्या वह सारे देश में चालू की गई है और यदि कोई एरियाज छोड़ दिये गये हैं, तो वे कौन से एरियाज हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां, इस एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित रूई पैदा करने वाले सभी राज्यों को शामिल किया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : हमने लंबे रेशे वाली कितनी रुई विदेशों से मंगाई है और उसे अपने देश में पैदा करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम आत्म निर्भर होना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा सदन भली भांति जानता है कि हमें पी०एल० ४८० के अन्तर्गत मिस्र तथा अमरीका से बे रेशे वाली कुछ रुई मंगा ी पड़ती है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : गत वर्ष कितनी आयात की गयी थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : ५ से ६ लाख गां. ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या हमारे देश में रुई का दाम अन्य देशों के दाम के मुकाबले में कम है ?

†**श्री अ० म० थामस** : दूसरे देशों के बारे में मैं नहीं बता सकता । हमारे देश में बढ़िया मोगलाई जरिला का अधिकतम मूल्य ३५ रु० बढ़ा दिया गया है और दूसरी किस्मों के लिये भी उसी प्रकार बढ़ा दिया गया है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या हमारे देश में रुई की कीमत दूसरे देशों में इसी किस्म की रुई की कीमत से कम है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हो सकता है ।

†**श्री दे० जी० नायक** : विभिन्न राज्यों के किन किन जिलों में रुई के सम्बन्ध में पेकेज कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा और गुन्टूर, राजस्थान में गंगानगर, महाराष्ट्र में नांदेड और मद्रास में कुछ जिले । वह एक लम्बी सूची है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : पेकेज प्रोग्राम वाले जिलों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में क्या हम कपास का उत्पादन बढ़ा सके हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है, दो मुख्य योजनाएं हैं : एक संपूर्ण विकास कार्यक्रम और दूसरा पेकेज प्रोग्राम । संपूर्ण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यो के सभी जिले आते हैं जब कि पकेज प्रोग्राम के अधीन केवल वही जिले है जहां अधिक और सघन विकास की गुंजाइश है । इन दो योजनाओं के अन्तर्गत संपूर्ण देश आ जाता है । पकेज प्रोग्राम में केवल वही जिले आते हैं जहां हमें अधिकतम पैदावार मिल सकती है ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि कई स्टेट्स में काटन कंट्रोल आर्डर लागू कर दिया गया है जिस के अनुसार एक नया पटर्न लाग कर दिया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्टस के लिये कि वहा काटन जरूर बोई जाए चाहे सायल उसके लिये सूटेबल हो या न हो ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उसकी वजह से काश्तकारों ने काटन बोना बन्द कर दिया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे पता नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह एक नयी प्रणाली निकालने के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : कुछ जिलों के लिये वह प्रणाली अनिवार्य कर दी गयी है लेकिन वह इस मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। इस लिये किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें वही किस्म बोनी पड़ती है ।

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री काशी राम गुप्त:** क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि महाराष्ट्र में रुई से जिसे लंबे रेशे वाली रुई कहते हैं, सिर्फ ३० काउन्ट का धागा ही बन पाता है ?

†**श्री शिन्दे** : यह गलत है। ईस्टइंडिया काटन एसोशिएशन ने उस तरह की एक रिपोर्ट दी है। वह रिपोर्ट व्यापार के नमूनों पर आधारित है, न कि उत्पादक क्षेत्रों के नमूनों के आधार पर है।

चम्बल की कन्दराओं को कृषि योग्य बनाना

†*४८१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहिले सरकार ने सूरत गढ़ फार्म के महाप्रबन्धक तथा एक सुप्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री को चम्बल घाटी क्षेत्रों में भेजा था ताकि व उन कन्दराओं का सर्वेक्षण करें और उन्हें उसी योग्य बनाने की योजना तैयार करें ताकि बाद में कृषियोग्य बनाई गई भूमि पर भूतपूर्व डाकुओं को बसाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में उस दल की सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख) जी हां, सेंट्रल मेकेनाज्ड फार्म, सूरतगढ़ के तत्कालीन महाप्रबन्धक स्वर्गीय मेजरजनरल महादेव सिंह और नेशनल बोटनिक गार्डन्स, लखनऊ, के संचालक डा० के० एन० कौल ने अप्रैल, १९६३ में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जमना नदी की सीमा पर कुछ हिस्से का निरीक्षण किया था ताकि उस क्षेत्र में बड़े पैमाने का एक मशीनरीकृत फार्म स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। मेजर जनरल महादेव सिंह ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी। डा० कौल ने कुछ सिफारिशें पेश की हैं जिनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६३ / ६३]**

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चम्बल की कंदराओं का लगभग क्षेत्रफल कितना है और भूमि कटाव तथा अन्य कारणों से इस जमीन में वार्षिक वृद्धि की दर कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस**: कंदराओं को कृषियोग्य बनाने का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अनुमान है कि चंबल जमुना बेसिन में लगभग ५० लाख एकड़, उत्तर प्रदेश में ३५ लाख एकड़ और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में प्रत्येक में ८ लाख एकड़ जमीन है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इस बात का कोई मोटा अनुमान लगाया गया है कि खेती के लिए चंबल की कंदराओं को कृषि योग्य बनाने में प्रति एकड़ कितनी लागत लगेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ सर्वेक्षण किया गया है लेकिन लागत बहुत ज्यादा निकली है। फिर भी हम इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : चम्बल के रेवाइंज में कितना खर्चा सेन्टर करने वाला है और मध्य प्रदेश की तरफ से कितना खर्चा किया जाने वाला है और कितने डाकू वहां बसाये जायेंगे ?

†श्री अ० म० थामस : एक बड़ा मशीनीकृत फार्म स्थापित करने के प्रश्न की छानबीन करने के लिए जो दल नियुक्त किया गया था उसने इस पर विचार किया था और उसकी यह राय है कि कृषियोग्य बनाने की लागत लगभग ५०० रु० से ६०० रु० प्रति एकड़ आयेगी ।

†श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार उसे कृषियोग्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार स्वतः उसे नहीं कर सकती ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

†श्री अ० म० थामस : चूंकि इस योजना में करोड़ों रुपये का खर्च है इसलिए उसे अभी शुरू करना केन्द्रीय सरकार के लिए या मध्य प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं होगा । दूसरी योजना में हमने ७७ लाख रुपये की व्यवस्था की थी और उस योजना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार लगभग १५०० एकड़ जमीन को खेती लायक बनाने वाली थी । उसके लिए ४.६६ लाख रुपया अलग रख दिया गया था ।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कृषियोग्य बनाये गये क्षेत्रों के निवासियों को उनके बुरे कार्यों के स्थान से अन्यत्र कहीं बसाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†श्री अ० म० थामस : कंदराओं को कृषियोग्य बनाने से डाकुओं की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है । उस विषय पर भी हम ध्यान दे रहे हैं । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं हमने तीसरी योजना में कंदराओं के सर्वेक्षण के लिए केन्द्र समर्थित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ व्यवस्था की है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार १ प्रतिशत सहायता देगी ।

†श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न बिलकुल समझा ही नहीं गया है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : यह वह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार संपूर्ण देश में आरंभ की जा रही बहु प्रयोजनीय योजनाओं में नदी घाटी योजना के साथ साथ चंबल की कंदराओं को कृषि योग्य बनाने पर विचार कर रही है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल चंबल के बारे में है ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : यह बेसिन भी चंबल नदी का एक हिस्सा है ।

†श्री अ० म० थामस : बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, भूमि संरक्षण योजनाएं और खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए और दूसरी योजनाएं भी हैं । लेकिन कंदराओं का कृषियोग्य बनाना बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करना होगा ।

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : यदि उसे खेती योग्य बनाने की लागत बहुत ज्यादा है तो सरकार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल लगाने का काम क्यों नहीं शुरू करती ?

†श्री अ० म० थामस : वह भी किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या भूमि हीन श्रमिकों को बसाने के लिए चंबल की कंदराओं को कृषियोग्य बनाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कि यह सभी के लिए काफी महत्व का प्रश्न है । मैं भी वह जानता हूं । लेकिन साथ ही हमें उसकी लागत पर भी विचार करना है । एक एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाने में ६०० रुपये से ९०० रुपये तक खर्च होगा । मैं नहीं समझता कि सदन उतनी रकम मंजूर करेगा ।

†**श्री राधे लाल व्यास** : इस बात को देखते हुए कि डाकुओं की बहुत गंभीर समस्या काफी पुरानी है क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जो किसी अवधि में कई दौर में पूरी की जाये ताकि इस परियोजना के लिए आवश्यक भारी रकम कई वर्षों की अवधि में खर्च की जा सके ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं अपने उत्तर में ही बता चुका हूं कि सरकार इस समस्या के बारे में जागरूक है । वह यह भी जानती है कि उससे डाकूओं की समस्या दूर होने में मदद मिलेगी । लेकिन साथ ही लागत के विषय पर भी विचार करना होगा । तब कई दौर वाला कार्यक्रम बनाना भी मुमकिन नहीं है जब तक कि हम हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार न हों । फिर भी हमने कुछ शुरूआत की है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : राजस्थान में चम्बल एरिया की वजह से काफी डकैतियां होती हैं । इस योजना के अन्दर चम्बल के बीहड़ों को लिया गया है या नहीं लिया गया है और नहीं लिया गया है तो क्या लेने का विचार है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक राजस्थान का संबंध है, तीसरी योजना में लगभग ३,००० एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए १० लाख रुपया एकड़ अलग रखा गया है ।

बिजली की दरें

†४८३. **श्री पें० वेंकट्टासुब्बया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान २९ अगस्त १९६३ को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किये गये इस विचार की ओर दिलाया गया है कि खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के शुल्क की दरों के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण बदला जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दरें कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार खेती के लिये बिजली की दरों को कम करने के सम्बन्ध में पहले से ही राज्य सरकारों से पत्रव्यवहार कर रही है । गत अगस्त में हुए सम्मेलन में राज्य मंत्रियों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्यों से आगे बातचीत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री पें० वेंकट्टासुब्बया** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने से कृषि उत्पादन में पर्याप्त प्रगति होगी क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह

---

†मूल अंग्रजी में

देना चाहती है कि राज्य सरकारें बिजली की दरों में वित्तीय सहायता दें और इससे जो हानि हो वह केन्द्रीय सरकार सहन करे ?

†**श्री शिन्दे** : जैसा कि पहले उत्तर दिया जा चुका है, भारत सरकार यह चाहती है कि कृषि उत्पादन के लिये बिजली की दर कम से कम होनी चाहियें, परन्तु राज्यों के अपने आर्थिक पहलू होते हैं जिन पर उन्हें विचार करना होता है । फिर भी भारत सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह दे रही है कि राज्यों को बिजली कम से कम दर पर दी जाये ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : राज्य सरकारों का कहना है कि वे ऐसा नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें ऐसा करने से हानि उठानी पड़ती है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों को बिजली कम दरों पर मिले क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपनी निधियों में से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है ?

†**श्री शिन्दे** : किसी भी राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं किया था । परन्तु फिर भी संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न दरों के आर्थिक पहलू इस मंत्रालय तथा सिचाई और विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : जहां तक ग्रामों में काम में आने वाली बिजली का संबंध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य राज्य की अपेक्षा आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कम है और यदि हां तो क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को पृथक रूप से बिजली दी जा रही है ताकि वह किसानों के लिये और अधिक बिजली की व्यवस्था कर सकें ।

†**श्री शिन्दे** : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सुपरसानिक कनकार्डस्[1]

†*४७४. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ से ११ अक्तूबर, १९६३ तक हुई अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाले नवीनतम वाणिज्यिक वायुयान सुपर सोनिक (आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले) कनकार्डस चलाने पर भी बातचीत हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

[1]Supersonic Concords.

†मूल अंग्रजी में

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां । एयर इंडिया के एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें उसके चेयरमैन, महाप्रबन्धक, वाणिज्यिक निदेशक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, कान्टीनेन्टल यूरोप, शामिल थे, रोम में हुई अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की १९ वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया ।

(ख) सुपरसोनिक विमान समेत अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन उद्योग के हित के अनेक विषयों पर चर्चा हुई ।

(ग) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा को मिलाने वाली रेलवे लाइन

†*४८२. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल मार्ग द्वारा त्रिपुरा को शेष भारत से मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ग) यात्री सेवाएं कब तक लागू करने का विचार है ; और

(घ) यह रेलवे लाइन त्रिपुरा की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को कहां तक पूरी कर सकेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं । त्रिपुरा में काल-कालीघाट को धामनगर से मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, परन्तु आशा है कि स मास के अन्त से पहले ही यह लाइन विभागीय गिट्टी[1] गाड़ी के चलने के लिये तैयार हो जायेगी ।

(ख) इस लाइन की अनुमानित लागत २.३ करोड़ रु० है ।

(ग) आशा है कि मार्च, १९६४ के अन्त तक यह लाइन सवारी यातायात के लिये खुल जायेगी ।

(घ) त्रिपुरा से और बरास्ता त्रिपुरा रेल यातायात की जो आवश्यकता होगी उसके इस नये रेल मार्ग द्वारा सरलता से पूरा कर दिये जाने की आशा है ?

सड़क बोर्ड

†*४८४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मन्त्री ३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के सम्बन्ध में स्तम्भ

[1]Ballast Train.

† मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सड़क बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इस मामले में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं।

सहकारी चावल मिलें

†*४८५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी चावल मिलों का विकास करने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किया गया है ;

(ख) क्या सहकारी चावल मिलों की स्थापना हाथ से धान कूटने के उद्योग को ध्यान में रख कर प्रतिबन्धित कर दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाथ से धान कूटने के उद्योगों का विकास करने के लिए ७७ जिले चुने हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इन ७७ जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में सहकारी चावल मिलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दें ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) सहकारी चावल मिलों को स्थापित करने और चलाने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न क्षमताओं वाली चावल की मिलों के खाके तैयार कर लिये गये हैं और राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं। चावल मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सहकारी समितियों को सहायता देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे चावल मिल उद्योग (विनियम) अधिनियम की धारा १८ को लागू करें जिससे कि उपयुक्त क्षेत्रों में सहकारी चावल मिलों को सुगमता से स्थापित किया जा सके।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सहकारी चावल मिलों का स्थापित करने के लिये क्षेत्र चुनते समय हाथ से धान कूटने के उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।

भारतीय नौवहन समवाय

†*४८६. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में और १९६२-६३ में भारतीय नौवहन समवाय राज्य व्यापार निगम

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा दिये गये कितने 'टन भार' की ढलाई कर सके; और

(ख) क्या कोई कमी रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें परिवहन मन्त्रालय के नौवहन समन्वय और भारकीकरण संगठनों द्वारा भारतीय नौवहन समवायों को आवंटित किये गये राज्य व्यापार निगम के नौभांडों के सम्बन्ध में ब्यौरे दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०६४/६३]**

(ख) माननीय सदस्यों का संकेत शायद भारतीय जहाजों द्वारा न ले जाये जाने वाले माल की ओर है । इसका कारण यह है कि भारतीय जहाजों द्वारा जो मात्रा ले जाई जा सकती है वह आवश्यक-रूप से समय समय पर अपेक्षित स्थानों पर भारतीय जहाजों के मिलने पर सीमित है और यह भी कि भारतीय नौवहन समवाय स्वयं ही सस्ते भाड़े वाले जहाजों को अधिमान देते हैं ।

सहकारी क्षेत्र को जर्मनी की सहायता

†*४८७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन उपभोक्ता सहकारी सम्मेलन, हैम्बर्ग 'भारत सहायता सक्रिय कार्यक्रम' के अधीन सहकारी क्षेत्र में ग्राम्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में तथा वित्त पोषण में सहायता देगी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मिलेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता मुख्यतः तकनीकी विशेषज्ञता तथा ऐसी मशीनों और उपकरणों के रूप में होगी जो देश में नहीं बनाये जाते और जो रुपया भुगतान पर उपलब्ध नहीं हैं ।

मंगलौर पत्तन

*४८८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन को सभी मौसम में काम में आने वाले पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए पश्चिम जर्मनी और इटली ने सहायता देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता देने को कहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

आदिम जाति अनुस्थापन विद्यालय,[1] रांची

†*४८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में आदिम जाति अनुस्थापन विद्यालय बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विद्यालय स्थापित करने का प्रयोजन क्या है और इसमें अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा ;

(ग) विद्यालय के लिए अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को छांटने की कसौटी क्या होगी ; और

(घ) क्या नेफा की आदिम जातियों सम्बन्धी अध्ययन के लिए भी पाठ्यक्रम है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र आदिम जाति विकास खण्डों में काम करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों, विस्तार अधिकारियों (कृषि), सामाजिक शिक्षा संघटकों और मुख्य सेवकाओं को आदिम जाति जीवन और सभ्यता में विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण देता है । पाठ्यक्रम की अवधि ४ मास है ।

(ग) अध्यापकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत भरती के नियमों के अनुसार लिया जाता है, या तो केन्द्र / राज्य सरकारों से प्रतिनिधान पर अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली भरती की जाती है । प्रशिक्षार्थी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चुने जाते हैं और प्रतिनियुक्त किये जाते हैं ।

(घ) नेफा के लोगों के अध्ययन सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम नहीं है । केन्द्र द्वारा जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है उसमें देश भर के आदिम जाति के जीवन और संस्कृति की व्यवस्था है ।

कृषि उत्पादन

†*४९०. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में कृषि उत्पादन की धीमी गति के बारे में बनाये गये नये कृषि अनुसंधान दल की उपपत्तियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार कृषि अनुसंधान दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा स्थापित कृषि अनुसंधान पुनर्विलोकन दल ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]School for Tribal Orientation.

कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रचार

†*४९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों में कीटाणुनाशक दवाइयों के प्रयोग का प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६५/६३]

गुड़ के लाने लेजाने पर प्रतिबन्ध

†*४९२. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने लेजाने पर प्रतिबन्ध ऐसे समय लगाये गये जब किसानों ने इसका निर्माण आरम्भ कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रतिबन्धों को लगाने से पूर्व राज्य सरकारों का परामर्श नहीं लिया गया था; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस आदेश का विरोध किया ह और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?'

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रायलय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). गुड़ का अन्तर्राज्यिक व्यापार राज्य सरकारों के परामर्श से ३० अक्तूबर, १९६३ से नियमित किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय मत्स्यपालन निगम

†*४९३. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच भारतीय मत्स्यपालन निगम की स्थापना के बारे में अमरीकी सार्थ का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग की क्या शर्तें तय हुई हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). एक प्रतिवेदन जिसमें अमरीकी सार्थ की सिफारिशें शामिल हैं १ अक्तूबर, १९६३ को समाप्त हुआ था। सहयोग की शर्तों पर अभी भी चर्चा चल रही है और शर्तों के तय होने से पहले यह कहना कि वे किस प्रकार की होंगी कठिन है।

रसायन

†*४९४. श्री श्रीनारायण दास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल में लगने वाले कीटाणुओं तथा रोगों को नष्ट करने वाले देसी तथा विदेशी रसायनों की उपलब्धता की पूर्ण स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मूल्य इतना अधिक है कि औसत किसान उन्हें नहीं खरीद सकता है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य कम करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०६६/६३]

माल भाड़ा दरें

†*४९५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डिया-यू० के०—कांटिनेंट कांफ्रेंस' द्वारा माल भाड़ा दरों में की गई १२ १/२ प्रतिशत वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने भारतीय व्यापार के हितों की रक्षा के लिए कोई निर्णय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कांफ्रेंस ने माल भाड़ा दरों में की गई १२½ प्रतिशत वृद्धि को घटा कर १० प्रतिशत कर दिया है । ऐसी वस्तुओं को जिनके भाव तेजी से उतरते चढ़ते रहते हैं को संरक्षण देने के प्रश्न पर कांफ्रेंस से बातचीत चल रही है । भारतीय व्यापार के उचित हितों की रक्षा करने के लिये सरकार निस्सन्देह ही समय समय पर सभी आवश्यक उपाय करेगी । दीर्घकालीन उपाय के तौर पर अपने अनेमी[1] बेड़े के विकास के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पर्यटकों से आय

†*४९६. श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खान :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० ब० पाटिल :
श्री कजरोलकर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० से पर्यटकों की संख्या में तथा उनसे होने वाली आय में बहुत कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो बाद के प्रत्येक वर्ष में पर्यटन आय में कितनी कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या १९६२ तक प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ती रही है, परन्तु उस वर्ष उनकी संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा ३.९ प्रतिशत कमी हो गई (१९६२ में १,३४,३६० पर्यटक आये जबकि १९६१ में १,३९,८०४ पर्यटक आये थे) । रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय १९६० के अन्त तक प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ती रही है । परन्तु रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये १९६१ की आय के अनुमान में कुछ कमी आई है ।

(ख) रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार १९६१ में विदेशी मुद्रा में १८·४९ लाख रु० की आय हुई जो कि १९६० की आय से जब कि विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान २०.५६ लाख रु० लगाया गया था १०·१ प्रतिशत कम है । एक तो पर्यटकों से होने वाली आय का अनुमान धन प्रेषणों के नमूना सर्वेक्षण और पर्यटकों से प्राप्त सूचना के आधार पर करना होता है और भिन्न भिन्न नमूनों में अन्तर होना स्वाभाविक है । दूसरे चूंकि पर्यटक अपना धन अनेक तरीकों से भेजते हैं और आवश्यक धन अनेक तरीकों से लाते हैं अथवा प्राप्त करते हैं इसलिये आय में कमी के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Tramp Fleet.

ज़िम्मेदार कारणों का पता लगाना आसान नहीं है । तथापि यह ठीक लगता है कि विदेशी मुद्रा की कुछ चोरी हो रही है ।

(ग) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के प्रश्न पर तदर्थ समिति द्वारा हाल में विचार किया गया था और इस समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

धुलेश्वरी नदी में नौपरिवहन

†*४९७. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या परिवहन मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिजो पहाड़ियों में धुलेश्वरी नदी को नौगम्य बनाने के लिये आसाम सरकार द्वारा भेजी गई योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) योजना अभी भी विचाराधीन है ।

कोयलावाहक जहाज 'भारत वीर' में आग

†*४९८. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री बालकृष्णन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७००० टन के कोयला वाहक जहाज 'भारत वीर' में, जो २१ अक्टबर, १९६३ को तिरुवोटियूर के निकट रेत में धंस गया था, उसी दिन आग लग गई; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) एस० एस० भारत वीर में आग लगने के कारण का तब ही पता लग सकेगा जबकि प्रारम्भिक जांच, जोकि वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ३५९ के अन्तर्गत हो रही है, का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक्सप्रेस लैटर

†*४९९. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री थेनगौंडर :

क्या डाक और तार मंत्री २७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक्सप्रेस लैटर्स (द्रुतगामी पत्र) की वितरण प्रणाली में सुधार करने के प्रस्ताव के बारे क्या निर्णय किया गया है ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : एक्सप्रेस डिलीवरी के अलग लिफाफे शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेंगे। एक्सप्रेस डिलीवरी के पत्रों के शीघ्र भेजे जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक्सप्रेस डिलीवरी की वस्तुओं को ले जाने के लिये विशेष थैले और लिफाफे भी प्रयोग में लाये जायेंगे।

आसाम में दूर संचार

†*५००. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में दूर संचार की (माइको-वेव) सूक्ष्मतरंग प्रणाली स्थापित करने की परियोजना की लागत क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इस परियोजना के संबंध में विदेशी सहयोग प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किससे तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) माइको-वेव योजना के क्रियान्वित हो जाने पर ऐसे हाई ग्रेड टेलीफोन सरकिटों की बड़ी संख्या में व्यवस्था हो सकेगी जिनमें बहुत ही ऊंची रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। योजना में रास्ते के साथ साथ २६ केन्द्रों में विशेष उपकरणों, मस्तूलों और एरियलों के लगाने की व्यवस्था है। परियोजना की अनुमानित लागत १६५ लाख ० है।

(ख) और (ग). इस परियोजना के लिये अपेक्षित उपकरणों के लिये क्रयादेश (आर्डर) विश्व भर के टेन्डरों के चुनाव आधार पर जापान के मैसर्स निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी को दे दिये गये हैं। इसमें कोई निर्माण सम्बन्धी सहयोग अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†१३३७. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ सितम्बर, १९६३ के 'ईस्टर्न एकोनामिस्ट' में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि इण्डियन एयरलाइन कारपोरेशन्स के विमान चालकों और प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण अक्सर यात्रियों की जान खतरे में रहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में एक उच्चस्तरीय जांच की जायेगी और उसका ब्यौरा बताने वाला एक विवरण टेबल पर रखा जायेगा ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (ग). २७ सितम्बर, १९६३ के "ईस्टर्न इकोनोमिस्ट" में छपी रिपोर्ट में यह इलजाम लगाया गया है कि कुछ मुसाफिर हवाई जहाज के काकपिट में ले जाये गये जिससे कि हवाई जहाज की सलामती को खतरा था। जहाज के अमले के लोगों के अलावा दूसरे आदमियों का काकपिट में दाखला, सिविल एविएशन के डाइरेक्टर जनरल की जारी की गयी हिदायतों के मुताबिक होता है, जिनके मुताबिक सिविल एविएशन की डाइरेक्टरेट जनरल के फ्लाइंग इंसपेक्टर्स और सीनियर अफसर मंजूर-शुदा चेक पायलट्स एयरलाइनों के सीनियर एक्जीक्यूटिव्स वगैरह; पायलट-इन कमाण्ड की मंजूरी से काकपिट में दाखिल हो सकते हैं और रह सकते हैं। प्रेस की रिपोर्ट में जिन ग़ैर-मुस्तहक लोगों का हवाला दिया गया है उन्हें काकपिट में दखिल होने की इजाज़त किन हालात में दी गयी इस बारे में जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे का विद्युतीकरण

†१३३८. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में पूर्वोत्तर रेलवे के कौन कौन से स्टेशनों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ; और

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उक्त रेलवे के कौन कौन से स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६७/६३]

राजमहल घाट नौका टिकटें[1]

†१३३९. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राजमहल घाट (बिहार) और मानिकचनघाट (पश्चिमी बंगाल)

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Ferry Tickt

के बीच गंगा में चलने वाली नौका सेवा द्वारा टिकटों के नये पैसों में देने की बजाय आनों में दिये जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह अनुज्ञेय है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

†१३४०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक मद्रास की इंटीग्रल कौच फैक्टरी (सवारी-डिब्बे बनाने के कारखाने) के कर्मचारियों के लिये कितने क्वाटरों का निर्माण हो चुका था ;

(ख) उन क्वार्टरों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ;

(ग) आज तक कितने मज़दूरों को क्वार्टर मिले हैं ;

(घ) कितने क्वार्टरों का निर्माण अभी चल रहा है ; और

(ङ) १९६४–६५ में कितने मज़दूरों को क्वार्टर मिल जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ९५१ १ बैरक।

(ख) ८२,२१,५७१ रु० ।

(ग) ९९० ।

(घ) १९६ एकक ।

(ङ) २८८ ।

थंजावूर जिला में "पैकेज प्रोग्राम"

†१३४१. **श्री वें० तेवर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला थजांवूर मद्रास राज्य में "पैकेज प्रोग्राम" के अन्तर्गत व्यय करने के लिये प्रति एकड़ कितनी औसत राशि नियत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : प्रकृष्ट खेती जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) का व्यय प्रति एकड़ के आधार पर नियत नहीं किया जाता। कार्यक्रम की कुल लागत इसके विभिन्न संघटक पदों, जैसे कि अतिरिक्त कर्मचारी, प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रदर्शन, उपकरण कार्यक्रम, अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिये कार्यक्रम, मिट्टी का परीक्षण और जानकारी आदि, के व्यय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार थंजावूर जिले में कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिये (१९६०–६६) प्रकृष्ट खेती जिला कार्यक्रम के हेतु १०० लाख रु० की कुल राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें वे अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण शामिल नहीं है जो काश्तकारों को सहकारी समितियों से मिल जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी खेती सलाहकारी बोर्ड

†१३४२. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड की रचना और कृत्य क्या हैं ; और

(ख) वे राज्य जिन्होंने अभी तक इस बोर्ड को नहीं बनाया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड की रचना और कृत्य संलग्न अधिसूचना म दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—२०६८/६३]**

(ख) उड़ीसा को छोड़ कर सभी राज्यों ने राज्य सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड बना लिये हैं। उड़ीसा में उड़ीसा राज्य सहकारी परिषद की सहकारी खेती पर एक स्थायी समिति बनाई गई है।

रेलवे कर्मचारियों को क्वा र्टरों का देना

†१३४३. **श्री म० (ना०) स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारी से पहले रेलवे कर्मचारियों को रिहाइशी क्वार्टरों के एलोटमेंट के लिये खंडवार कितने आवेदन पत्र निबटाये जाने के लिये लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) बीमारी के आधार पर भी कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टरों के देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६९ / ६३]**

(ख) बारी से पहले दिये जाने वाले निर्धारित क्वार्टरों की कमी के कारण।

दिल्ली में राजघाट के निकट यमुना पर पुल

१३४४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **परिवहन** मंत्री १७ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राजघाट के समीप यमुना नदी पर एक पुल को बनाने के बारे में अंतिम निश्चय करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सेन्ट्रल हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन, पूना से पहले कहा गया था कि वे पुल के रेखांकन के संबंध में माडल बनाकर अध्ययन करें। इस विषय पर रिसर्च स्टेशन की प्रारंभिक रिपोर्ट यह जरूरत जाहिर करती है कि कुछ और नदी का सर्वेक्षण किया जाय जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रस्तावित बांध का, जो कि "सी" बिजली घर के पास बनने वाला है, क्या प्रभाव नदी के बहाव पर पड़ेगा। यह सर्वेक्षण अब केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है। सर्वेक्षण के पूरा होने पर उसके परिणाम और आगे जांच पड़ताल के लिए हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन, पूरा को बता दिये जायेंगे। हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन पूना से अंतिम रिपोर्ट मिलने पर पुल का रेखांकन तथा डिजाइन निश्चय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बख्तियारपुर स्टेशन

१३४५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर स्टेशन पर पुल बनाने का निश्चय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कोई प्रगति हुई है और पुल कब तक बन कर तैयार हो सकेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां। पटना-बख्तियारपुर सड़क पर बख्तियारपुर के पास वर्तमान समपार की जगह ऊपरी सड़क-पुल बनाने की योजना १९६२-६३ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल की गयी थी।

(ख) और (ग). इस काम के नक्शे और अनुमान अन्तिम रूप से तैयार करके राज्य सरकार के पास भेज दिये गये हैं और उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि काम कब तक पूरा हो जायेगा।

पोस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट

१३४६. **श्री सिद्धेश्वर साद** : क्या **डाक और तार** मंत्री २० अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक विभाग के सुपरिन्टेंडेंटों तथा पोस्ट मास्टरों के पदों के एकीकरण की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): उक्त सम्मिलित संवर्ग के भर्ती नियमों को लोक सेवा आयोग के परामर्श से शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जा की आशा है।

मध्य रेलवे पर स्टेशन

†१३४७. **श्रीमती विजयराजे सिंधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के हाल्ट स्टेशनों पर प्रति मास कितना व्यय होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि जो स्टेशन ठेका पद्धति पर चलाए जाते हैं वहां ठेकेदार को महीने के महीने कमीशन दिया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्टेशनों की दशा सुधारने के लिये ठेकेदार कोई उपाय नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो जनता को होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६२-६३ में उन हाल्ट स्टेशनों पर, जो ठेकेदारों द्वारा चलाये जाते हैं, मध्य रेलवे द्वारा खर्च की गई औसत मासिक राशि १३,६४६ रुपये १ नया पैसा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हाँ।

(ग) हाल्ट स्टेशनों की दशा सुधारने का उत्तरदायित्व रेलवे प्रशासनों का है, ठेकेदारों का नहीं ।

(घ) हाल्ट स्टेशनों पर सामान्यतः कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होती है । जिन हाल्ट स्टेशनों पर आवश्यक समझा जाए रेलवे प्रशासन अतिरिक्त सुविधाओं की भी व्यवस्था करते हैं ।

चम्बल के समीप भू-कृष्यकरण

श्रीमती/

†१३४८. (श्री) **विजयराजे सिंधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से चम्बल के समीप भू-कृष्यकरण योजना के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) योजना में ३ वर्षों में चम्बल क्षेत्र की खड्डों वाली ४५,००० एकड़ भूमि के कृष्यकरण की पूर्वकल्पना की गई है जिस पर ११०.७ लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । कुल क्षेत्र में से ३६,००० एकड़ ऊंची भूमि है जिसमें समोच्च बांधों से कृषि की जायेगी और ९००० एकड़ कम गहरी खाइयां हैं जिनका सीढ़ीदार खेत तथा भूमि बचाने वाले बांध बना कर कृषि प्रयोजनों के लिए विकास किया जाएगा । राज्य सरकार द्वारा अगले वर्ष काम आरंभ किया जायेगा ।

भंडेर में टेलीफोन एक्सचेंज

†१३४९. **श्रीमती विजयराजे सिंधिया** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडेर नगर, जिला ग्वालियर, में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोहार में टेलीफोन

†१३५०. **श्रीमती विजयराजे सिंधिया** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला भिंड में तहसील मुख्यालय नगर लोहार में टेलीफोन पद्धति आरंभ करने का प्रस्ताव किस प्रावस्था पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : लोहार के लिए एक लम्बे फासले के पी० सी० ओ० की स्वीकृति दे दी गई है । सामान मिलने पर इसकी स्थापना की जायेगी ।

ग्वालियर में स्वचालित टलीफोन पद्धति

†१३५१. **श्रीमती विजयराजे सिंधिया** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में स्वचालित `लीफोन पद्धति स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १९६७ तक ।

(ग) भवन योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है और प्राक्कलन मंजूर होने वाला है । उपकरण के संभरण के लिये विशिष्ट विवरण जारी कर दिया गया है ।

कृषि का विकास

†१३५२. **श्री थेनगोंडर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२–६३ में "संवेष्टन योजना" के अधीन कृषि के विकास के लिये मद्रास राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) उक्त अवधि में अन्य राज्यों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७०/६३]

गन्ना पेरना

१३५३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों ने गन्ना पेरने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में डाकघर

†१३५४. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९६२-६३ में खोले गये डाकघरों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस समय हिमाचल प्रदेश में, डिवीजन-वार, डाकघरों की संख्या क्या है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) ४२ ।

(ख)

	३१-१०-१९६३ को डाकघरों की संख्या
अम्बाला डिवीजन	९१
गुरदासपुर डिवीजन	५१
होशियारपुर डिवीजन	७
कांगड़ा डिवीजन	१९९
शिमला डिवीजन	३४१

कृषकों को दिया गया ऋण

†१३५५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न अभिकरणों द्वारा कृषकों को किस सीमा तक तथा किस ढंग से अधिक सस्ता ऋण उपलब्ध किया गया है ;

(ख) क्या उस आधार में, जिस पर कृषकों की उधार पात्रता पर विचार किया जाता है, कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो वह परिवर्तन कैसा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा अल्प तथा मध्यम कालीन ऋण दिया जाता है । १९६०-६१ में उन्होंने कृषकों को कुल २०२.७५ करोड़ रुपये के ऋण दिये और अनुमान लगाया गया था कि १९६१-६२ में यह राशि लगभग २२८.०० करोड़ रुपये हो गई थी । कृषकों को दीर्घकालीन ऋण भू-बन्धक बैंकों द्वारा दिया जाता है । १९६१-६२ के अन्त तक अप्राप्त दीर्घकालीन ऋणों की राशि ३७·७८ करोड़ रुपये थी तथा १९६१-६२ के लिये अस्थायी प्राक्कलन ४९.५० करोड़ रुपये का था । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी सीधे ही कृषकों को तकावी ऋण देती थीं । १९६०-६१ में राज्य सरकारों ने तकावी ऋण के रूप में ४०.९७ करोड़ रुपये की राशि दी थी । वर्तमान नीति यह है कि सामान्य उत्पादन प्रयोजनों के लिये तकावी ऋण एक प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार साधारणतया सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सहकारी ऋण समिति (१९६०) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अचल सम्पत्ति के बन्धक रखे जाने पर जोर दिये बिना वास्तविक उत्पादन आवश्यकताओं तथा लौटाने की क्षमता के आधार पर ५०० रुपये तक अल्प तथा मध्यम कालीन ऋण देने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करें ।

लद्दाख में उत्थापक सिंचाई[1]

†१३५६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख में उत्थापक सिंचाई की किसी योजना पर विचार किया है या उसे अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) क्या कोई रूपरेखा बनाई गई है और ऐसे प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) ऐसी योजनाओं की कुल पूंजी लागत क्या है तथा इनसे क्या लाभ होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की वर्ष १९५८-५९ से शुरू की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को देय केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन" शीर्षक के अन्तर्गत योजनाओं के लिये, जिनमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास सम्मिलित हैं, इकट्ठी स्वीकृत की जाती है । जिन क्षेत्रों में विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जानी हैं उन्हें चुनना तथा उनके सम्बन्ध में ब्योरा तैयार करना राज्य सरकार का काम है । तथापि जम्मू तथा काश्मीर सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने अभी तक लद्दाख में उत्थायक सिंचाई की किसी योजना पर विचार नहीं किया है या अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली परिवहन द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका को देय राशि

†१३५७. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने दिल्ली परिवहन से १,२०,००० रुपये की राशि मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष ने राशि न दिये जाने पर दिल्ली परिवहन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन मंत्रालय में वैहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन ने ३१ अक्तूबर, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये नई दिल्ली में नगरपालिका की भूमि पर बने बस की लाइनों के स्थान के सम्बन्ध में तहबाजारी के १,९१,८५० रुपये नगरपालिका को देने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lift Irrigation

(ख) और (ग). नई दिल्ली नगरपालिका ने दिल्ली परिवहन को सूचना दी थी कि यदि उन्होंने बकाया राशि न ी तो उसे वसूल करने तथा नगरपालिका के क्षेत्रों में बनी यात्रियों की लाइनों के स्थानों को हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी। तथापि, नगरपालिका ने सूचित किया है कि अब मामले को आपसी समझौते तथा परामर्श से तय करने का विचार है।

चूहे पैदा होने को रोकने की योजना

१३५८. { श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चूहों की पैदाइश रोकने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) यह योजना किन किन स्थानों पर आरम्भ की गई है ; और

(घ) क्या दूसरे देशों ने चहों की मांग भेजी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उपयुक्त नियन्त्रण उपायों को निकालने के विचार से खेत के चहों का अध्ययन करने के लिये एक समन्वित अनुसंधान योजना मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें चूहों के नियन्त्रण के लिये लगातार प्रयत्न कर रही हैं और उन्होंने नियत रूप से बड़े पमाने पर अभियान चलाये हैं और चला रही हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६५ तक इस समन्वित योजना के लिये २,८८,९७० रुपये की राशि की मंजरी दी है। राज्य सरकारों के द्वारा चूहों के नियंत्रण के लिये प्रयोग हुई कृन्तकनाशियों के मूल्य का आधा हिस्सा भारत सरकार देती है।

(ग) यह समन्वित अनुसंधान योजना पांच केन्द्रों में चल रही है अर्थात् लुधियाना (पंजाब), कानपुर (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कोयम्बेतूर (मद्रास) और बम्बई (महाराष्ट्र)। चूहों के विरोध में अभियान प्रायः सभी राज्यों और संघीय राज्यों में चलाये गये हैं।

(घ) जी नहीं।

जिला परिषदें

†१३५९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कतिपय राज्यों में जिला परिषदों के गठन तथा उन्हें दी गई शक्तियों में अन्तर्निहित संगठनात्मक और कार्यकारी कमियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया है ; और

(ग) उनकी प्रतिक्रिया क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामवर मिश्र) : (क) जिन ११ राज्यों में पंचायती राज क्रियान्वित हो रहा है उनमें से केवल ५ राज्यों में अर्थात् राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा आसाम में यह प्रणाली ३ वर्षों से अधिक लागू रही है। जब कि निश्चित रूप से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या जिला परिषदों के गठन तथा शक्तियों में कोई अन्तर्निहित कमियां हैं, अब तक के अनुभव से पता चलता है कि जहां जिला परिषद् केवल एक सलाहकार तथा समन्वयकारी निकाय है वहां बिना किन्ही विशेष कार्यपालक उत्तरदायित्वों के यह निष्प्रभाव रही है।

(ख) और (ग). पंचायती राज की क्रियान्विति में जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उनका सतत अध्ययन किया जाता है और मंत्रालय राज्य सरकारों को समस्यायें जानने तथा अखिल भारतीय अनुभव के आधार पर उनका समाधान करने में सहायता देता है। मैसूर तथा आसाम में राज्य-स्तरीय समितियों ने पंचायती राज के कार्यकरण से सम्बन्धित अनेक पहलुओं का अध्ययन किया है और तत्सम्बन्धी राज्य सरकारें उनके प्रतिवेदनों की जांच कर रही हैं। राजस्थान में एक राज्य-स्तरीय समिति अब पंचायती राज्य के विभिन्न पहलुओं के, जिनमें विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन सम्मिलित है, अध्ययन में लगी हुई है।

बाजरे की खेती

१३६०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजरे की सघन कृषि के लिये संबंधित क्षेत्रों में अनुमानतः कितना द्रव्य व्यय होगा, उसका उपयोग और वितरण किस प्रकार होगा और उससे उपज में कितनी वृद्धि की आशा है ; और

(ख) यह कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया जाएगा और इसकी अवधि क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में बाजरा, ज्वार और दालों के सघन कृषि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमानतः २८.५६ लाख रुपये की राशि व्यय करने का विचार है। इसका उपयोग इस प्रकार किया जायेगा—कृमिनाशी और कीटनाशी पर २५ प्रतिशत का उपदान, उर्वरकों पर २५ प्रतिशत और कृषि औजारों पर २५ प्रतिशत। पहले वर्ष में २० प्रतिशत, दूसरे वर्ष में ४० प्रतिशत और तीसरे वर्ष में ६० प्रतिशत व्यय होने की आशा है। इस के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि उपज में कुल मिलाकर १० से २० प्रतिशत बढ़ौतरी हो सकती है।

(ख) यह कार्यक्रम चालू वर्ष अर्थात् १९६३–६४ से आरम्भ किया गया है और १९६५–६६ तक चलेगा।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

†**१३६१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों में से किसी को स्वचालित एक्सचेंज में बदल देने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जोधपुर एक्सचेंज को स्वचालित बनाने तथा निकट भविष्य में वहां टेलीफोन सुविधाओं का प्रसार करने का भी विचार है ;

(ग) यदि हां, तो अगले दो वर्षों में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) जोधपुर में इस समय प्रतीक्षा सूची में कितने अभ्यर्थियों के नाम हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य में लगभग ६०० नए कनेक्शन ।

(घ) ३० सितम्बर, १९६३ को ५४५ ।

बीज उत्पादन योजना

†१३६२. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुधरे हुए "ए" श्रेणी के बीज द्वारा सारे क्षेत्र को संतृप्त करने के लिये सरकार द्वारा बीज संतृप्ति योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कृषकों में वितरण के लिये, विशेषत: उत्तर प्रदेश में, गत वर्ष सरकारी अभिकरणों द्वारा उत्पादित तथा परिरक्षित आधार बीज की मात्रा क्या है ; और

(ग) अब तक कितना क्षेत्र संतृप्त किया गया है तथा स वर्ष के शेष भाग में कितना क्षेत्र संतृप्त किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) भारत सरकार द्वारा ी गयी वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों ने आधार बीजों के उत्पादन के लिये तथा सुधरे हुए बीजों द्वारा धीरे-धीरे समस्त क्षेत्र को संतृप्त करने के लिये बीज बढ़ाने वाले फार्म स्थापित किए हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि इस वर्ष (१९६३–६४) में कृषकों में बांटने के लिये गत वर्ष सरकारी अभिकरणों द्वारा नींव रखने वाला १,९१,०६४ मन बीज उत्पादित तथा परिरक्षित किया गया था ।

(ग) उत्तर प्रदेश में १९६२–६३ तक सुधरे हुए बीजों से विभिन्न फसलों वाली २०२.७१ लाख एकड़ भूमि संतृप्त की गई है । अन्तिम रबी फसल के वितरण के आंकड़े प्राप्त होते ही राज्य सरकार इस वर्ष के शेष भाग में संतृप्त किये जाने वाले क्षेत्र का हिसाब लगायेगी ।

चीनी आक्रमण पर साहित्य

†१३६३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रचार विभाग ने ग्रामवासियों को चीनी आक्रमण के बारे में अवगत कराने के लिये प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करने के लिये कोई उपाय किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) इस मंत्रालय के कहने पर सामुदायिक विकास तथा सहकार कार्यक्रमों से सम्बन्धित आपातकाल के कतिपय पहलुओं पर प्रचार सामग्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय ने भी ग्राम स्वयंसेवक दल पर हिन्दी में एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मंत्रालय राज्यों को ग्राम स्वयंसेवक दल तथा प्रतिरक्षा श्रम बैंक पर प्रादेशिक भाषाओं में एक-एक पुस्तिका छापने में भी सहायता कर रहा है।

(ख) लगभग ३,४०,२३० रुपये।

पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन दल

†**१३६४. श्री यशपाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में अब तक देश में पंचायती राज संबंधी अध्ययन दल के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ख) आज तक कितनी रकम व्यय की गई है; और

(ग) समस्त देश में इसकी सिफारिशों को कब लागू किया जायेगा।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) १९६२–६३ तथा १९६३–६४ वर्षों में पंचायती राज आन्दोलन में ग्रामसभा की स्थिति के बारे में समस्याओं की निम्नलिखित अध्ययन दलों ने जांच की थी :

(१) पंचायती राज आन्दोलन में ग्रामसभा की स्थिति;

(२) पंचायती राज के धन;

(३) पंचायती राज संस्थाओं की आय-व्ययक तथा लेखा प्रक्रिया।

उन अध्ययन दलों के संबंध में कोई विशिष्ट आय-व्ययक आवटन नहीं किये गये थे। मंत्रालय में आय-व्ययक में से धन व्यय किया गया था।

(ख) इन अध्ययन दलों पर भारत सरकार ने ४४,१०९.४० रुपये व्यय किये हैं।

(ग) ग्राम सभा सम्बन्धी अध्ययन दल तथा पंचायती राज संस्थाओं की आय-व्ययक तथा लेखा प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को, राज्यों को क्रमश: १५-६-१९६३ तथा २१-८-१९६३ को भेज दिया गया था। इन दलों द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशों को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है और उनकी क्रियान्विति की जा रही है। पंचायती राज वित्त सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को ३०-८-६३ को राज्यों को भेज दिया गया था। मद्रास सरकार ने कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में निर्णय लिये हैं। शेष राज्यों में प्रतिवेदन विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लद्दाख में डाक तथा तार घर

१३६५. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में डाकघर व तार घर न होने के कारण बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार क्या सोच रही है; और

(ग) इस कार्य पर इस योजना में कितना व्यय किया जायेगा ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) प्रति ४,६१० व्यक्तियों के लिए एक डाकघर के अखिल भारतीय आंकड़ों के मुक़ाबले लद्दाख में एक डाकघर द्वारा औसतन २,५३३ व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वहां की स्थिति देश के शेष भागों से अपेक्षाकृत खराब है।

(ख) तथा (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में लद्दाख ज़िले में ६३,००० रु० के अनुमानित व्यय से ३३ डाकघर खोलने की व्यवस्था की गई है। जहां तक तार-सुविधाओं का सम्बन्ध है, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद साबित न होने पर भी प्रशासनिक मुख्यालयों में जैसे ज़िला, उपमण्डल, तहसील और उप तहसील मुख्यालयों तथा उन शहरों में जिनकी आबादी ५००० से अधिक हो, उन्हें दिया जाता है। अन्य स्थानों पर तार-सुविधाएं तभी दी जाती हैं जबकि उक्त योजनाओं से मुनाफ़ा हो। उन सभी स्थानों में, जो आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, तार-सुविधाएं दे दी गई हैं।

कोटा बूंदी में चीनी की मिल

१३६६. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा बूंदी और झालावाड़ में गन्ने की उपज में काफी बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ोतरी को देखते हुए क्या सरकार वहां चीनी का मिल खोलने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इन ज़िलों में गन्ने की उपज में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). कोटा बूंदी क्षेत्रों में शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये भिन्न-भिन्न पार्टियों से पांच आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जोकि इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। इन आवेदन-पत्रों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

१३६७. { श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जनता की सुविधा के लिये सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) १९६२ में इनसे कितनी आमदनी हुई ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) ३६४।

(ग) ३,३३,५६५ रुपये।

भारत-मंगोलिया टेलीफोन सेवा

†१३६८. { श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत व मंगोलिया के बीच टेलीफोन सेवा चालू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस समय (भारतीय समय के अनुसार) यह सेवा उपलब्ध होगी; और

(ग) इसके निर्माण में कितना रुपया व्यय किया गया है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। ९ सितम्बर, १९६३ से मास्को होते हुए भारत और मंगोलिया के बीच एक रेडियो-टेलीफोन सेवा आरम्भ की गयी है।

(ख) यह सेवा सप्ताह के सभी कार्य-दिवसों पर भारतीय समय के अनुसार १६.०० से १८.३० बजे तक उपलब्ध होती है और रविवार को बन्द रहती है।

(ग) क्योंकि यह सेवा भारत और रूस के बीच, पहले से विद्यमान सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा को मंगोलिया तक बढ़ा कर स्थापित की गयी है, इसलिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को रेल द्वारा मिलाना

१३६९. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान

को रेल द्वारा भारत से होकर मिलाने के बारे में जो वार्ता चल रही थी, वह इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : रावलपिंडी में १६ से १८ नवम्बर, १९६० की बैठक में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मण्डल जिन मुद्दों पर एक राय थे, भारत सरकार ने अभी उनका अनुसमर्थन नहीं किया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान सरकार से आग कोई बातचीत नहीं हो रही है।

†राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

†१३७०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पंजाब सरकार को दिए गए धन का दुपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनियमितता को पुनः न होने देने के लिए केन्द्र द्वारा क्या निरोधक कार्यवाही की गई है तथा इनको देय धन को शीघ्र वापस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्वीकृत ढांचे के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए सहकारी समितियों की सहायता के लिए राज्य सरकारों को धन देती है। जाब सरकार ने अधिकारियों तथा अकाउन्टेंट जनरल ने जांच तथा लेखा परीक्षा के दौरान समितियों द्वारा धन का दुरुपयोग करने तथा व्यय करने के मामलों का पता लगाया। इसके पश्चात् पंजाब के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने अनियमितताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की तथा कुछ मामलों में समितियों द्वारा व्यय न किए गए धन को वापस दिलाया। इसके पश्चात् राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य सरकार को लिखा है कि निगम द्वारा दिए गए धन के एक अनुपात को वापस कर दें।

अलाभप्रद फसलें

†१३७१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अलाभप्रद फसलों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह फसलें कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) ऐसी अलाभप्रद स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या सुधार उपाय करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऋण सुविधा तथा न्यूनतम मूल्य देने के सम्बन्ध में योजना में उपाय बताये गये हैं जिससे किसानों को अलाभप्रद स्थिति न रहे ।

बेतवा पर पुल

(१६७२) **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 12/72

(क) झांसी-मानिकपुर शाखा रेल मार्ग पर झांसी से बारह मील दूर बेतवा नदी पर पुल के पुनर्निर्माण का काम चालू होने में कितना समय लेगा ; और

(ख) जबकि पुनर्निर्माण के लिये सामग्री वहां पहुंच चुकी है, तो रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के सामने काम आरम्भ करने में क्या कठिनाई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) निर्माण कार्य शुरू करने के लिए गर्डर असेम्बली यार्ड की स्थापना आदि प्रारम्भिक व्यवस्थाओं पर काम जा ी है और पुल पर शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जायेगा ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पौधों पर संगीत का प्रभाव

†१३७३. **श्री कोया** :
श्री म० प० स्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों पर संगीत के प्रभाव के बारे में कोई अनुसन्धान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसन्धान के क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था, कटक में ध्वनितरंग (संगीत) को बीज पर छोड़ कर परीक्षण किए गए थे । प्राप्त परिणामों से मालूम होता है कि संगीत उनके बीज से उगायी गई फसल में दूसरे प्रकार के बीजों की तुलना में अधिक उपज नहीं होती है ।

मैसूर की रेलवे लाइनें

†१३७४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है कि कोट्टूर-हरिहर लाइन, हुबली-करवार लाइन तथा रायचूर -कोप्पल लाइन को मिला दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावित लाइनों का अन्तिम सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) स्वातन्त्रता प्राप्ति के बाद से मैसूर राज्य में कितने मील रेलवे लाइनें बना ली गई हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) मैसूर सरकार ने तीसरी योजना में जिन नई लाइनों के निर्माण की सिफारिश की है वह कोट्टूर-हरिहर, हुबली-करवार तथा रायचूर गडग की रेलवे लाइनें हैं ।

(ख) तीसरी योजना की नई लाइनों के निर्माण के रेलवे के कार्यक्रम में इन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मैसूर राज्य में १५८ मील की नई लाइनों के निर्माण को तीसरी योजना में शामिल किया गया है और काम शुरू कर दिया गया है । बंगलौर-सैलम रेलवे लाइन का काम हो रहा है ।

नौवहन सेवायें

†१३७५. **श्री वारियर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में भारतीय जहाजों से (एक) तटीय व्यापार तथा (२) विदेशी व्यापार कितने टन भार ढोया गया ; और

(ख) इसी अवधि में भारतीय जहाजों से विदेशी व्यापार से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

दक्षिण रेलवे के पंजीबद्ध दावे

†१३७६. **श्री वारियर** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ तथा १९६३ में दक्षिण रेलवे के केरल क्षेत्र में अब तक कितने दावे पंजीबद्ध हुए हैं तथा उन दावों की रकम कितनी है ;

(ख) कितने दावे तय हो गये हैं ; और

(ग) दो वर्ष, एक वर्ष छः महीने तथा तीन महीने से कितने दावे लम्बित हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग) क्योंकि रेलवे राज्य-वार आधार पर दावों के आंकड़े नहीं रखती है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

कृषि समितियों को ऋण

†१३७७. **श्री शिव मूर्तिस्वामी** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल की घोषणा के बाद से देश में राज्यवार कृषि समितियों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कितनी रकम ऋण के लिए स्वीकार किए गए थे ;

(ख) सी अवधि में किसानों को कितना धन वितरित किया गया ;

(ग) क्या खाद्यान्न उत्पादकों के लिए विशेष ऋण सुविधायें ी गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादकों को ऋण देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख) भारत का रिजर्व बैंक कृषि समितियों को सीधे ऋण नहीं देता है परन्तु राज्य सहकारी बैंकों को धन की व्यवस्था कर देता है जो कृषि समितियों को प्रत्येक वर्ष सीमा निर्धारित करके विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा धन दिलवाता है । १९६२–६३ में तथा १९६३–६४ (५ नवम्बर, १९६३ तक) राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण सीमा दिखाने वाला विवरण सम्बद्ध है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२०७१/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त ऋण सीमा बैंक की दर से २ प्रतिशत ब्याज रियायती दर पर सहकारी बैंक को दी जाती है। कृषि कार्यों तथा खाद्यान्न उगाने वालों की आवश्यकता के लिए धन देने के लिए उपलब्ध की जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी चीनी कारखाना

†१३७८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनेगुडी, कमालपुर की जनता से कोई प्रभ्यावेदन मिला है कि हाम्पी विजय नगर के निकट सहकारी चीनी कारखाना शुरू करने के लिए उनको लाइसेंस दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो कब और केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) और (ख) जी हां। इस सहकारी समिति के आवेदन पर इस महीने निर्णय लेते समय पूर्ण विचार किया जायेगा ?

सस्ता प्रोटीन कारखाना

†१३७९. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ता प्रोटीन बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब शुरू होगी और क्या इसमें सहयोग करने के लिये किसी विदेश अथवा देश से कोई प्रस्ताव मिला है ;

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख) प्रोटीनवाले खाने योग्य मूंगफली के आटे के दो कारखाने भारत सरकार यूनीसेफ तथा दो गैर सरकारी तेल मिलें के सहयोग से बम्बई और कोयमबटूर में स्थापित किए गए हैं। यूनीसेफ तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिये कम कीमत के प्रोटीन वाले भोजन का विकास तथा प्रचार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आसाम में रेलवे पुल

†१३८०. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सुबानसिरी नदी रेलवे पुल का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितनी लागत पर ; और

(ग) इस पुल की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) अभी नहीं। आशा है कि सभी गर्डर इस महीने तक लगा दिए जायेंगे पुल की लागत लगभग १२३ लाख रुपये है इस में से गर्डरों को लगाने तथा उनके संभरण का व्यय लगभग १६२ लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुल एक लाइन वाला मीटर गज का है जिसमें २०० फिट गर्डर के १३ स्थान हैं। खंभ गहरे लगाए गए हैं तथा उनका डिजाइन ऐसा बनाया गया है जिससे बड़ी लाइन भी उस पर से निकल सके ।

त्रिपुरा-आसाम डाक सेवा

†१३८१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काबिनगरज अगरताला सड़क पर बाढ़ का पानी भर जाने के कारण अक्तूबर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में आसाम और त्रिपुरा के बीच डाक सेवा बन्द हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये डाक सेवा बन्द कर दी गई थी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जी हां। ७ अक्तूबर, १९६३ को त्रिपुरा के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई थी जिसके कारण आसाम और त्रिपुरा के बीच डाक सेवा बन्द हो गई थी। पुल आदि के टूट जाने के कारण कुछ समय के लिये सभी गाड़ियों का आवागमन रुक गया था तथा दो दिनों तक विमान से डाक ले जाना भी संभव नहीं था ।

(ख) एक मोटर सेवा ७ से ९ अक्तूबर, १९६३ के बीच अगरताला और तेलियापारा तथा ७ से १० अक्तूबर, १९६३ के बीच बोलियापारा और भर्मनगर में चालू नहीं की जा सकी थी। ७ और ८ अक्तूबर, १९६३ को विमान से भी डाक नहीं उठाई जा सकी। ११ अक्तूबर, के बाद गाड़ियों चलने योग्य सड़क हुई थी और उसी तारीख से डाक मोटर सवा चालू हो गई है।

हवाई अड्डे पर दूरी नापने का उपकरण

†१३८२. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के हवाई अड्डों पर दूरी नापने के उपकरण लगाये जायेंगे जिससे उड़ते हुए विमान हवाई अड्डे की ठीक दूरी जान सकें ?

†**परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: जी हां, ज्यूं ही नवीनतम नमूने के उपकरण उपलब्ध होंग ।

इगतपुरी भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण

†१३८३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेलवे के इगतपुरी-भुसावल सेक्शन के विद्युतीकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) (१) इगतपुरी-भुसावल सेक्शन के विद्युतीकरण के लिये १८.१३ करोड़ रु० के प्राक्कलन मंजूर किये गये हैं ।

(२) इस संशोधन का असैनिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और कुछ स्थानों पर पटरियां बिछाना और प्लेट फार्म को ठीक करना और सायदार शेड बनाना, पानी का स्थान बदलना, पैदल/सड़क ऊपरी पुल बनाना आदि कार्य पूरे होने वाले हैं ।

(३) २५ कि० वा० के उपरि उपकरण के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है । इगतपुरी से नन्दगांव तक के सेक्शन पर ओ० एच० ई० के सम्भरण और स्थापन के लिये शीघ्र ही टेन्डर मांगे जायेंगे ।

(४) विशिष्ट 'सिगनलिंग प्लान' और 'सर्किट डायग्राम' तैयार कर लिये गए हैं और कम/अधिक शक्ति वाले "ओवरहैड एरियल लाइन्स" को बदलने के लिये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(५) बिजली के सम्भरण के लिये महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ व्यवस्था कर ली गई है ।

(ख) इगतपुरी-भुसावल सेक्शन का विद्युतकरण दो भागों में किया जा रहा है । इगतपुरी से नन्द गांव तक भाग–१ का काम मार्च, १९६६ तक पूरा हो जायेगा और नन्दगांव से भुसावल तक भाग—२ का काम दिसम्बर, १९६६ तक पूरा हो जायेगा ।

वनों का विकास

†१३८४. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री बालगोबिन्द वर्मा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में वनों के विकास के लिये १९६२–६३ में कोई सहायता दी गई थी अथवा १९६३–६४ में देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९६२–६३ में उत्तर प्रदेश को राज्य के वन और भूरक्षण योजनाओं के लिये ५९.३४ लाख रु० की राशि ऋण के रूप में और १८.४२ लाख रु० की राशि अनुदान के रूप में मंजूर की गई थी । १९६३–६४ में ८३ लाख रु० की राशि ऋण के रूप में और १७.३० लाख रु० की राशि अनुदान के रूप में निर्धारित की गई है । इस के अतिरिक्त १९६२–६३ में ६ लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया है और १९६३–६४ के लिये ५ लाख रु० की राशि प्रशासनिक रूप से केन्द्र द्वारा आयोजित 'शीघ्र उगने वाले पेड़ पौदों के वनीकरण' की योजना के लिये मंजूर की गई है ।

उत्तर प्रदेश में रेलवे कर्मचारियों के लिये विद्यालय

†१३८५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे विभाग द्वारा रेलवे कर्मचारियों के बालकों को सामान्य शिक्षा देने के लिये कितने विद्यालय चलाये गये हैं ; और

(ख) उन विद्यालयों में किस स्तर तक शिक्षा दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १०२ ।

(ख) इन्टरमीडिएट कालेज—२

हाई स्कूल—४

प्राइमरी स्कूल—९६

उत्तर प्रदेश में स्वयंचालित टेलीफोन

†१३८६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्वयंचालित टेलीफोन हैं ; और

(ख) १९६३–६४ में ऐसे कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे और वे उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर लगाए जायेंगे ?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) २०,७३० ।

(ख) (१) ४,३०० ।

(२) उत्तर प्रदेश में जिन स्थानों पर ये टेलीफोन लगाये जायेंगे उनको दिखाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७२/६३**]

छपरा कचेरी स्टेशन

†१३८७. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छपरा कचेरी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर हाल ही में बनी चार दीवारी में जो कच्ची नाली है वह बह निकली है और सड़कों पर और विशेषतया स्टेशन को जाने वाली सड़कों पर पानी जमा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि थोड़ी सी वर्षा से भी सड़क पर काफी पानी जमा हो जाता है और यात्रियों को स्टेशन जाने के लिये घुटनों घुटनों पानी में से गुजरना पड़ता है; और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं, रेलवे भूमि पर और अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिये जो चार दीवरी बनाई गई है उसके कारण पानी जमा नहीं होता क्योंकि दीवार के बाहर एक नाली बनाई गई है ।

(ख) क्योंकि सड़क के किनारे वाली भूमि बसों के ठहराने/चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिये रेलवे के लिये सड़क का उचित रूप से संधारण करना कठिन हो गया है । रेलवे ने बार बार सिविल अधिकारियों से क्षेत्र को खाली कराने के लिये कहा है परन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है ।

(ग) इसके उपयुक्त संधारण के लिये सड़क को राज्य सरकार को सौंपने का फैसला किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तार और टेलीफोन सेवायें

१३८८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तार और टलीफोन सेवा के बारे में कोई विशेष योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा।

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच, उस क्षेत्र में पर्याप्त टेलीफान और तार परिपथ में जाने के लिए एक नये ट्रंक लाइन बनाई जा रही है जिसकी अनुमानित लागत २,८५,००० रुपये है।

बागबानी का विकास

†१३८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में पंजाब सरकार को बागवानी के विकास के लिये अनुदान और ऋण की कितनी राशि दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि आशा है कि १९६३–६४ में बागबानी के विकास के लिये ऋण अथवा अनुदान के रूप में उन्हें किसी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

डाक तथा तार विभाग द्वारा की गई खरीद

†१३९०. **डा० मेलकोटे** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि डाक और तार के किसी भी ऐसे यूनिट में जहां एक लाख रु० से अधिक का व्यय फालतू पुर्जों के खरीदनें पर किया जाता हो उस यूनिट का प्रभारी एक गजेटिड अधिकारी चार वर्ष से अधिक तक रह सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) डाक और तार के एक यूनिट में फालतू पुर्जों पर जो राशि व्यय की जाती है उसका उस यूनिट के प्रभारी गजेटिड अधिकारी के पद पर रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

साधारणतया गजेटिड अधिकारी एक स्थान पर चार वर्ष से अधिक नहीं रहते। किन्तु यदि इस अवधि में अथवा इसके जारी रहने की अवधि में कोई अधिकारी स्थानांतरित किया जाता है अथवा उसी स्थान में किसी अन्य पद पर उसकी पदोन्नति

---

†मूल अंग्रेजी में

होतीं है, तो उस स्थान पर ६ वर्ष से अनधिक अवधि तक उसे रखा जा सकता हैं। इन आदेशों को ३१ मार्च, १९६४ तक के लिये, आपात के कारण और स्थानांतरण यात्रा भत्ते के व्यय को कम से कम करने के लिये स्थगित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीप्रिन्टर आपरेटर

†१३९१. **डा० मेलकोटे :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६२ के बाद भारत के विभिन्न तार घरों में टेलीप्रिन्टर आपरेटरों की प्रति व्यक्ति प्रति घंटा कार्य क्षमता कम हो गई है;

(ख) क्या ऐसा अप्रैल, १९६२ में 'प्रोत्साहन व्यवस्था' लागू करने से हुआ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

वन अनुसन्धान संस्था द्वारा सर्वेक्षण

†१३९२. **श्री हेम राज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन अनुसन्धान संस्था ने विभिन्न राज्यों के वनों पर आधारित उद्योगों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं। तथापि १९५८ में वन पर आधारित उद्योगों का सर्वेक्षण इस मंत्रालय द्वारा खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिये प्रान्तीय अध्ययन के भाग के रूप में किया गया। उसके परिणाम एक 'टिम्बर ट्रेंड्स स्टडी फॉर दि फार ईस्ट' नामक प्रकाशन में उल्लिखित किये गये हैं।

(ख) इसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय को दे दी गई हैं।

टेलीफोन संयंत्र के लिये विश्व बैंक से ऋण

†१३९३. **श्री दाजी :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने एक टेलीफोन संयंत्र के निर्माण के लिये एक ४२० लाख डालर का ऋण मंजूर किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†डाक तथा तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ४२० लाख डालर का लिया गया ऋण तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूर-संचार के विकास के लिये उपकरण खरीदने के लिये है।

(ख) कुछ क्रयादेश पहले से ही दे दिये गये हैं और कुछ मामलों में टेंडर मांगे गये हैं।

चावल का उत्पादन

†१३६४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों में चावल के उत्पादन का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). तीसरी योजना में खेती के उत्तम तरीके अपना कर जिसमें उर्वरकों और हरी खाद का प्रयोग भी शामिल है, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के सारे कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के लिये चावल का उत्पादन कार्यक्रम और इस दिशा में उठाये गये कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन चावल खेती कार्यक्रम को जिला रायपुर, मध्य प्रदेश; जिला शाहाबाद, बिहार; जिला थंजाबूर, मद्रास; जिला पश्चिमी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश; जिला भंडारा, महाराष्ट्र; जिला सम्बलपुर, उड़ीसा; जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल; जिला मांडया, मैसूर; जिला कचार, आसाम में आरम्भ किया गया है।

(२) चालीस महत्वपूर्ण चावल उत्पादक जिलों में जहां चावल का अधिक उत्पादन हो सकता है उत्तम पद्धति अपनाई जायेगी।

(३) धान की खेती के जापानी तरीके को और लोकप्रिय बनाया जायेगा।

(४) रानाघाट (जिला नादिया, पश्चिमी बंगाल) चकूली (जिला सम्बलपुर, उड़ीसा), आरा (बिहार) और ब्यारा (जिला सूरत, गुजरात) में जापान के सहयोग से खोले गये प्रदर्शन केन्द्रों को चुने हुए किसानों और विकास कार्यकर्ताओं को, चावल की खेती में जापानी उपकरणों और तकनीकी ज्ञान के प्रयोग के लिये, प्रशिक्षण देने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी विद्यार्थियों को यात्रा संबंधी रियायतें

†१३९५. श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विद्यार्थियों के दलों को रेलवे-यात्रा रियायतें पुनः दी जाने लगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसका क्या विवरण है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) १-११-१९६३ से विदेशी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को, जब वे कम से कम १५ की संख्या में (संरक्षक को छोड़ कर) दल के रूप में यात्रा कर रहे हों और भारत में शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशी विद्यार्थियों को, जब वे दीर्घावकाश में शिक्षा प्रयोजनों के लिये ऐतिहासिक अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर रहे हों, तो द्वितीय श्रेणी का डाक का भाड़ा देने पर प्रथम श्रेणी में, तृतीय श्रेणी का डाक का भाड़ा देने पर द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी का डाक का आधार भाड़ा देने पर तृतीय श्रेणी में यात्रा करने की रियायत दे दी गई है।

मत्स्य-पालन का विकास

१३९६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक मत्स्यपालन के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य को कितना धन दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : वर्ष १९६२-६३ में भारत सरकार ने पंजाब सरकार को राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत मछली पालन के विकास के लिये १,०२,०००/- रु० की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी थी। १९६३-६४ में इन योजनाओं के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता के आंकड़े वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्राप्त होंगे।

मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†१३९७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीहारी रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव अधिक समय से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण तेजी के कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) क्योंकि राज्य सरकार जनता के इस्तेमाल के लिये ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के व्यय को बर्दाश्त करने के लिये राजी नहीं हुई है इसलिये प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

टी० टी० ई०

†१३९८. श्री नि० सू० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी० टी० ई० को टिकटें देने और यात्रियों को रेल में यात्रा करने की आज्ञा देने की शक्ति प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पद्धति रेलवे के सभी जोनों में लागू है?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : (क) टी०टी०ई० को साधारण टिकटें देने अथवा यात्रियों को बिना उचित टिकटों के रेल में यात्रा करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तथापि उनको निम्न मामलों में अतिरेक भाड़ा टिकटें देने का अधिकार है ;

(१) यात्रियों द्वारा गार्डों से प्राप्त किये गये अनुज्ञा के प्रमाणपत्र के आधार पर;

(२) जब कोई यात्री अपनी यात्रा बढ़वाना चाहे ;

(३) जब कोई यात्री उच्चतर श्रेणी में यात्रा करना चाहे ;

(४) जब कोई यात्री स्वयं ही टी०टी०ई० को अपनी टिकट लेने की असमर्थता की सूचना दे ;

(५) जब कोई यात्री बिना टिकट के अथवा अनुचित टिकट के साथ यात्रा करता हुआ पकड़ा जाये।

(ख) जी हां।

नेपाल के साथ चावल और धान का व्यापार

†१३९९. श्रीमती रेणुका राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल और भारत के बीच चावल और धान का व्यापार सरकार के स्तर पर होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ब्यौरे तैयार किये गये हैं?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अं० म० थामस) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महिला समाज शिक्षा संयोजिका

†१४००. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिला समाज शिक्षा संयोजिका के पद को समाप्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) ऐसी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नैमित्तिक श्रमिक

†१४०१. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय अपने नैमित्तिक श्रमिकों को अन्य उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा उसी क्षेत्र में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी की अपेक्षा कम मजूरी देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) साधारणत: रेलवे में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों, जिन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम (केन्द्रीय) लागू होता है, को दी जाने वाली मजूरी और केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों और प्रतिष्ठानों में नियोजित ऐसे ही श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी की दर में कोई अन्तर नहीं है। दूसरों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी समान दर निर्धारित नहीं की है। रेलवे में ऐसे कर्मचारियों को स्थानीय चालू दर के अनुसार मजूरी दी जाती है।

डाक के फार्म

†१४०२. { **श्री हेम राज** :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारणत: डाकखानों में तथा विशेष रूप से कांगड़ा और पंजाब के अन्य समीवर्ती जिलों में डाक के फार्मों की अभी भी बड़ी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय ये फार्म केवल एक ही मुद्रणालय में छापे जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें सर्किलवार छापने का है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं

(ख) जी, नहीं। अलीगढ़, कलकत्ता और नासिक में तीन सरकारी मुद्रणालय तथा बहुत गैर-सरकारी मुद्रणालय डाक और तार के फार्म छापते हैं;

(ग) कम आवश्यक फार्म इस समय भी सर्किल वार छापे जाते हैं और सरकारी मद्रणालयों द्वारा सर्किलों की मांग पूरी न कर सकने पर आवश्यक फार्म भी सर्किल-वार छापे जाते हैं।

डाक और तार घर

†१४०३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर, नागालैंड, त्रियुरा और नेफ़ा में डाक घर, तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की संख्या क्या है; और

(ख) मनीपुर, नागालैंड, नेफ़ा और त्रिपुरा सरकारों में प्रत्येक ने कार्यालय के लिये वापस न किये जाने वाले चन्दे, किराये और गारंटी के रूप में कितनी राशि दी?

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती :) : (क) ३१ अक्तूबर, १९६३ के दिन :

	डाक घर	तार घर	सार्वजनिक टेलीफान कार्यालय
मनीपुर	१८२	८	८
नागालैंड	२४	५	३
त्रिपुरा	२१६	१९	१२
नेफा	३३	१०	६

(ख) वर्ष १९६२–६३* में डाकघरों के लिये वापस न किये जाने वाले चन्दे के रूप में दी गई राशि

	रु० न०पै
मनीपुर	१४,९४२.५०
नागालैंड	कुछ नहीं
नेफा	६,८४४.३२
त्रिपुरा	२३,०८५.५८

*चालू वर्ष में वापस न किये जाने वाले चन्दे के रूप में दी जाने वाली राशि वर्ष के अन्त में निर्धारित की जायेगी।

तारघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे समय सारिणी

†१४०४. **श्री अंजनप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वसाधारण को बेची गई, १ अक्तूबर, १९६३ से लागू होने वाली उत्तर रेलवे की समय सारिणी के अंग्रेजी संस्करण के कुछ पृष्ठ गायब थे ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के जन सम्पर्क कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत की गई थी ; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतियों को वापस लेने और प्रतियों के पुनःमुद्रण के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा मुद्रणालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)** : (क) १ अक्तूबर, १९६३ से लागू होने वाली उत्तर रेलवे की अंग्रेजी की समय सारिणी की छपी हुई तथा विक्रय के लिये दी गई ७५,००० प्रतियों में से २६ प्रतियां त्रुटिपूर्ण पाई गईं। इनमें कुछ पृष्ठ गायब थे और कुछ की दो दो प्रतियां थीं। यह गलती जिल्दसाजी करते समय हुई जो शारीरिक काम है ।

(ख) इस सम्बन्ध में शिकायतें उत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन अधीक्षक को प्राप्त हुई थीं।

(ग) शिकायत मिलते ही त्रुटिपूर्ण प्रतियों को अच्छी प्रतियों से प्रतिस्थापित किया गया और साथ साथ मुद्रक को भी त्रुटिपूर्ण प्रतियों को शुद्ध करने अथवा प्रतिस्थापित करने को कहा गया था। ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के हेतु जिल्दसाजी व्यवस्था पर अधिक नियन्त्रण रखने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं ।

ऊन का श्रेणीकरण[1]

†१४०५. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊन के श्रेणीकरण तथा ऊन उत्पादों के विकास, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या आस्ट्रलिया से मेरिनो नस्ल की किस्म की अच्छी भेड़ें मंगाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) देश में ऊन के श्रेणीकरण तथा ऊन उत्पादों के विकास, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

१. ऊन का श्रेणीकरण

(१) ऊन के श्रेणीकरण के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये जोधपुर में एक ऊन श्रेणीकरण प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ;

(२) राजस्थान में, जहां देश के ऊन उत्पादन का ४५ प्रतिशत ऊन पैदा की जाती है, बड़े पैमाने पर भेड़ कर्तन और ऊन श्रेणीकरण के लिये योजना बनाई गई है। तीसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wool grading

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में १० बड़े पैमाने के ऊन श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

नवलगढ़ और जोधपुर में पहले ही ऊन श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन स्थानों में ऊन स्तर निर्धारण की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं।

२. ऊन उत्पाद

अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय के एक विशेषज्ञ दल की सहायता से ऊन उद्योग को पुनः-स्थापित करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने के लिये एक व्यापक तथा निर्धारित योजना बनाने का निर्णय किया गया है।

(ख) विभिन्न देशों से अच्छी नस्ल की भेड़ें मंगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। आगामी छः महीनों में न्यूजीलैण्ड से विभिन्न नस्लों की लगभग ५०० भेड़ें तथा रूस से सोवियत मेरिनो नस्ल की लगभग ४०० भेड़ें आयात करने का विचार है। आस्ट्रेलिया मेरिनो नस्ल की भेड़ें नहीं मंगाई जा सकतीं हैं क्योंकि इनके उस देश से बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध है।

रेलवे पास

१४०६. **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में निःशुल्क यात्रा करने के लिये कितने व्यक्तियों को रेलवे पास (जो इस समय भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं) जारी किये गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो न तो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और न ही प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को किस आधार पर पास जारी किये गये हैं।

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ६००।

(ख) ४२।

(ग) अफसरों को पास इसलिये दिये गये हैं कि जब उन्हें सरकारी काम से यात्रा करनी हो, तो उनका इस्तेमाल करें।

गैर-रेलवे संगठनों/व्यक्तियों को रेलवे पास राष्ट्रीय महत्व के कामों में सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से दिये गये हैं; विशेष रूप से सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व के ऐसे कामों के लिए जिनमें इस तरह की सरकारी सहायता देना उचित समझा जाता है।

टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण कारखाना

†१४०७. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या डाक और तार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रकार के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज सम्बन्धी उपकरण के आयात करने का तथा भारत में इस उपकरण के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये टेंडर मांगे गये हैं तथा प्राप्त हो गये हैं; और

(ग) इन पर क्या निर्णय किया गया ?

डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

पंजाब में वनों का विकास

†१४०८. **श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार को पंजाब में वनों के विकास के लिये १९६२-६३ में कोई सहायता दी गई थी अथवा १९६३–६४ में देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) राज्यों को राज्य योजना सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है, योजनावार अथवा इकट्ठी कुछ योजनाओं के लिये नहीं । राज्यों को "वनों" के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता, विकास शीर्षक "वन तथा भू-संरक्षण" के अन्तर्गत दी जाती है ।

(ख) पंजाब सरकार को वन तथा भू-संरक्षण सम्बन्धी विकास योजनाओं के लिये १९६२–६३ के दौरान दी गई तथा १९६३–६४ के लिये आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७३/६३**]

जाब में डाक और तार कर्मचारी

†१४०९. **श्री दलजीत सिंह : क्या डाक और तार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्किल में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कुल कितने कर्मचारी हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७४/६३**]

पंजाब को वित्तीय सहायता

†१४१०. **श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) संघ सरकार द्वारा पंजाब सरकार को पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मीन क्षेत्रों के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) पंजाब सरकार को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मीन क्षेत्रों के विकास के लिये दी गई, तथा १९६३-६४ के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता की धनराशि और राज्य सरकार द्वारा १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान वस्तुत: किये गये खर्चे के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०७५/६३]

रेलवे दुर्घटना का टलना

†१४११. श्री फ० गो० सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम कटिहार स्टेशन के एक केबिनमैन ने ६ जून, १९६३ को शाम के साढ़े चार बजे दो गाड़ियों—३७ अप इलाहाबाद यात्री गाड़ी तथा ३ अप आसाम डाकगाड़ी—को रोक कर आमने-सामने की टक्कर से होने वाली भयानक रेलवे दुर्घटना को अपनी विचारशीलता तथा सूझ बूझ से बचा लिया ;

(ख) यदि हां, तो केबिनमैन का नाम क्या है तथा क्या उसको कोई पुरस्कार दिया गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे साइडिंग्स

†१४१२. श्री ह० च० सोय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बाराजामडा लौह अयस्क खनन क्षेत्र में रेलवे साइडिंग सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के मामले में अन्य गैर-सरकारी खान मालिकों के मुकाबले राज्य सरकार निगम के साथ पक्षपात बरता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नर्मदा नदी पर पुल

१४१३. श्री कछवाय : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथों पर नर्मदा नदी पर कितने स्थायी तथा अस्थायी पुल हैं ; और

(ख) उन पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च होता है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों में नर्मदा नदी पर कोई अस्थायी पुल नहीं है। इस नदी पर दो स्थायी पुल हैं; एक राष्ट्रीय पुल मुख्य मार्ग संख्या ७ (बनारस-कन्या कुमारी सड़क) में तिलवाड़ा घाट पर और दूसरा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या ३ (आगरा बम्बई सड़क) में कालघाट पर। इसके अलावा इस नदी के ऊपर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या २६ (झांसी लखनाडोम सड़क) में ब्राह्मणघाट पर एक और स्थायी पुल बनाया जा रहा है। इस पुल के अगले वर्ष के शुरू में तैयार हो जाने की सम्भावना है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चूंकि राष्ट्रीय मुख्यमार्गों पर पुलों की देखभाल पर होने वाला खर्च अलग नहीं रखा जाता है बल्कि समस्त राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की देखभाल के खर्चे में शामिल किया जाता है, अतः इस खर्चे की राशि अलग बताना सम्भव नहीं है ।

डेरी उद्योग का विकास

†१४१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन की विश्व खाद्य पदार्थ कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्सरकारी समिति ने रोम में हुई अपनी एक हाल की बैठक में भारत के डेरी उद्योग के विकास के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर आने वाली लागत तथा इसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसमें खाद्य तथा कृषि संगठन का अंशदान क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक टिप्पण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७६ / ६३**]

बस्तर जिले को दिया गया चावल

†१४१५. **श्री लखम् भवानी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में बस्तर जिले की आवश्यकता पूर्ति के लिये कितना चावल केन्द्रीय खाद्य भंडार से बस्तर जिले को दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : केन्द्रीय खाद्य भण्डार से खाद्यान्न राज्य सरकारों को दिया जाता है और वे अपने जिलों को उनकी आवश्यकता अनुसार उसे बांटती हैं । ३१ अक्तूबर, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिले हुए चावल में से २,४१६ मीट्रिक टन चावल बस्तर जिले को उचित मूल्य पर बेचने वाली दुकानों द्वारा वितरण के लिये दिया । उससे पहिले अर्थात ३१ अक्तूबर, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य सरकार ने केवल ८८ मीट्रिक टन चावल उस चावल में से दिया था जो कि राज्य में ही प्राप्त किये गये धान से निकाला गया था ।

डाक और तार कर्मचारियों के लिये मकान

†१४१६. **श्री याज्ञिक :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के डाक और तार कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) इस कार्य पर वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि इसके लिये आवश्यक भूमि अर्जित कर ली गई है, परन्तु फिर भी अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में मकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) २,८५,५०० रुपये ।

(ख) १,४८,३३५ रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

कृषि परियोजनाओं के विशेषज्ञों की बैठक

†१४१७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में हुई कृषि परियोजनाओं के विशेषज्ञों की बैठक के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) आगे होने वाले कार्य के बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्वीकृत प्रतिवेदन का सारांश क्या है ; और

(घ) बैठक की अन्य मुख्य सफलतायें क्या हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ६,७०० रुपये (उन बिलों सहित जिनका अभी फैसला नहीं हुआ) ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७७/६३]

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०७८ / ६३]

(घ) बैठक से कृषि परियोजनाओं के बारे में अपनाये जाने वाले तरीकों के सम्बन्ध में विचारों के आदान प्रदान का बहुत लाभप्रद अवसर प्राप्त हुआ । बैठक में हुई चर्चा में भाग लेने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह भारत के विशेषज्ञों के लिये उनके कार्य में अत्यधिक सहायक होगा ।

राज्यों के लिये गुड़ का कोटा

†१४१८. श्री पु० र० पटेल: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों को गुड़ का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया है ; और

(ख) आवंटन किन सिद्धांतों पर किया गया है ?

---

†तून अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) नवम्बर और दिसम्बर, १९६३ के लिये विभिन्न राज्यों को गुड़ के आयात के लिये आवंटित किया गया कोटा निम्न प्रकार है:

राज्य/क्षेत्र	आयात करने के लिये किया गया आवंटित कोटा	
	(टनों में)	
	नवम्बर, १९६३	दिसम्बर, १९६३
आसाम	१,१००	७००
गुजरात	५,६००	१०,५००
केरल	१,०००	१,६००
मद्रास	१००	—
मध्य प्रदेश	२,०००	२,५००
महाराष्ट्र	३,०००	३,५००
मैसूर	४००	४००
उड़ीसा	१,०००	१,०००
पंजाब	६,०००	६,०००
राजस्थान	३,३५०	५,०००
पश्चिमी बंगाल	५,१००	६,०००
दिल्ली	१,०००	२,०००
कुल	२९,६५०	३९,२००

(ख) कोटों का आवंटन गत दो वर्षों के सम्बन्धित महीनों के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे गये गुड़ के उपलब्ध आंकड़ों तथा राज्यों द्वारा बताई गई उस मात्रा के आधार पर किये गये थ, जो वे अपनी पूर्ति के बाद निर्यात के लिये उपलब्ध करने को तैयार थे।

फोक्कर फ्रेंडशिप सेवा

†१४१९. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तीसरी योजना अवधि में फोक्कर फ्रैंडशिप विमान सेवाओं को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर;

(ग) क्या यह तथ्य है कि अगरतला को फोक्कर फ्रैंडशिप सेवा, हाल ही में हटा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुईउद्दीन) : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब अमृतसर, इम्फाल, पटना और लीलाबारी हावई अड्डे एफ-२७ उड़ानों के लिये तैयार हो जायेंगे, निगम ने फोक्कर फ्रैंडशिप की निम्न सेवाएं जारी करने की अपनी योजनाए बनाई हैं :—

१. दिल्ली—अमृतसर—जम्मू श्रीनगर :

२. कलकत्ता—अगरतला—सिल्चर—इम्फाल ।

३. दिल्ली—लखनऊ—इलाहाबाद—बनारस—पटना—कलकत्ता ।

४. कलकत्ता—गौहाटी—तेजपुर—जोरहाट—लीलाबारी—मोहनबाड़ी

(ग) जी हां ।

(घ) एक दुर्घटना में एक वाइकाउंट विमान के नष्ट हो जाने के कारण उड़ान कारणों से विमान का मार्ग बदलना पड़ा और इसी कारण अगरतला सेवा को बन्द करने की जरूरत पड़ी ।

खाद्यान्नों का आयात

†१४२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के आयात को घटाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां ।

(ख) आयात की आवश्यकता देशी सम्भरण की कमी और शीघ्र ही हमारा बफर स्टाक बनाने की तत्काल आवश्यकता के कारण होती है । जब तक ये बातें रहेंगी, आयात बन्द नहीं हो सकेगा, यद्यपि आयात को कम करने के लिये लगातार प्रयत्न किया जा रहा है ।

मंगलौर पत्तन

†१४२१. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन मंत्री** ३ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रविधिक सलाहकार समिति का काम पत्तन के लेआउट और डिजाइन की जांच पड़ताल करना तथा परियोजना से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी मामलों पर मंत्रणा देना है । समिति ने मार्च १९६३ में अपनी पहली बैठक की थी और परियोजना का मंटा व्यौरा तथा पत्तन का स्थान मंजूर किया । समिति ने सिफारिश की कि सभी प्रारम्भिक कार्य, अर्थात् भूमि अभिग्रहण, क्वार्टरों का निर्माण, दफ्तरों के स्थान और बाहरी नहर में योगात्मक ड्रेजिंग कटाव तुरन्त आरम्भ किया जा सकता है । प्रयोगात्मक ड्रेजिंग का ठेका अक्तूबर, १९६३ में दिया गया था और काम पूरा कर लिया गया है । भूमि अभिग्रहण का काम प्रगति पर है । क्वार्टरों, दफ्तरों के स्थान, अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों के निर्माण का काम मंजूर किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्यपालन उद्योग

†१४२२. **श्री इम्बीचीबावा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने मत्स्यपालन उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये कितने उद्योग नियत किये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग विद्यमान हैं ; और

(घ) वर्तमान योजनाअवधि में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु क्या पग उठाये गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) जब कि तीसरी योजना हमारे मत्स्यपालन संसाधनों के उपयोग के लिये सुविधाओं में अभिवृद्धि का विकास करने के लिये बनाई गई है, मत्स्यपालन उद्योगों की स्थापना योजना का समूचा भाग नहीं है और गैर सरकारी उपक्रम के लिये छोड़ दिया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मछली तथा मछली तेल उद्योग

†१४२३. **श्री इम्बीचीबावा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली और मछली के तेल का बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिये पग उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) विशेष रूप से मछली तथा मछली के तेल के लिये बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

समुद्रीय प्रौद्योगिकीय के अध्ययन की संस्था

†१४२४. **श्री इम्बीचीबावा : क्या खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में पोनानी के स्थान पर मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह के रूप में समुद्रीय प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिये एक संस्था स्थापित करने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, जो जांच से क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) पोनानी में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। तकनीकी समुद्रीय प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्था स्थापित करने के प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्बनिक खाद

†१४२५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाले बेकार पदार्थों के कार्बनिक खाद के तौर पर प्रयोग किए जाने की संम्भावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका पूर्ण एवं प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) (एक) विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०७८/६३।]

विमान सेवायें

†१४२६. **श्री ह० च० सोय :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची, दुर्गापुर, रूरकेला और भिलाई का बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के साथ तथा आपस में कोई विमान परिवहन सम्पर्क नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपेक्षित विमान सम्पर्क की व्यवस्था करने का विचार करती है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स ने रांची और रूरकेला का कलकत्ता के साथ मिलाने वाली विमान सेवा की व्यवस्था की है। १ फरवरी, १९६४ से, वे मार्ग जमशेदपुर/रूरकेला/रामपुर/नागपुर/जबलपुर/मार्ग पर प्रयोगात्मक आधार पर सप्ताह में तीन बार विमान सेवा चलाने की आशा करते हैं। ये सेवा भिलाई के लिये विमान सम्पर्क की व्यवस्था करेगी, जो रायपुर से लगभग २० मील दूर है। इस समय दुर्गापुर में कोई विमान सेवा की व्यवस्था करने का विचार नहीं।

भारतीय रेलों के इंजीनियर

†१४२७. **श्री अ० प० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों पर मैकेनिकल तथा सिविल इंजियनियरों के सभी संवर्गों की वर्तमान अपेक्षित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या रेलवे में उन की अपेक्षित संख्या नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित संख्या में उनकी भरती करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) १३५० सिविल इंजीनियर, ६३० मैकेनिकल इंजीनियर।

(ख) रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अफसर पूरी संख्या में हैं ; और सिविल इंजीनियर १३५० पदों में से १३०० हैं तथा उनकी ५० की कमी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपेक्षित संख्या में अफसर इस कमी को पूरा करने के लिये भरती कर लिये गये हैं और वे इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर छः महीने में वे अपने काम संभाल लेंगे।

कोचीन पत्तन

†१४२८. **श्री अ० व० राघवन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और अयस्क के लिये कोचीन पत्तन पर एक खुला बर्थ बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसका डिजाइन तैयार किया गया है, और

(ग) इस नये बर्थ का अनुमानित व्यय क्या होगा और काम कब आरंभ किया जाएगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) बर्थ की अनुमानित लागत लगभग ८४ लाख रुपये है। सरकार द्वारा प्राक्कलन मंजूर किये जाने पर काम आरम्भ होगा।

भारत और पूर्व जर्मनी के बीच नौवहन सेवा

†१४२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पूर्व जर्मनी ने दोनों देशों के बीच संयुक्त नियमित नौवहन सेवाएं संचालित करने के बारे में करार किया है, और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं तथा नौवहन सेवा की प्रस्तावित बारम्बारता* कितनी होगी ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नौवहन महानिदेशक तथा जर्मन प्रजातंत्री गणतंत्र के प्रतिनिधि मंडल के बीच हाल ही में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के समुद्री पत्तनों के बीच संयुक्त नियमित नौवहन लाइन आयोजित करने का फैसला किया गया है,

(ख) स्वीकार की गई मुख्य शर्तें ये हैं, जो पारस्परिक आधार पर होंगी :—

(१) दोनों देशों के जहाजों तथा उनके चालकों एवं माल को सर्वाधिक पक्षित राष्ट्र व्यवहार, और

(२) भाड़ा आय के बारे में समानता। सेवा संचलन संबंधी बारम्बारता तथा अन्य प्रश्नों पर, दोनों देशों के बीच पत्रों के विनिमय की सुनिश्चितरूप में, सक्षम अधिकारियों के बीच बातचीत होने के पश्चात् निर्णय किया जाएगा।

मद्रास में डिंडीगुल से गुण्डालूर तक रेलवे लाइन

†१४३०. **श्री मलाइछामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में डिंडीगुल से गुण्डालूर तक रेलवे लाइन बनाने के लिये इंजीनियरिंग या कोई अन्य प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

*Frequency.

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में निर्माण कार्य आरंभ किये जाने की कोई संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) डिंडिगुल से गुडालूर तक मीटर गेज लाइन के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण १९४६—४८ में किये गये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) १९४८ में लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत १९३ लाख रुपये थी और वित्तीय दृष्टि से इस लाइन के निर्माण का औचित्य नहीं था । लाइन तीसरी योजना में बनाई जाने वाली नवीन लाइनों की सूची में शामिल नहीं है ।

शिकोहाबाद-टूण्डला सेक्शन पर लूट के मामले

†१४३१. श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर शिकोहाबाद तथा टूण्डला के बीच यात्री तथा माल गाड़ियों पर इस वर्ष में अब तक, लूट की कितनी घटनाएं हुई और प्रत्येक में कितनी हानि हुई ; और

(ख) कितने मामलों में रेलवे कर्मचारियों को लूटा गया ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक माल गाड़ी के गार्ड की हाथ की एक घड़ी के लूटे जाने की सूचना मिली है । एक मामला नकद तथा १३५ रुपये लागत की घड़ी लूटी गई ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†१४३२. श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मुफ्त यात्रा करने देता है ।

(ख) यदि हां, १९६० से १९६३ तक कितने और कौन २ व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा करने दी गई, और

(ग) मुफ्त यात्रा वौचर कितनी राशि के जारी किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स जन सम्पर्क तथा प्रचार संबंधों के लिये मुफ्त/रियायती यात्रा की अनुमति देता है । अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था विनिमयों के अन्तर्गत, यह निगम पारस्परिक आधार पर, अन्य विमान समवायों के कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों को तथा अभिकर्ताओं को, मुफ्त/रियायती यात्रा की भी अनुमति देता है ।

(ख) १९६० से ३० सितम्बर, १९६३ तक मुफ्त/रियायती यात्रा अनुमति की संख्या इस प्रकार है :—

	१९६०	१९६१	१९६२	३० सितम्बर १९६३ तक
अन्तर-विमान समवाय संबंध .	९६६	१३६८	१५७८	१२८२
अभिकर्ता . . .	६८०	७०५	७३७	५६८
जन सम्पर्क तथा प्रचार संबंध .	१०३	८५	९८	६४

जिन लोगों को ऐसी यात्रा की अनुमति दी गई है उनकी सूची तैयार करने के लिये पिछले चार वर्षों में अभिलेखों को देखने में बहुत परिश्रम करना होगा ।

(ग) निगम मुफ्त/रियायती पासों की लागत का कोई पृथक लेखा नहीं रखता और इस बारे में आंकड़े संकलन पर पर्याप्त समय तथा मेहनत खर्च होगी ।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब

१४३३. श्री कछवाय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब साधारण जनता को विमान में सैर करने के लिये जो सेवा चला रहा था, वह बंद कर दी गयी है ,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको पुनः प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). जी नहीं । दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहले की तरह सरगर्मी से काम कर रहा है, लेकिन इसके जहाज इण्डियन एयर फोर्स के कैडिटों की ट्रेनिंग के लिये पूरी तरह इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इसलिये इसके पास हवाई जहाज में सैर कराने के लिए फिलहाल कोई जायद जहाज नहीं हैं ।

जब भी क्लब के पास जायदा जहाज मुयस्सर हों इसको आम लोगों को हवाई जहाज में सैर कराने की पूरी आजादी है ।

†मूल अंग्रजी में

चीनी की कीमत

†१४३४. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६३ में सरकार द्वारा घोषित चीनी की अधिकतम कीमत विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में चीनी की उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) उद्योग को, प्रत्येक क्षेत्र के लिये कीमत निर्धारित करते समय, चीनी की प्रति मन कितना लाभ दिया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) **और** (ख). सरकार द्वारा १८ नवम्बर, १९६२ के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० १७८२ के द्वारा घोषित चीनी की अधिकतम कीमत फैक्टरी से निकलते समय, अनुमानों पर आधारित होती है। प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादन लागत अप्रैल, में पिराई ऋतु समाप्त होने और उसके चीनी की उपलब्धि मालूम होने पर भी जानी जा सकती है।

(ग) यह चीनी के लागत ढांचे और औद्योगिक उद्योग को देय उचित दाम के संबंध में १९५९ की रिपोर्ट में प्रकाशित लागत अनुसूचियों के अन्तर्गत प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुज्ञेय लगाई गई पूंजी पर १२ प्रतिशत लाभ में शामिल की गई है । इस आय में कुछ कम आते हैं, अर्थात् उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, लाभांश, उपदान, प्रबंध अभिकर्ता का कमीशन आदि, और उद्योग का लाभ भी शामिल है ।

हिन्दी सहायक

१४३५. **श्री रा० स० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के हिन्दी सहायकों के पद असंक्रान्त पद माने जाते हैं और उनको स्थायी करने से पहले उनसे लिखित घोषणा करा ली जाती है कि वे अन्य शाखाओं में पदोन्नति या स्थानान्तरण के हकदार नहीं होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ सहायकों को स्थायी करने के बाद भी पदोन्नति करके या अन्यथा दूसरी शाखाओं में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हिन्दी सहायकों के पद अपवर्जित पद हैं, इसलिए हिन्दी सहायकों की तरक्की उन पदों पर नहीं की जाती जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवाओं के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन अन्य अपवर्जित पदों पर हिन्दी सहायकों को तरक्की देने पर कोई रोक नहीं है । प्रश्न में जिस घोषणा का उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई घोषणा उनसे नहीं ली जाती ।

(ख) **और** (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानें

†१४३६. श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानों में यात्रा करने के लिये आमंत्रित लोगों को चुनने की कसौटी क्या है ?

(ख) वह चुनाव किस के द्वारा किया जाता है ; और

(ग) १९६० से १९६३ तक एक से अधिक उद्घाटन उड़ानों के लिये कितने व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानों में यात्रा करने के लिये आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्तियों की कसौटी निगम का व्यापार सम्बन्धी महत्व प्रचार और लोक सम्पर्क, सद्भावना तथा सम्मान आदि बातें हैं।

आमंत्रित व्यक्ति व्यापारी सार्थों और संघों, यात्रा अभिकरणों के प्रतिनिधि, अन्य विमान समवायों के प्रतिनिधि, समाचारपत्र और भारतीय तथा विदेशी सरकारों के अधिकारी तथा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

(ख) उनका चुनाव प्रबन्धकों द्वारा, विभिन्न विक्रय क्षेत्रों के प्रबन्धकों के परामर्श से किया जाता है ।

(ग) यह सूचना देना वांछनीय नहीं समझा जाता, क्योंकि इससे सद्भावना समाप्त हो सकती है और उससे राष्ट्रीय विमान समवाय के हितों को हानि हो सकती है ।

शक्तिचालित हलों का आयात

†१४३७. श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शक्तिचालित हल जापान से मंगाने के लिए सरकार येन ऋण के कुछ हिस्से का उपयोग करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रकम का उपयोग किया जायेगा और बिजली से चलने वाले कितने हल मंगाये जायेंगे ; और

(ग) भारत में ऐसे हल तैयार करने की कुल लाइसेंस शुदा तथा वास्तविक क्षमता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग ४० लाख रुपये की कुल लागत से शक्तिचालित लगभग ६०० हल आयात करने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी रकम नियत की जाये इस पर अभी विचार हो रहा है।

(ग) भारत में शक्तिचालित हल तैयार करने की लाइसेंसशुदा क्षमता लगभग २७,००० प्रति वर्ष की है। फिर भी वास्तविक उत्पादन अभी आरम्भ नहीं आ है।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को ओवर-टाइम भत्ता

१४३८. श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बेअरा :
श्री किशन पटनायक :
श्री यू० द० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लहरी सिंह :
श्री उटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ह० च० सेय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री कल्याय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों से दिन में आठ घंटे से अधिक ड्यूटी ली जाती है और उनको कोई ओवरटाइम भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों को, जबकि उन्हें किसी एक विशेष दिन आठ घंटे से अधिक कार्य करना पड़ता है, उसके लिए ओवर-टाइम भत्ता दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों के वेतन

१४३९. श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बेसरा :
श्री किशन पटनायक :
श्री यु० द० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लहरी सिंह :
श्री उटिया :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ह० च० सोय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जिस वेतन-मान में कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वह वेतन-मान नहीं दिया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) (क) ३०-११-१९६३ को स्थिति ।

श्रेणी १ (राजपत्रित)	१४
श्रेणी २ (राजपत्रित)	२९
श्रेणी २ (अराजपत्रित)	६
श्रेणी ३	५३५
श्रेणी ४	६४५
पार्ट-टाइम डिपो स्टाफ	१३४०
कुल	२५६९

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली दुग्ध योजना

१४४०. श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बेसरा :
श्री किशन पटनायक :
श्री यू० द० सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लहरी सिंह :
श्री उटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ह० च० सोय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री कछवाय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में काम करने वाले श्रमिकों पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी ७ दिसम्बर, १९५९ से भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। परन्तु अधिनियम की धारायें ५१, ५४, ५५ तथा ५८ योजना के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होतीं जो कि ऐसा कार्य करते हैं जिसका सम्बन्ध दुग्धक्रिया तथा दुग्ध पदार्थों से है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आगरा में रेलवे स्टेशन

†१४४१. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजा-की-मंडी सहित आगरा के रेलवे स्टेशनों में प्रत्येक श्रेणी के प्रतीक्षालयों का स्तर और स्थान बहुत ही निम्नकोटि का है ; और

(ख) यदि हां, तो आगरा के आसपास ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए आने वाले यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†तूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इथियानम में रेलवे "हाल्ट"

†१४४२. श्री मणियागाडन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवलेन--एर्नाकुलम् रेलवे के छंगानाछेरी और चिंगवणम् रेलवे स्टेशनों के बीच इथियानम् में रेलवे 'हाल्ट' कायम करने का काम शुरू किया जायेगा ;

(ख) आरंभ में जिस केन्द्रीय स्थान पर हाल्ट बनाने का निश्चय किया गया था उसे बदलने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९६३–६४ के निर्माण कार्यक्रम में यह काम शामिल किया जा चुका है । आवश्यक सामग्री इकट्ठी की जा रही है और अनुमान है कि काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दरभंगा–जयनगर रेलवे लाइन

मंडल

†१४४३. श्री यमुना प्रसाद मंडक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा-जयनगर और साकरी-निरमली सेक्शनों की पटरियां बहुत ही निम्न स्तर की हैं और जिन रेलवे इंजनों का उपयोग किया जाता है, वे भी बहुत निचले दर्जे के हैं ; और

(ख) क्या इन दो रेलवे सेक्शनों में चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये ऊंची क्षमता के इंजन और पटरियां लगाने की कोई योजना है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दरभंगा-जयनगर सेक्शन में वर्तमान पटरियों की जगह भारी रेलें लगाने की एक योजना है और पटरियां उपलब्ध होने पर संभवतः १९६४–६५ में काम शुरू किया जायगा । वह काम पूरा होने पर और पुल मजबूत हो जाने पर दरभंगा-जयनगर सेक्शन में और ज्यादा ताकतवर इंजन इस्तेमाल किए जायेंगे । पुलों का काम चल रहा है ।

साकरी जंक्शन

†१४४४. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साकरी जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) के प्लेटफार्म पर छत नहीं है और जयनगर तथा निर्मली स्टेशनों की ओर से आने जाने वाले यात्रियों को खुले में इन्तजार करना पड़ता है और मौसम की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) साकरी जंक्शन पर यात्री प्लेटफार्म छादार नहीं है लेकिन प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक प्रतीक्षालय मौजूद है ।

(ख) प्लेटफार्म पर छत डालने के प्रस्ताव पर रेलवे प्रशासन विचार कर रहा है ।

गदरवाड़ा और बोहानी के बीच स्टेशन

†१४४५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में गदरवाडा और बोहारी के बीच तथा बोहानी और केरेली के बीच स्टेशन बनाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका नतीजा क्या हुआ ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टेशन मास्टरों को रात में काम करने का भत्ता

†१४४६. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को जो रात में काम करने का भत्ता दिया जा रहा है वह किन आधारों पर निर्धारित किया जाता है और बड़ी लाइन, छोटी लाइन और नैरोगेज लाइन के कितने-कितने स्टेशनों पर वह दिया जाता है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार, उन सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को रात में काम करने का भत्ता दिया जा सकता है जो रेलवे के विभिन्न सेक्शनों के स्टेशनों पर, जहां २४ घंटे के लिए यात्रियों की संख्या निम्नलिखित रूप में उल्लिखित से कम न हो, १० बजे रात से ६ बजे सबेरे के बीच काम करते हैं :—

ब्राडगेज डबल लाइन सेक्शन : चालू यात्री टाइम टेबल और मालगाड़ी बिजली योजना क्षमता पर आधारित जहां एक ओर से कम से कम २० गाडियां आती हों, ;

ब्राडगेज सिंगल लाइन सेक्शन : चालू यात्री टाइम टेबल और मालगाड़ी बिजली योजना क्षमता पर आधारित, जहां एक ओर से कम से कम १० गाड़ियां आती हों ।

मीटरगेज डबल लाइन सेक्शन : चालू यात्री टाइम-टेबल और मालगाड़ी बिजली योजना क्षमता पर आधारित जहां कम से कम १६ गाड़ियां आती हों,

मीटर गेज सिंगल लाइन सेक्शन : चालू यात्री टाइम टेबल और मालगाड़ी बिजली योजना क्षमता पर आधारित जहां एक ओर से कम से कम ८ गाड़ियां आती हों ।

†मूल अंग्रेजी में

नोट : जब भी यात्री समय सारिणी और/अथवा पावर प्लान/क्षमता में परिवर्तन हो, तब इसका पुनर्विलोकन किया जाये। जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या उपरोक्त 'कसौटी' में कोई फेरबदल करना आवश्यक है।

२. जिन स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को रात का भत्ता मिलता है उनकी संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	स्टेशनों की संख्या		
	ब्राडगेज	मीटरगेज	नैरोगेज
मध्य	४८०	११	—
उत्तरी . . .	४३६	७१	१९
पूर्वी . . .	३३३	—	—
पूर्वोत्तर . . .	—	१८३	—
पूर्वोत्तर सीमा .	—	१६९	—
दक्षिणी	३३५	४४५	—
दक्षिणी पूर्वी	२८६	—	१४
पश्चिमी	२२०	२६२	—
	२०९०	११४१	३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी रेलवे की लिलुआ वर्कशाप में तालाबन्दी

†श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"पूर्व रेलवे के लिलुआ वर्कशाप में तालाबन्दी और कर्मचारियों को मजूरी न दिया जाना।"

†रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : वक्तव्य ५ पृष्ठों में है। यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ दूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये। प्रश्न पूछने की अनुमति ५ बजे दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

श्री दासप्पा : मैं इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०६० / ६३]

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा ५ दिसम्बर, १९६३ को श्री ब० रा० भगत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि 'तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन' पर, जो २६ नवम्बर, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : योजनाबद्ध विकास की नीति के सिद्धान्त पर सिवाय स्वतन्त्र दल के और सभी लोग सहमत हैं। परन्तु स्वतन्त्र दल को गत निर्वाचनों में केवल ८ प्रतिशत मत प्राप्त हुए जिससे सिद्ध होता है कि यह नीति देश के लिए स्वीकार्य है। इस लिये इस योजना की राष्ट्रीय योजना न मानना गलती है। स्वतंत्र दल के सदस्य पश्चिमी देशों से प्रेरणा पाते हैं, परन्तु मैं एक प्रमुख अमरीकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्टो का उदाहरण उन के समक्ष रख सकता हूं जिन्होंने अपनी पुस्तक "दी स्टेजेज आफ इकानामिक ग्रोथ" में कहा है कि भारत के लिए तथा अन्य अलग विकसित देशों के लिए योजना का सिद्धान्त बहुत अच्छा है। इसलिए योजना के अस्तित्व को चुनौती देना, विशेषतया जब कि हम योजनायें बना कर इतना विकास कर चुके हैं, अनुचित है।

उत्पादन में निश्चय ही कमी रही है। रेलवे, विद्युत् परियोजनाओं, नौवहन, तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। हमें निराशावादी दृष्टिकोण न बना कर योजना की त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

समाचारपत्रों द्वारा प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष दिये गये भाषण का उद्धरण देते हुए यह कहा गया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता मुख्य रूप से प्रशासन व्यवस्था के कारण हुई। परन्तु इस प्रकार प्रशासन को बदनाम करना भी अनुचित है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं ने जो कुछ कहा था उसको ठीक तरह से पेश नहीं किया गया। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि योजना कमोवेश ठीक है मगर उसे ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर दोष नहीं लगाया। सामूहिक रूप से दोषी अवश्य ठहराया था।

†**श्री अ० प्र० जैन :** केवल नीचे स्तर पर ही नहीं वरन् उच्चतम स्तर पर योजना के कार्यकरण, योजना-पद्धति, आदि की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

योजना आयोग के सदस्य केवल नीति निर्धारित करने सम्बन्धी काम करते हैं जब कि मंत्रि-परिषद् के सदस्य नीति भी तैयार करते हैं और उसे कार्यान्वित भी करते हैं। वास्तव में प्रशासन और नीति बनाने के काम एक ही व्यक्ति के सपुर्द होने चाहिये क्योंकि इन दोनों के अलग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

अलग हाथों में रहने से तालमेल नहीं रहता। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में केवल दो अवसर ऐसे आये जब कि नीति बनाने और प्रशासन का काम दो अलग अलग व्यक्तियों को सौंपे गये। एक बार पहले महायुद्ध के दौरान और दूसरी बार द्वितीय महायुद्ध के दौरान। परन्तु यह प्रयोग केवल युद्धकाल के लिए ही अच्छा साबित हुआ, शांति काल में नहीं। श्री एच० जे० लास्की ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है कि नीति बनाना तथा प्रशासन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः नीति उसी व्यक्ति को बनानी चाहिये जिस को उसे कार्यान्वित करने सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान है। प्रशासक अपने निजी अनुभव के आधार पर ही भविष्य के लिये नीति का निर्धारण कर सकता है। इसलिए यह बांच्छनीय है कि योजना के संगठन पर फिर से विचार किया जाये। नीति निर्धारित करने और उस को कार्य रूप देने में जो दूरी आज पाई जाती है उसे दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार किया जाय कि उस के सदस्य नीति निर्धारित करें और उसे कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी हों। मैं योजना आयोग और मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरी राय यह है कि स्थिति में सुधार लाने के लिए केवल ग्रामीण स्तर पर ही नहीं, केवल नीचे के स्तर पर ही नहीं, वरन् उच्चतम स्तर पर भी कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है।

इस प्रतिवेदन में जनसंख्या की समस्या पर काफी नहीं कहा गया है। यह दिया हुआ है कि लोगों में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए काफी उत्साह पाया गया है। तब कसर केवल उन्हें कार्य रूप देने की रह जाती है। गर्भ-निरोधक साधनों का न तो उचित रूप से निर्माण किया जाता है और न वितरण ही। परिवार नियोजन का काम योजना आयोग द्वारा सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया गया। यह समस्या भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या। खाद्य समस्या को दो तरीकों से हल करना पड़ेगा : एक उत्पादन बढ़ा कर और दूसरे जनसंख्या पर नियंत्रण रख कर। जापान में इस समस्या को इतनी कुशलता से कार्यान्वित किया गया कि इस दस वर्ष की कालावधि में जनसंख्या वृद्धि की दर घट कर केवल १ प्रतिशत ही रह गई। मुझे यकीन है कि यदि योजना आयोग इस ओर अधिक ध्यान दे तो यह समस्या हल हो सकती है।

71 श्री दाजी (इन्दौर) : योजना को पूर्णतया त्याग देने की बात निराशावाद की द्योतक है। यह बात ठीक है कि उत्पादन में कमी प्रशासनिक त्रुटियों के कारण हुई, परन्तु यह कारण भी अंशतः समर्थनीय है।

मध्यकालीन मूल्यांकन का यह दस्तावेज करुणाजनक है, परन्तु साथ ही साथ यह उन लोगों के लिये एक चुनौती है जो देश को विकास एवं समाजवादी उद्देश्यों की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं। दो, तीन वर्ष तक लोग चलते रहे, उत्पादन करते रहे, कर अदा करते रहे, विनियोजन भी करते रहे, परन्तु परिणाम यह है कि जहां से हम चले थे वहीं पर खड़े हैं। यह स्थिति निश्चित ही विकट है और साथ ही एक चुनौती थी।

इस मूल्यांकन प्रतिवेदन में जो कमियां या त्रुटियां रहीं उनका चित्रण तो किया गया है परन्तु इन के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की चेष्ठा नहीं की गई। इस लिए यह दस्तावेज अधूरा है।

औद्योगिक उत्पादन में कमी रही, कृषि उत्पादन ज्यों का त्यों है। बेकारी की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेकारी का मतलब यह भी है कि देश की जनशक्ति बेकार जा रही है; इस ढाई वर्ष की अवधि में, देश की अर्थ-व्यवस्था या जीवन-स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

यहीं नहीं कि लक्ष्य प्राप्त न हुए हों, वस्तुस्थिति यह है कि करोड़ों रुपया अतिरिक्त लगाने के बाद भी उत्पादन में कमी हो गई है। पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में हम ने ३८८ करोड़ रुपये व्यय किये, परन्तु शुरू में उत्पादन ७९६ लाख टन था जो अब घट कर ७७५ लाख टन रह गया है। इसी प्रकार चीनी, रुई आदि, वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है। इस का अर्थ यह हुआ कि व्यय किया हुआ धन व्यर्थ गया।

इसका मुख्य कारण यह है कि न तो योजना ठीक ढंग से तैयार की गई और न ही ठीक ढंग से उसे कार्यान्वित किया गया। सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खनन सम्बन्धी लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए १८०८ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, परन्तु अब जो अनुमान है उस के अनुसार २७९२ करोड़ रुपये व्यय करने होंगे। किन्तु १८०० करोड़ की निर्धारित राशि भी अभी प्रयोग में नहीं लायी गई है। इस्पात सम्बन्धी जो तृतीय योजना के लक्ष्य हैं वह हम चौथी योजना के तीसरे वर्ष तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यह बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी विद्युत तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण हुई है। परन्तु विद्युत, कोयला तथा परिवहन संबंधी योजना तैयार किये बगैर औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य कैसे निर्धारित किये गये? क्या यह लक्ष्य कल्पना के आधार पर निर्धारित किये गये थे? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योजना ठोस तथ्यों को सामने रखे वगैर ही तैयार की गयी थी।

भूमि संबंधी सुधारों के बारे में यह बताया गया है कि योजना को पूरी तरह राज्यों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया। परन्तु यदि आप यह सुधार लाना ही चाहते हैं तो इन्हें कार्यान्वित करना ही पड़ेगा। यदि कार्यान्वित नहीं किया गया तो इसके लिय उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिये।

योजना को त्याग देने से आप देश के भावी विकास को बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास रहन रख देंगे। इसलिये यह समस्या का उचित समाधान नहीं होगा।

इस मूल्यांकन में सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना की गयी है।

मैं सभा का ध्यान श्री ढेबर के एक टिप्पण की ओर आकर्षित करूंगा, जिसके बारे में पिछले दो वर्ष से कोई कदम नहीं उठाया गया। उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय आय का १० प्रतिशत भाग ३० प्रतिशत लोगों के पास जाता है और ३६ प्रतिशत भाग १० प्रतिशत लोगों को मिलता जो कि अमरीका और ब्रिटेन से भी अधिक है। ६० प्रतिशत लोग मुश्किल से जीवन निर्वाह करते हैं, ३० प्रतिशत लोगों की आय १५ रुपये प्रति मास है; २० प्रतिशत लोगों की आय १२ रुपये प्रतिमास है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष १९९१ तक ३० प्रतिशत लोग मुश्किल से जीवन-निर्वाह ही कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि योजना में प्राथमिकतायें फिर से निर्धारित की जायें और ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि ५ अथवा १० वर्षों में लोगों को जीवन-निर्वाह करने योग्य बनाया जा सके।

वर्तमान संकट का मुख्य कारण दृष्टिकोण और कार्यान्विति की अस्थिरता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की असफलता का यही कारण है। सभी प्रकार के लाइसेंस बड़े-बड़े साथों द्वारा हथिया लिये जाते

श्री दाजी

[श्री अ० प्र० जैन]

हैं। उसका एक कारण यह है कि आय के सेवा निवृत अधिकारी गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने लगते हैं। जब एक उच्च पदाधिकारी का किसी बड़े उद्योग से अथवा सार्थ से संबंध स्थापित हो जाता है तो छोटे व्यापारियों और उद्योगों को आयात लाइसेंस आदि नहीं मिल सकते। अतः यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यही कारण है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र का विनियमन नहीं कर सकी।

आप की राजकोषीय नीति के कारण कितनी लूट मची है इसका कारण में आपको दूंगा। हिन्दुस्तान लिवर ने १९५९ से १९६१ तक ७०० लाख रुपया कमाया और २४ प्रतिशत, २६ प्रतिशत तथा २६ प्रतिशत, प्रत्येक वर्ष में लाभांश के रूप में वितरित किया। इसी तरह डनलप वालों ने ४ करोड़ रुपया कमाया और मेटल बाक्स वालों ने २१५ लाख रुपया। इन सार्थों की दत्त पूंजी ३ वर्षों में तिगुनी हो गयी है। यही कारण है कि मूल्य बढ़ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने कर्त्तव्य-निष्ठा को एक तरफ रख दिया है। और देश में पूंजीपति लूट मचा रहे हैं।

इसलिये, आवश्यकता इस बात की है कि योजना ठीक तरह से बनाई जाय। प्राथमिकतायें फिर से निर्धारित की जायें, ताकि १० साल तक हम देश के हर नागरिक को दो वक्त का भरपेट खाना, पहनने के लिये कपड़ा और रहने के लिए स्थान दे सकें। अब जनता अभी समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती।

योजना का पुनर्मुल्याकन करते समय दो बातों का ध्यान रखना होगा एक यह कि योजना की त्रुटियों को दूर करना और इसके समाजवाद की ओर अग्रसर होना। इन दो बातों का आपस में घनिष्ट संबंध है। केवल भाषण देने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि नीतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय। योजना आयोग ने वर्ष १९४९ में कहा कि एक आर्थिक एवं सांख्यिकीय सेवा की आवश्यकता है, जिस की मंजूरी वर्ष १९६१ में मिली, उसमें काम करने वालों का चुनाव दिसम्बर १९६१ में हुआ परन्तु फाइल अभी गृह कार्य मंत्रालय के पास रखी हुई है। अपर नीति को कार्यान्वित करने में इसी प्रकार तत्परता दिखाई जाती है तो सफलता मिलनी मुश्किल है।

अन्त में मैं कहूंगा कि आज राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वह सभी लोग जो स्वतंत्रता-संग्राम में लड़े, वह लोग जो देश से प्रेम करते हैं तथा जो एक नये, सशक्त तथा समाजवादी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, मिल कर काम करें और देश की प्रगति को और अग्रसर करें।

†**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** (नैनीताल) : इस मध्यकालीन मूल्यांकन की सब से बड़ी खूबी स्पस्टवादिता है। मगर इस से असन्तोष, उग्र असहिष्णुता, दुखद आत्म-विश्लेषण का भास नहीं होता, और यही इस की सबसे बड़ी खामी है।

योजना आमोग की कार्य-प्रणाली की आलोचना सभी ओर से की गई है। स्वयं वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले मद्रास में कहा था कि आयोग की कार्य-प्रणालि में लचीलापन नहीं पाया जाता। श्री अशोक मेहता ने लन्दन में इसी अभिप्राय से बात कही थी। अब मुझे आशा है

†मूल अंग्रेजी में

कि नये मंत्री तथा उपमंत्री योजना आयोग का पुनर्गठन करेंगे और हमें मूल्यांकन दस्तावेज हर छः मास बाद प्राप्त हो सकेंगे ।

उत्पादन में हुई कमियों के कारण योजना को त्याग देने का सुझाव निराशावाद से प्रेरित है । मैं बताना चाहता हूं कि योजना से इस देश को क्या क्या लाभ हुए हैं: इस से अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने में सुविधा मिली है, इस से एक साथ तीन इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा सके हैं । इस की सब से बड़ी सफलता सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जिस के फलस्वरूप भाषा, रूढ़ि, स्वभाव आदि के भेद मिट गये हैं ।

इतनी विदेशी मुद्रा भी योजना के कारण ही प्राप्त हो सकी है । योजनाओं द्वारा ही विदेशियों को मालूम हुआ कि किस प्रकार यह देश विकास करना चाहता है और कितना बोझा स्वयं उठाने को तैयार है । इसी से विदेशी लोग प्रभावित हुए । इस लिये योजना को छोड़ देने का सुझाव घातक सिद्ध होगा ।

मूल्यांकन दस्तावेज के अनुसार, संसाधन जुटाये जाने के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके । लक्ष्यों के अनुसार कृषि उत्पादन में ३० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में १० प्रतिशत और राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी जब कि अब तक कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, औद्योगिक उत्पादन में केवल १५ प्रतिशत ही वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में केवल ५ प्रतिशत ही । इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि त्रुटियों की अच्छी तरह जांच की जाय और उन्हें दूर करने के औपचारिक उपाय सुझाये जायें । केवल सक्रिय रूप से काम करने से ही तृतीय योजना में सफलता प्राप्त हो सकती है ।

ऐसी बात नहीं है कि प्रतिवेदन में कहीं आशा की लहर नहीं है । स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है तथा कोयले, विद्युत और परिवहन की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है । दूसरी उत्साहजनक बात यह है कि सारे इस्पात कारखाने निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं । उत्पादन तथा बुनियादी उद्योगों में अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक प्रगति हुई है । उदाहरण के लिये, १९६ की तुलना में बुनियादी धातु उद्योग में २६ प्रशित, धातु उत्पादों में ६९ प्रतिशत, मशीनरी में २० से २२ प्रतिशत और रसायन उत्पादों में २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई कमी के कारण यह प्रगति प्रकाश में नहीं आती । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इस्पात, उर्वरक तथा सिंचाई है । जब तक बोकारो इस्पात कारखाना आरम्भ करने के बारे में कोई उपाय नहीं किया जाता, तब तक इस्पात की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में योजना में निर्धारित लक्ष्य के केवल ६० प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है । बड़ी तथा मध्यम सिंचाई सुविधायें भी लक्ष्य से १८ प्रतिशत कम रहेंगी ।

इस कमी के कारण दो प्रकार के हैं । एक तो ऐसे हैं जो सरकार की शक्ति के बाहर के हैं और दूसरे ऐसे हैं जो प्रक्रिया में त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हैं । पहले के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा का अभाव आता है । इस अभाव से और भी कठिनाइयां पैदा होती हैं जैसे कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात न किये जाने के कारण पूरी औद्योगिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता । मैं केवल ऐसे कारणों का विस्तार से उल्लेख करूंगा जिन पर सरकार का नियंत्रण है । श्री अशोक मेहता ने भी कहा है कि अमरीका तथा ब्रिटेन में इस बात

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

पर बहुत खेद प्रकट किया गया है कि सरकार प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति देने में बहुत समय लगाती है। एक परियोजना की स्वीकृति तथा उसकी स्थापना के बीच के समय को कम किया जाना चाहिये। हमें प्रक्रिया की बजाय उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिये। लाल फीताशाही का अन्त होना चाहिये। सरकार को वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहिये विशेष कर जब कि श्री अशोक मेहता जैसे व्यक्ति ने इस विषय में खेद प्रकट किया है। विकास परियोजनाओं सम्बन्धी फाइलों के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में जो समय लगता है उस पर नजर रखी जानी चाहिये।

जहां तक कृषि का संबंध है उत्पादन कम होने का एक कारण यह है कि लक्ष्य गणित के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं जैसे एक मन उर्वरक से दो मन पैदावार होगी। भूमि के उपजाऊपन, सिंचाई सुविधायें तथा ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रख कर लक्ष्य नहीं बनाये जाते हैं। दूसरा कारण पूंजी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने अपने १९६२–६३ के प्रतिवेदन में कहा है कि कृषि क्षेत्र की पूंजी आवश्यकतायें, भमि की कीमत को छोड़ कर भी, निर्माण तथा खनन उद्योगों से भी अधिक हैं। हमारे यहां कृषि में निजी पूंजी का अभाव रहा है। हमारे पूंजी संसाधन सीमित हैं। इसका उपाय यही है कि बेकार श्रम को अधिक उत्पादी कार्यों में लगाया जाये। ग्राम निर्माण कार्यक्रम अभी जम नहीं पाया है तथा मार्च, १९६३ के अन्त तक केवल ७८,००० व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया गया है।

कृषि क्षेत्र में मार्ग-दर्शन का भी अभाव रहा है। हमें एक कार्यकुशल कृषि विस्तार सेवा की आवश्यकता है। यह सेवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाई जाये जिन्हें कृषि के बारे में पर्याप्त जानकारी हो और जो कृषि के आधुनिक तरीकों के लाभ किसानों को अच्छी प्रकार से समझाने के लिये तैयार हों। कृषि विस्तार कर्मचारियों को खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिया जाना चाहिये।

जनसंख्या में वृद्धि को रोका जाना चाहिये। तीसरी योजना में ६,००० परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है परन्तु पिछले दो वर्षों में १,००० से भी कम केन्द्र खोले गये हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें और इस कार्यक्रम को सफल बनायें।

जहां तक कार्यक्रमों की कार्यान्विति का प्रश्न है मंत्रियों को अपने अधिकारियों पर निर्भर करना पड़ता है। अतः ऐसे पदों पर वही व्यक्ति रख जाने चाहियें जो जनता के सेवक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हों। अन्यथा नौकरशाही मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और योजना की कार्यान्विति एक समस्या बन जायेगी।

†**श्रीमती विजयराजे** (छतरा) : तीसरी योजना का मध्यकालीन मूल्यांकन हमारे सामने अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। इसमें एक ओर तो त्रुटियां तथा असफलताओं का उल्लेख है तथा दूसरी ओर लक्ष्यों के पूरा न होने के बारे में भविष्यवाणी की गई है।

मूल त्रुटि यह रही है कि हमने योजना तैयार करते समय बहुत सी चीजों को सही मान लिया है। हमने संतुलित रूपरेखा तैयार करने के लिये मौसम की खराबियों को ध्यान में नहीं रखा है। उर्वरक, कृषि उपकरण तथा कृषिनाशक कीटाणुओं को मारने के लिये उपकरणों तथा सिंचाई

†मूल अंग्रेजी में

परियोजनाओं आदि का उपबन्ध करते समय हमें यह देखना चाहिये कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इतनी ही प्रगति हो ताकि हमारे लक्ष्य पूरे हो सकें। अब भी हमें उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करना चाहिये ताकि योजना की शेष अवधि में उत्पन्न होने वाली आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। कृषि व्यवसाय में ६ $^{1}/_{2}$ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं। हमने उनके कल्याण के लिये योजनायें बनाते समय अनुमानों पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र में भी हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाये हैं। यह भी कहा गया है कि गैर-सरकारी उद्योग ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाये हैं। परन्तु वे कुछ हद तक सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। अतः सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह ठीक है कि गैर-सरकारी उद्योगों का लाभ की तरफ अधिक रुझान है। परन्तु हर व्यक्ति की यह मंशा है कि वह जो पूंजी लगाता है उससे उसे लाभ प्राप्त हो।

हमारी वित्तीय, लाइसेंस संबंधी तथा अन्य नीतियां ऐसी होनी चाहियें कि छोटे से छोटा आदमी भी पूंजी लगाने के लिये तैयार हो। मौजूदा करों से गैर-सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन नहीं मिलता बल्कि ये उनके रास्ते में बाधा जनक हैं।

इतनी बड़ी योजना को केवल सरकार या इसके संसाधनों के बूते पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसा केवल जनसाधारण तथा मध्यम वर्ग के सहयोग द्वारा ही किया जा सकता है। देश का आर्थिक विकास जन साधारण के सहयोग पर ही निर्भर करता है। विशेषकर हमारे देश में जोकि एक कृषि प्रधान देश है। अतः हमारी आर्थिक तथा अन्य नीतियां ऐसी होना चाहियें जिन्हें जनता का सहयोग प्राप्त हो। नीतियां काफी सोच-विचार के बाद बनाई जायें और फिर सरकार उनपर दृढ़ रहे।

लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही उनको प्राप्त करने के तरीके अपनाये जायें। हमें यह उद्देश्य सामने रखना है कि हम वहीं कार्य करें जो देश के लये सबसे अधिक हितकर हों। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देशभक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। किसी एक तरीके को, चाहेवह हमारी परिस्थितियों के प्रतिकूल हो, केवल इसलिये अपनाना, कि वह एक विशेष विचारधारा के अनुरूप है, उचित नहीं है ; इसके परिणाम बुरे ही निकलेंगे। उदाहरण के लिये, भूमि सुधार इसी कारण से असफल रहे हैं। हमारा सब से बड़ा धन जनशक्ति है। उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्हें विज्ञान तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के साधन उपलब्ध किये जायें। इसके लिये शिक्षा पद्धति को नया रूप दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बधी रिपोर्ट पर जो वक्तव्य अब तक दिये गये हैं और उस रिपोर्ट को जहां तक मैंने पढ़ा है उससे कुछ विशेष सुझाव जो मेरे मस्तिष्क में आये हैं वह मैं यहां देना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी शासन या कोई भी योजना तब तक लोकप्रिय नहीं हो सकती जब तक कि इस देश की जनता को उस की भाषा में वह चीज न पहुंचायी जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना की मध्यकालीन मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा मन इस बात को कहने का साहस कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से जो यत्न अपेक्षित थे वह अब तक नहीं किये गये। यह बातन केवल क्षेत्रीय भाषाओं के लिये ही लागू होती है अपितु संविधान में जिसको राज भाषा का पद

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दिया गया है उस को प्रोत्साहन देने के लिए भी जो यत्न यथाशीघ्र अपेक्षित थे, उस दिशा में भी बहुत न्यूनता रही है। अभी जब इस तरह का एक विधेयक आया था तो हमारे पहले गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि अब दूसरी बार इस प्रकार का अकर्मण्यता सूचक विधेयक सम्भव है लाने की आवश्यकता न पड़े और यह दस वर्ष भी जो हम ले रहे हैं उस अवधि में भी हम यत्न करेंगे वार्षिक इस बात का निरीक्षण होता है कि हमने उस दिशा में कितनी प्रगति की है। मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार की है कि उस प्रगति को जांचने के लिए जो समिति निर्धारित की गई है उस में सब ही प्रान्तों के मुख्य मंत्री रक्खे गये हैं। केन्द्र के गृह-मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। एक, दो और सरकार अधिकारी भी उस के अन्दर हैं। लेकिन एक सामान्य बात है और संसद इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि प्रांतों के मुख्य मंत्री वर्ष में कितनी बार एक साथ सब एकत्रित हो सकते हैं? और वह सब एकत्रित होकर किस प्रकार से कितनी प्रगति राजभाषा की हो रही है और उसके लिये जो १० वर्ष की अवधि हमने ली है उस समय तक भी हम उसको राजभाषा के उच्च आसन पर पूर्णतया आसीन कर सकेंगे, इसमें कितना संदेह है यह इसी से प्रतीत होता है कि जो समिति बनाई गई थी उस की प्रगति को देखने के लिए, वैसे उस कमेटी का कोई मूल्य नहीं है, हां, यदि संसद के कुछ सदस्य उस समिति में रहते, राज्य सभा और लोक सभा के कुछ सदस्य उसमें रहते और उनके अतिरिक्त भी देश के कुछ और गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने कि हिन्दी को राजभाषा के पद तक पहुंचाने का यत्न किया है वह उसकी प्रगति को देखते और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देते तो यह बात व्यवहारिक भी हो सकती थी। जहां मैं राजभाषा हिन्दी के लिए यह कह रहा हूं वहां साथ ही साथ उसी से मिलती हुई शिकायत संस्कृत के बारे में भी करना चाहता हूं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले शिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली ने संस्कृत के विकास के लिए कुछ लाख रुपये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये थे। उसमें विशेष रूप से गुरुकुलों जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी लगभग ६ लाख रुपये सहायता के लिए रखे गये। परन्तु इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को जितना अधिक प्रोत्साहन स्वतंत्र भारत में मिलना चाहिए था और उस दृष्टि से जितना ध्यान उनका रखा जाना चाहिए था, मेरा अपना अनुमान है कि सरकार उसमें हाथ बंद कर के जैसे कार्य कर रही है, उस से न तो गरुकुल ही पूरी तरह पनप पायेंगे और न संस्कृत का ही स्वतंत्र विकास हो पायेगा। परसों जिस प्रकार से कि यहां एक विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी कि संस्कृत जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, जितनी प्राथमिकता उसे मिलनी चाहिए थी उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पायी है। मैं चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार करते समय हमें इस सत्य को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी धन के अपव्यय के सम्बन्ध में, जिस समय हम अपने राज्य की रामराज्य से तुलना करते हैं या गांधी जी को अपना आदर्श मान कर चलते हैं, वहां हम इस बात को क्यों भल जाते हैं कि हमारा आदर्श, एक इस प्रकार का सन्त था जो गोलमेज़ कान्फ्रेंस में भाग लेने जब लन्दन गया तो वह वहां भी अपनी उसी प्रतिदिन की सामान्य व्यवहार की वेश-भूषा में गया। जब किसी ने यह कहा कि आप जा रहे हैं ऐसे स्थान पर जहां आपको दरबारी परम्परा के नाते परों तक कम से कम कपड़ा ढकना चाहिए तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं उस

ग़रीब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं जहां कि आज भी करोड़ों व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिनके शरीर ढकने के लिए पूरा कपड़ा देश में नहीं है, मैं तो अपने देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने के लिए आया हूं, मैं अपने शरीर को ढक कर कोई प्रदर्शन करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। उस गांधी की सरकार या उनका नाम लेकर संसार को प्रभावित करने वाली सरकार के द्वारा जनता के धन के अपव्यय की स्थिति क्या है, इसका इसी से अनुमान लगाइये कि जिस सरकार ने विदेशों से इतना रुपया ऋण ले रखा है अपने देश पर टैक्स पर टैक्स लगा कर इतना रुपया पिछली दो योजनाओं में खर्च कर चुकी है, उसके द्वारा होने वाले व्यय का एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। अब तक हमारे देश पर जो विदेशों का ऋण है वह २८ फरवरी १९६३ तक जिसको कि हम अपनी योजनाओं में लगा चके हैं वह १८८०.१ करोड़ है जिसको अब तक हम प्रयोग कर चुके हैं और जिस ऋण के ऊपर १९८.७१ करोड़ रुपया केवल सूद के रूप में दे चुके हैं। बाहर से ऋण लेकर जब हम उससे भारी दब चुके हैं ऐसी स्थिति में भी फिर उस धन का दुरुपयोग करना और उस धन का सदुपयोग न करना यह भारतीय जनता के साथ और अगली पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने एक बार पहले भी यह कहा था कि नीति में यह लखा हुआ है —:

"ऋणकर्त्ता पिता शत्रु"।

जो पिता अपनी संतान पर अपना ऋण छोड़ कर जाता है वह संतान के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। हमने अपने देश को इतना ऋणी बना दिया है और ऋणी बनाने के साथ ही यह ऋण जो अभी हम और लेते जा रहे हैं तथा जस शर्त पर वह मिल सकता है हम उसे ले लेते हैं और फिर उस ऋण का उपयोग कैसे करते हैं यह भी ज़रा देखें। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता कि विदेशों में जो हमारे राज दूतावास हैं, उनके द्वारा किस प्रकार धन का अपव्यय होता है, उन चर्चाओं को छोड़ कर, किस तरीके से रूस में हमारे जो एक राजदूत पहले थे जिन्होंने अपना घर सजाने के लिए स्टाकहोम से फरनीचर हवाईजहाज़ से मंगाया था अभी हाल की एक घटना, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार के सामने रखते हुए कहना चाहता हूं क इस समय जो रूस में हमारे राजदूत हैं उनको कुछ लैम्पशेड्स की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने उसके लिए भारत सरकार को लिखा क 8 लैम्पशेडेस उनके लिए भारत से भेजे जांय। अच्छी सिल्क और कागज़ के बने हुए लैम्पशेजड्स यहां जो सेंट्रल कौटेज इंडस्ट्रीज़ इम्पोरियम है, वहां से २१ मई, १९६३ को २४७.६० नये पैसे में ख़रीदे गये और चूंकि उनको जल्दी भेजना था तो १४० रुपया उनके ऊपर पैकिंग का खर्च आया और जब वह हवाई जहाज़ से भेजे गये तो ११४४.३ नये पैसे ऐयर इंडिया को उसका किराया दिया गया। २४७ रुपये ६० नये पैसे के लैम्प शेड थे, जिन पर १४० रुपये पैकिंग पर और ११४४ रुपये ३ नये पैसे किराये पर ख़र्च किये गये। बल्कि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक यह पैसा बेचारे एयर इंडिया वालों को मिल भी नहीं सका है, क्योंकि अभी तो वह झगड़े में पड़ा हुआ है। यदि विदेशों में हमारे राजदूत सरकारी धन का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर इतना रुपया व्यय करेंगे और सरकार आंख मूंद कर रुपया देती रहेगी, तो इस ग़रीब

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

देश के साथ यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। ख़ास तौर से एक ऐसे देश में हमारा प्रतिनिधि बैठता है जसके एक राजदूत के विषय में मुझे एक बात याद आती है। जिस समय डा० राजेन्द्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति हुए तो उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में जो आयोजन किया गया था, उसमें हमारे देश में रूस का जो उस समय राजदूत था वह बुश-शर्ट पहने हुए था, कमर से फटी हुई थी और सिली हुई थी। उसकी बग़ल में बैठे हुए किसी भारतीय ने उसको पूछा, कि "क्या तुम को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि तुम भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित समारोह में आये हो? तुम कोई अच्छी बुश-शर्ट पहन कर क्या नहीं आ सकते थे।" रूसी राजदूत ने उत्तर दिया, "यह तो एक फटा कपड़ा है जिसको सिला कर मैंने ठीक कर लिया है। पर यदि मेरे देश की सरकार मुझे और कम पैसा देती तथा बुश-शर्ट पहनने के बजाय जूट की लंगोटी लगा कर राष्ट्रपति की दावत में मुझे आना होता, तो मैं ऐसा करने में सौभाग्य अनुभव करता, क्योंकि मेरे देश की सरकार ने इतना ही व्यय करने की अनुमति मुझे दी है।" एक तरफ़ तो उस समृद्धिशाली देश के राजदूत हैं और दूसरी तरफ़ हमारे ग़रीब मुल्क के यह प्रतिनिधि हैं, जोकि २४७ रुपये के लैम्प शेड के लिए ११४४ रुपये ऐयर इंडिया के किराये पर ख़र्च करते हैं।

इसी तरह सरकार की लाल-फ़ीताशाही का दुष्परिणाम भी हमारे औद्योगिक विकास पर बुरा पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री इस समय यहां हैं। १९६१-६२ में हमारे देश में दूसरे देशों के सहयोग से, जो सरकारी उद्योग चल रहे थे, उनकी संख्या ४३६ थी। लेकिन अब जिस तरह से हमने टैक्सों पर टैक्स लगा कर विदेशों के पूंजी लगाने वालों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं और उसके अतिरिक्त भी हमारे यहां जो लाल-फ़ीताशाही का चक्कर है—जिसके बारे में पश्चिमी जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधि मंडल के नेता ने, जो कि इस देश में आया था, चलते समय कहा कि भारत में पैसा लगाने की हमारी इच्छा इसलिए न्यून होती जा रही है कि एक तो यहां पर इतने फ़ार्म भरने पड़ते हैं कि उसी में हम परेशान हो जाते हैं और दूसरे, यहां पर निर्णय देर से होते हैं—,उस का परिणाम यह है कि विदेशी साझीदारों की संख्या ४३६ से घट कर १९६२-६३ में २५९ रह गई है। यह हमारे देश के लिए शोभा की बात नहीं है—ऐसे ग़रीब देश के लिए, जिसको दूसरे देशों के पैसे को आमंत्रित करना चाहिए और इतनी सुविधा देनी चाहिए कि वे आ कर हमारे देश के उद्योगों में पैसा लगायें। लेकिन इसके बजाय हम अपनी नीतियों से ऐसी स्थिति न बना दें कि उनको पैसा लगाने से घृणा हो जाये और वो उदासीन हो जाय।

जहां तक परिवार-नियोजन का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनसंख्या में एक करोड़ वार्षिक की वृद्धि हो रही है, जो कि किसी भी देश के लिए चिन्ता का विषय है। पहली योजना में हमने जन-संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए ७० लाख रुपया लगाने का निश्चय किया। दूसरी योजना में हमने ३ करोड़ रुपया ख़र्च करने का निश्चय किया और तीसरी योजना में हम ने २७ करोड़ रुपया ख़र्च करने का निश्चय किया है। यह २७ करोड़ रुपया अगर बांटा जाय तो एक व्यक्ति के

हिस्से में ६३ नये पैसे पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना रुपया ख़र्च करना भी चाहिए था, हम इन तीन वर्षों में उसमें से केवल ५ करोड़ रुपये, अर्थात् २० प्रतिशत भाग ही, व्यय कर पाये हैं और अभी तक ८० प्रतिशत भाग ऐसा है, जिसको व्यय नहीं कर पाये हैं। जनसंख्या में वृद्धि एक ऐसा चिन्तनीय विषय है, जो कि देश के हर एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। इसलिए सरकार कम से कम इतना तो करे कि इसके लिए जितना भी रुपया रखा गया है उसको उचित और व्यवस्थित ढंग से ख़र्च करे।

योजना मंत्री को मैं नम्रता और गम्भीरता से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार-नियोजन से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी अगर सरकार इसी प्रकार उपेक्षा करती रही, तो फिर किसी दिन एक भयंकर प्रश्न उसके सामने विकराल रूप में खड़ा हो सकता है। यदि सरकार इस देश में परिवार-नियोजन की प्रणाली को चालू करना चाहती है तो उसको विवाहों की भी एक सामान्य पद्धति चालू करनी होगी। एक समुदाय के व्यक्तियों को तो यह अधिकार दे दिया जाये कि वे चार चार विवाह कर सकते हैं और दूसरे समुदाय के व्यक्तियों पर इस बारे में प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस भेदभाव का परिणाम यह हुआ है कि १९६१ की जन-गणना में एक बड़ा और मुख्य समुदाय अपनी १९५१ की आबादी से ४ प्रतिशत घट गया है और एक समुदाय में, जिस पर विवाह के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है २८ से लेकर ३८ प्रतिशत तक उसकी वृद्धि हुई है। यदि इस बात को यों ही एक सामान्य बात कह कर छोड़ दिया गया, तो फिर किसी समय एक भयंकर विस्फोट होगा, जिस को सरकार नहीं रोक सकेगी। परिवार-नियोजन के प्रश्न पर विचार करते समय इस गम्भीर प्रश्न को भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। (**अन्तर्बाधा**) वह कुछ भी कह दें, लेकिन मैं आप को कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं बेरोज़गार के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जब पहली पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी, तो हमारे देश में ४० लाख के लगभग बेकार थे। पहली पंच-वर्षीय योजना जब समाप्त हुई, तो ५३ लाख बेकार थे। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना जब समाप्त हुई, तो ९० लाख लोग बेकार थे और तीसरी योजना की अब तक की इस अवधि में लगभग १,७० लाख बेरोज़गार की फ़ौज तैयार हो गई है। यद्यपि इस योजना में कृषि-कार्यों में लगाने के लिए ४५ लाख और अन्य कार्यों में १,०५ लाख लोगों को लगाने का विचार है, लेकिन फिर भी तीसरी पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर ३० लाख लोग बेकार रह जायेंगे। तीसरी योजना के पहले दो सालों में यदि ३५ लाख लोगों को काम पर लगा भी दिया जाये, जो कि समूची योजना-काल के लिए निश्चित संख्या का एक तिहाई है, तो भी सरकार ने जो अनुपात निश्चित किया है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। योजना आयोग के एक बद्धिमान सदस्य डा० वी०के० आर० वी० राव का कहना है कि अगर बेरोज़गारों की संख्या इसी तरह से बढ़ती गई, तो पांचवी योजना के अन्त में भारत में ९ करोड़ बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार हो जायेगी और वे ९ करोड़ आदमी, जिन के सामने रोटी-कपड़े का प्रश्न खड़ा होगा, किसी भी समय इस देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। यदि सरकार चाहती है कि इस प्रकार की परस्थिति उत्पन्न न हो, इस प्रकार की गम्भीर समस्या देश के सामने उपस्थित न हो, तो वह अभी से इस प्रश्न के समाधान करने का निश्चय करे, जिस से बेरोज़गारों की स्थिति बिगड़ती न चली जाये।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अन्त में कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। देखा यह जा रहा है कि १९५५ से ले कर १९६३ तक कृषि-उत्पादन में धीरे-धीरे घटौतरी होती चली जा रही है। कोई वद्धि नहीं है। पुराने आंकड़ों को मैं नहीं लेता हूं। अभी हाल ही के आंकड़ों को मैं आप के सामने उपस्थित करता हूं। १९६१–६२ में चावल की उपज ३,४० लाख टन थी और १९६२–६३ में वह घट कर ३,१० लाख टन हो गई है, यानी ३० लाख टन चावल का उत्पादन कम हुआ। १९६१–६२ में गेहूं १,१९ लाख टन देश में पैदा हुआ, जब कि १९६२–६३ में वह घट कर १,०९ लाख टन रह गया, यानी १० लाख टन गेहूं का उत्पादन कम हुआ। खाद्यान्नों का जो सम्मिलित सूचक अंक दिया गया है, वह ही १९६१–६२ में १३७.५ था और १९६२–६३ में १३१.३ हो गया है। यदि १९६५ तक दस करोड़ टन का लक्ष्य पूरा करना हो, तो जो दो वर्ष शेष रह जाते हैं, उन में प्रतिवर्ष ७० लाख टन के हिसाब से उत्पादन बढ़ाना होगा, जो कि सर्वथा असम्भव है।

मेरा विचार है कि कृषि के सम्बन्ध में जितनी भी योजनायें बनाई जाती हैं, उन को व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाता है। खाद्य स्थिति पर चर्चा के समय भी मैं ने कहा था कि खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जितनी योजनायें बनाते हैं, नीचे तक वे योजनायें पूरी नहीं पहुंच पाती हैं। बीच में जो मशीनरी है, वह सरकार की नीतियां को व्यावहारिक रूप नहीं देने देती। इस लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपना निर्णय लेने से पहले अपनी मशीनरी को ठीक करे। अगर सरकार की मशीनरी ठीक हो और वह सरकार की नीतियों को ठीक से व्यावहारिक रूप दे सके, तो मेरा अनुमान है कि कृषि के सम्बन्ध में पंद्रह वर्षों के बाद भी आज जो हम को शर्म से गर्दन झुकानी पड़ती है, उस स्थिति का हम समाधान कर सकेंगे। मैं आप को एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि सरकार यहां से तो यह तय कर देती है कि सिंचाई विभाग कृषि विभाग के साथ मिल कर चलेगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि आज खाद किसान को मिल जाता है, और वह उस को अपने खेत में डाल देता है और उम्मीद करता है कि कल उस को ट्यूबवेल से पानी मिलेगा। लेकिन जब उस को समय पर पानी नहीं मिलता है, तो चूंकि वह खाद गर्म होता है, इस लिए वह किसान के खेत को और उल्टा जला देता है। जब सरकार खाद देती है, तो उस के साथ साथ उस को पानी की भी तो व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का एक अंग तो सुविधा देता है पर उस का दूसरा अंग उस सुविधा को वापस ले लेता है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा कृषि के सम्बन्ध में दी गई अन्य सुविधायें भी बीच में ही अटक कर रह जाती हैं।

मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय इन तमाम बातों को आंखों से ओझल नहीं किया जायेगा और सरकार इन के बारे में गम्भीरता से कुछ निर्णय लेगी।

धन्यवाद।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम): इस मूल्यांकन में वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। अतः सरकार इसके लिये वधाई की पात्र है। योजना को समाप्त करने का सुझाव हास्यास्पद है। यदि हमारी आयोजन पद्धति में कुछ मौलिक त्रुटियां हैं तो हमें इस सारी योजना को समाप्त कर देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये और नये सिरे से आयोजन

†मूल अंग्रेजी में

किया जाना चाहिये जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सबसे उत्तम हो। राष्ट्र के सामने कुछ सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य हैं जो केवल आयोजना द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं। योजना को समाप्त करने का सुझाव देने वालों में कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिये हैं। आयोजन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में मतभेद हो सकता है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

लोकतंत्र में योजना की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर-करती है। यदि योजना की कार्यान्विति से जनसाधारण की दशा में कुछ सुधार हुआ है तो योजना सफल रही है अन्यथा नहीं। भाकड़ा नंगल तथा भिलाई जैसी विशाल योजनाओं से लोगों में उत्साह अवश्य पैदा होता है परन्तु जब तक विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचते यह उत्साह अधिक समय तक बनाये नहीं रखा जा सकता। यह सच नहीं है कि आयोजन से केवल उन पर करों का भार बढ़ा है तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। यह अवश्य है कि उनको जितना फायदा होना चाहिये था वह नहीं हुआ है।

यह प्रसन्नता की बात है कि चीनी आक्रमण के कारण विकास योजनाओं को स्थगित नहीं किया गया अपितु प्रतिरक्षा उत्पादन के साथ साथ अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य चलता रहा।

यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में लक्ष्य पूरे नहीं किये गये हैं परन्तु स्थिति असन्तोषजनक नहीं है। हमें सफलताओं को भी देखना चाहिये। रेलवे विकास, सड़क विकास, नौवहन, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में प्रगति लक्ष्य के अनुसार हो रही है और कुछ क्षेत्रों में हम लक्ष्यों से भी आगे बढ़ गये हैं। खराब मौसम के कारण गत दो वर्षों में कृषि उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है। हम उत्पादन के उतार-चढ़ाव कम कर सकते हैं तथा इस मूल्यांकन के पृष्ठ ६९ पर दिया हुआ है कि मौसम के कारण उत्पादन में हुए उतार-चढ़ावों में उत्तरोत्तर कमी होती रही है। मुझे आशा है कि सदस्यों द्वारा सुझाये गये सुधारों तथा कृषि से सम्बद्ध विभिन्न एजेंसियों में अधिक सहयोजन के द्वारा हम भविष्य में कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

यह कहा गया है कि सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाता है परन्तु जहां तक मद्रास तथा केरल का सम्बन्ध है इनका पूर्णतया उपयोग किया गया है। नहरों के बनाये रखने के लिये योजना में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यकरण में कुछ त्रुटियां हैं। योजनायें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहियें और समूचे विकास खण्डों पर एक ही प्रकार की योजना नहीं थोपी जानी चाहिये जैसा कि अब किया जा रहा है।

योजनाओं के लिये संसाधन केन्द्र तथा राज्यों द्वारा उपलब्ध किये जाते हैं। इस बारे में प्रत्येक राज्य की क्षमता ध्यान में रखी जानी चाहिये। पिछड़े हुए राज्य अधिक संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं। हमारी योजना राष्ट्रीय योजना है अतः पिछड़े हुए राज्यों की सहायता की जानी चाहिये ताकि वे अन्य राज्यों के समान हो सकें।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) योजना की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि उसके द्वारा लोगों की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है। मैं खुद एक किसान हूं अतः यह स्वाभाविक है कि मेरे ख्याल भी उनकी ओर ही जायें। देश की ७० प्रतिशत जनता खेती के रोजगार में लगी हुई है। आयोजन का किसानों पर जो प्रभाव हुआ है मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा।

[श्री पु० इ० पटेल]

हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों के अनुसार ३२९.७ रुपये है। फैक्टरी के एक श्रमिक की वार्षिक आय १००० रु० और १५०० रु० के बीच है। कुछ आदमी, जो आय कर देते हैं, राष्ट्रीय आय का सब से बड़ा भाग प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकर की भी औसत आय लगभग १,७००रु० वार्षिक है। परन्तु एक कृषक की कुल वार्षिक आय १८९ रु० है और वह भी १२ १/२ वर्ष के आयोजन के पश्चात्।

आज समाजवाद का नारा लगाया जाता है परन्तु गत १५ वर्षों में किसान की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लगभग ४ करोड़ किसानों के पास पांच एकड़ या उससे भी कम भूमि है। उनकी आय बहुत ही कम है। जब तक किसानों को सस्ते दामों पर उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं नहीं दी जायेंगी उनकी हालत नहीं सुधर सकती। निस्सन्देह आयोजक बुद्धिमान व्यक्ति हैं परन्तु उन्हें कृषि तथा कृषकों की परम्पराओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। यही कारण है कि वे कारखानों, श्रमिकों, इत्यादि की समृद्धि तथा प्रगति के बारे में ही सोच-विचार करते हैं। फैक्टरी श्रमिकों तथा निम्न आय वर्गों के लिये राज्य सहायता से आवास योजनायें बनाई गई हैं परन्तु कृषकों के लिये इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है। इस तरह कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। कहा जाता है कि कृषि उद्योग पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है परन्तु उसकी उपेक्षा की जाती है। आजकल का यह फैशन हो गया है कि हर एक व्यक्ति कृषि की उन्नति के बारे में बातें करता है चाहे उसे कृषि के बारे में कुछ भी ज्ञान न हो।

भूमि सुधार अच्छे हैं परन्तु उनको जिस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है। देश के सामने मुख्य समस्या सहकारी समितियां अथवा सहकारी खेती नहीं है। समस्या यह है कि मौजूदा कृषि प्रणाली के द्वारा अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है। जब तक कृषि उपज की न्यूनतम लाभप्रद कीमतें नियत नहीं की जातीं, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सरकार एसे करने के लिये तैयार नहीं दिखाई पड़ती।

गर्भ निरोध के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो कुछ कहा है ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री उमानाथ** (पुदुकोट्टई) : प्रत्येक राज्य में कुछ अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। सरकार तथा योजना आयोग द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है। मद्रास राज्य में अरणटंगी, पुदुकोट्टई और पूर्वी रामनड बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। वहां पर वर्षा बहुत कम होती है।

श्री खाडिकलकर पीठासीन हुए

ऐसे क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है तथा वे अन्य विकसित क्षेत्रों से बहुत पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों के बारे में प्राथमिकतायें, विकास की गति तथा वित्तीय कार्यक्रम दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होंगे। प्रत्येक राज्य के एसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये था। १९५७ में अशोक मेहता समिति द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई थी। १३ वर्षों के भी योजना आयोग ने एसा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है और न ही इन सर्वेक्षणों को करने के लिये अभिकरण बनाये हैं। योजना आयोग द्वारा इन क्षेत्रों की ओर ध्यान न दिये जाने का परिणाम यह होगा कि ये क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बहुत पिछड़ जायेंगे। यह नहीं है कि राज्य सरकारें इन क्षत्रों के बारे में कुछ नहीं कर रही है परन्तु जब तक एसे क्षेत्रों के बारे में विशेष उपाय न किये जायें इनको अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं लाया जा सकता। मैंने १९६२ के आय-व्ययक सत्र में इस ओर सदन का

ध्यान दिलाया था परन्तु माननीय मन्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया। ७ सितम्बर, १९६२ को मैंने योजना मन्त्री श्री नन्दा को इस बारे में एक स्मरण-पत्र (मेमोरेंडम) पेश किया परन्तु उसका भी अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

इसके विपरीत जब १९६२ के बजट सत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की स्थिति का वर्णन किया तो प्रधान मन्त्री ने योजना आयोग को वहां छानबीन के लिये तुरन्त एक दल भेजने के लिये कहा। मैं यह नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोगों के लिये कुछ नहीं किया जाना चाहिये। वे भी हमारे भाई हैं। उनके लिये सब कुछ किया जाना चाहिये परन्तु अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के साथ भी यही बर्ताव किया जाना चाहिये विशेष कर जबकि हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। मुझे पता है कि माननीय मन्त्री सं वाद-विवाद का उत्तर देते समय भी इस मामले की ओर निर्देश नहीं करेंगे।

संसद् में दिये गये भाषणों की सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती। पिछड़े हुये क्षेत्रों के लोग अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यदि सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया तो वे सार्वजनिक आन्दोलन करने पर मजबूर हो जायेंगे और तभी उनके साथ न्याय किया जायेगा।

श्री अब्दुल गनी गोनी : (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाबेवाला, तीसरे पांचसाला मन्सूबे के मिड-टर्म एप्रेज़ल पर तीन चार रोज़ से बहस हो रही है। जब हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो एक तरफ़ तो दुख होता है कि हमारे प्लान में बहुत सी खामियां रही हैं, बहुत फैल्योर्ज और नाकामायता नाकामयाबियां हुई हैं, लेकिन जब हम आखिर में दिए गए नेशनल डवलपमेंट कौंसिल के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो उससे इन्तहाई खुशी होती है और हमारे दिलों में उम्मीद पैदा होती है। उस स्टेटमेंट में प्लानिंग कमीशन कौम के साथ, मुल्क के साथ, एक वादा करता है कि वह आईन्दा इन खामियों को दूर करके प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा।

जहां तक इस प्लान का ताल्लुक है, इस पर बहुत सी बहसें हुई। जिस तरह एक घर या एक फ़मिली के लिए अपना मकान बनाने में प्लानिंग ज़रूरी है, उसी तरह मुल्क की तरक्की के लिए, देश को बनाने के लिए, हिन्दुस्तान को एक नयी सूरत देने के लिए मन्सूबाबन्दी बहुत ज़रूरी है। हम पहले और दूसरे-पांच-साला मन्सूबे को पूरा कर चुके हैं और अब तीसरे पांच-साला मन्सूब में चल रहे हैं। यकीनी तौर पर हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है और हिन्दुस्तान की जनता आगे बढ रही है। हमें उन इकदामात की तरफ़ से बिल्कुल आंखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए, जो कि प्लानिंग कमीशन या हुकमत ने इस मुलक की बेहतरी के लिए उठाए हैं और जिनमें कामयाबी हासिल हुई है। जहां तक मैं समझता हूं हिन्दुस्तान का एक नया मिज़ाज उभर रहा है, एक नयी तस्वीर उभर रही है, जिसमें नये नये कारखाने खुल रहे हैं और नई नई सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। जहां तक मैं देखता हूं, रियासत जम्मू-काश्मीर में एक बड़ा भारी इन्क्लाब आ रहा है। उस इन्क्लाब को लाने के लिए हिन्दुस्तान में एक मुनासिब वातावरण और एट्मोस्फ़ीयर को मैं ज़रूरी समझता हूं, जिसमें हम ठोस इकदामात उठा सकें।

लेकिन बद-बख्ती से जहां हमको एक तरफ़ पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ़ चीन का सामना करना पड़ रहा है, वहां तीसरी तरफ़ हमको इन्टर्नल डिस-आर्डर का सामना करना पड़ रहा है। पोलीटीकल मोटिव्ज़ को सहारा देने के लिए या पोलीटि-कल एन्ड्ज़ को हासिल करने के लिए हिन्दुस्तान में जो एट्मास्फ़ियर ख़राब किया जाता है, वह प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी रुकावट है। हमको अपने प्लान में कामयाबी तब तक हासिल नहीं हो सकती है, जब तक कि सबके सब लोग उसमें सहयोग न दें। जब तक सब लोग

[श्री अब्दुल गनी गोनी]

हिन्दुस्तान को अपना मुल्क और देश न समझें, अगर हमारी नजर कहीं बाहर लगी हों, तो यकीनी तौर पर हम...

श्री मौर्य : (अलीगढ़) : क्या हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं ?

श्री अब्दुल गनी गोनी : आनरेबल मेम्बर क्यों घबरा गए ? तो यकीनी तौर पर हम इस मुल्क की तामीर में उस तरीके से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जिस तरीके से लेना चाहिए । अभी अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब, फलां तबके की आबादी की औसत जो बढ़ रही है, उससे देश को ख़तरा पैदा हो रहा है । आज हिन्दुस्तान के कुछ लोगों के जहनों में एक एहसासे-कमतरी—या उसको एहसासे-बरतरी कहिए— है । जब तक वे जहन साफ़ न हों, यकीनी तौर पर हिन्दुस्तान में वह वातावरण, वह एटमास्फीयर पैदा नहीं होगा, जो कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूरी होता है ।

जहां तक रियासत जम्मू-काश्मीर का ताल्लुक है, एक तरफ़ हम पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ़ हम चीन का मुकाबला कर रहे हैं और उसके अलावा हमें कई लोगों की फ़िर्का-परस्ती का मुकाबला करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद रियासत जम्मू-काश्मीर ने तरक्की की है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि १९५३ में हमारे यहां स्टुडेंट्स, तुलेवा, की तादाद ६४,००० थी, लेकिन आज इन पिछले दस सालों में वहां पर दो लाख चौंतीस हजार तुलवा हैं, आज इतने तुलवा हमारे स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे हैं । यह जो चीज़ हमारे सामने आ रही है यह दिखलाती है कि एक नई जिन्दगी हिन्दुस्तान में पैदा हो रही है, एक नई कौम हिन्दुस्तान में पैदा हो रही है । यह तभी हो सकता है जबकि हम हर चीज़ पर सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे । हमारी रियासत में जहां हम पहले देखते हैं, महाराजा के जमाने में, १९४७ के पहले, राजशाही में कि कोई कालेज नहीं है, वहां आज कई कालेज हैं, टैक्नीकल कालेज हैं, मैडीकल कालेज हैं, एग्रीकल्चरल कालेज है साइन्स कालेज खुले हुए हैं । यही एक चीज़ है जो कि एक नया नमूना हमारे सामने पेश कर रही है ।

जरूरत इस बात की है कि यह जो प्लान है, इसको आप और हम सब अपनायें । हम समझें कि यह हमरा प्लान है । अगर आप यह समझते हैं कि कुछ विदेशी लोग बैठे हुए हैं प्लानिंग कमिशन में, ये हमारे अपने नहीं हैं इनको कोई परेशानी नहीं है देश की और ये बैठे बैठे अपना वक्त जाया कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इसको चलाने में, इसको इम्प्लेमेंट करने में खामियां रह जायेंगी । खामियां हैं, इसको मैं मानता हूं । लेकिन जब तक देश साथ नहीं है, जब तक सब लोग साथ नहीं हैं, और न ही लोगों ने इसको इम्प्लेमेंट करने में साथ दिया तो यकीनी तौर पर वे इसको उठा कर दूर फेंक देंगे और वे काम करने के लिये तैयार नहीं होंगे जिस के लिये हम ने उनको मुकर्रर किया हुआ है ।

इस प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे फाइनेंसिस हैं, उनमें आप सब से पहले जरूर जायें आप ने प्लान के इंट्रोडक्ट्री चैप्टर में लिखा हुआ है कि कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन की तरफ ध्यान देना है । उन में से एक बनियादी चीज यह है कि देहात के लोग, रूरल एरियाज़ के लोग निगलैक्टिड है और उनको ऊपर उठाना है । रूरल एरियाज़ में सड़कें नहीं हैं, रेलें नहीं हैं, आपकी जो यहां कोठियां हैं, वे वहां नहीं हैं, यहां की तरह से एयर कंडिशंड कमरे नहीं हैं, वहां पर जिस तरह से शहरों में पंके लगे हुए हैं, वे नहीं हैं, उनकी तरफ सब से पहले ध्यान दिया जाना चाहिये । उनके पास बैठने के लिये जगह नहीं है, उनके बच्चों के लिये स्कूल नहीं हैं, उनके बच्चों के इलाज का इंतज़ाम नहीं है, उनका बच्चा एक एक

कुनैन की टिक्की के लिये तड़पता और तरसता है और मर जाता है। ये जो चीजें हैं, इन सब की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

आपका यह प्लान ७५०० करोड़ रुपये का है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप इस रकम में से रूरल एरियाज के लिये क्या दे रहे हैं। जम्मू और काश्मीर को इस में से सिर्फ एक परसेंट मिल रहा है।

उस रियासत को जिस रियासत के बोर्डर्ज डिसटर्ब्ड हैं, जिसकी जनता एक शक्स्सी निज़ाम के तले दबी हुई थी, आप क्या दे रहे हैं उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। नेफा को लीजिये, हिमाचल प्रदेश को लीजिये, नागालैंड को लीजिये। इन इलाकों को खसूसन आपको इमदाद देनी है क्योंकि ये बोर्डर एरियाज हैं। अगर आप बोर्डर एरियाज को मजबूत नहीं करेंगे अहमियत नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर हिन्दुस्तान की हिफाजत नहीं हो सकेगी और हिन्दुस्तान की डिफेंस मजबूत नहीं हो सकेगी। बदकिस्मती से हमारी लापरवाही की वजह से हमारे ये एरियाज कमजोर रहे हैं। ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर इंफिल्ट्रेशन का खतरा है। उन एरियाज को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये, वहां पर डिसैटिसफैक्शन के लिये कोई गुंजाइश नहीं रखी जानी चाहिये, उन लोगों में नाउम्मीदी पैदा नहीं होनी चाहिये, ऐसा एहसास पैदा नहीं होना चाहिये कि मर्कजी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं देखता हूं कि हमारी रियासत को आज तक जो लोन मिला है जम्मू काश्मीर रियासत को सेंट्रल लोन जो मिला है, वह बहुत ज्यादा नहीं मिला है। इसको देख कर दुःख सा होता है कि हम कर क्या रहे हैं। प्रापोगंडा होता है कि काश्मीर पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मेरे पास फिगर्ज हैं। मैं उनको आपके सामने रखता हूं। एंड, आफ मार्च १९६३ तक ६७ करोड़ ३९ लाख रुपये उस रियासत को सेंटर से लोन के तौर पर मिले। उस में से हम ने १४.४० करोड़ रुपये पे कर दिये। इन लोंज पर हम ने जो इंटिरेस्ट पे किया वह ८.७३ करोड़ रुपये था। जहां यह हालत हो, जहां इस तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता हो, इस तरह के इलाकों के साथ, वहां हम यह कह सकते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं; जब तक आप जो बोर्डर एरियाज हैं, जहां पर हमारे मुल्क की सरहदें दूसरे मुल्कों से लगती हैं, जो मुहाज हैं, उनको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक यकीनी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहां तक हमारी सरहदों का ताल्लुक है, हम फख्र के साथ कह सकते हैं और मैं कहूंगा—मैं नहीं जानता हूं कि कुछ आनरेबल मैम्बर्ज कोमन में क्या है — कि काश्मीर में जहां जहां पाकिस्तान ने हमला किया वहां वहां हिन्दुओं और मुसलमानों का खून एक साथ बहा। ब्रिगेडियर उसमान और ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह दोनों ने एक ही जगह पर खून दिया है और दूसरों ने भी दिया। लद्दाख में हमारे सरदार मारे गए हैं, हमारी सरहदों पर लोग मारे गए हैं। वहां पर किसी ने मौका नहीं दिया कि दुश्मन उसको गिरफ्तार करे। गिरफ्तार होने की शर्मिंदगी के बजाय हम मरना बेहतर समझते हैं और यही हम जानते हैं। हजारों आदमी गिरफ्तार हुए हैं कई फ्रांटियरों पर लेकिन लद्दाख पर या जम्मू और काश्मीर में कहीं दूसरी जगह पर एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम गिरफ्तार होने से मौत को तरजीह देते हैं, हम गिरफ्तारी की जिन्दगी बसर नहीं करना जानते हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हम तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि इस तरह के जो एरियाज हैं, उनको हम डिवेलेप नहीं करते हैं। मुझे दुःख होता है यह देख कर कि एक तरफ तो एयर कंडीशंड बिल्डिंज हैं, बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं और दूसरी तरफ एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी में तो सात बच्चे पल रहे हैं और उस कोठी में, साथ वाली में तीन आदमी ही हैं। यह सोशलिस्ट समाज नहीं है जिसकी चर्चा हमारे दोस्त कांग्रेस वाले और दूसरे भी करते हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारा आईन है, जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, उस में जब तक हम तरमीम नहीं

[श्री अब्दुल गनी गोनी]

लाते हैं, राइट टू वर्क गारंटी नहीं करते हैं, जब तक रेडीकली कांस्टीट्यूशन को चेंज नहीं करते हैं तब तक समाजवाद हिन्दुस्तान में हम कायम नहीं कर सकते हैं ।

हम पर बहुत अटैक किया जाता है कि कांस्टीट्यूशन की दफा ३७० रखी हुई है, इसको अलग कर दिया जाय । बदकिस्मती तो यही है कि हमारे ज़हन साफ नहीं है । यह दफा भी इंसान की बनाई हुई है । यह दफा भी है, ३७१ भी है, ३७१ ए भी है जिस में नागालैंड बनाया है । यह जो ३७ दफा है इसका एक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है । ३७० रहे या न रहे, काश्मीर हिन्दुस्तान क० इंटेग्रल पार्ट है और रहेगा । यह बुनियादी चीज़ है, आइनी चीज है । इस ३७० दफा के क्या फायदे हैं, इसको आप देखे । जो एसेंस है उसको आप देखें । हमने वहां पर लैंड टू दि टिल्लर का स्लोगन लगाया था और उसको दे दी है । यहां भी अभी लैंड टू दी टिल्लर की चर्चा हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कांस्टीट्यूशन में रैडिकल चेंज नहीं होगा, जब तक हम बड़े बड़े सरमायेदारों के असर में रहेंगे, तब तक लैंड रिफार्म नहीं हो सकता है । हम ने वहां पर २२ एकड़ या साढ़े बाईस एकड़ की हद मुकर्रर की हर एक इन्सान के लिये और जो इससे ज्यादा ज़मीन थी उसको हम ने स्ट्रेटअवे काश्तकार को दे दिया । हिन्दुस्तान में हमारी सरकार भी सोशलिस्टिक समाज का दावा करती है । अभी कांग्रेस सैशन में भी इसकी चर्चा हुई थी । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आईन इस वक्त है और जब तक इस में तरमीम नहीं की जाती है, तब तक लैंड टू दि टिल्लर आप नहीं दे सकते हैं बिना कम्पेंसेशन के । मैं चाहता हूं कि कम्पेंसेशन के बगैर लैंड टू दी टिल्लर को जाये । आप हद मुकर्रर कर दें, २५ एकड़ की ३० की, ५० की या सौ एकड़ की जितनी भी आप चाहें अगर आप बड़े बड़े ज़मीदारों के हामी हैं तो । लेकिन बाकी जो लेंड है वह स्ट्रेटअवे टू दी टिल्लर को चली जानी चाहिये ।

अभी अभी हमारे दोस्त ने फिगर्ज़ पेश किए हैं जो बड़े बड़े फार्मर्ज़ हैं या जो ज़मीदार हैं, उनके । शायद ए०पी० जैन साहब ने या किसी दूसरे साहब ने कहा है कि एक बड़ा आदमी पांच मन पैदा करता है फी एकड़ । आज के ज़माने में इस को देख कर हैरानी होती है । हमारे यहां एक मुंशी राम टेनेंट है । उसने ८२ मन गल्ला पैदा किया है । आपके बड़े बड़े सरमायेदार लोग .....

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : ८२ मन नहीं निकल सकता है ।

श्री अब्दुल गनी गोनी : मैं सच कह रहा हूं । मैं इसको साबित कर दूंगा । आपको ज़मीन दिखला दूंगा, काश्तकार दिखला दूंगा । गवर्नमेंट ने उसको इनाम दिया है ।

जब तक आप टिल्लर को, किसान को काश्त की मिलकियत का हक नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है । आप लैंड रिफार्म कीजिए । मुझे मालूम है कि कुछ लोग लैंड रिफार्म करो, लैंड रिफार्म करो, यह तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब कदम उठाए जायेंगे तो सब के सब कहना शुरू कर देंगे कि यह क्यों कर रहे हो, कम्पेंसेशन दो । इस वास्ते जब तक कांस्टीट्यूशन में आप रैडिकल चेंज नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा । एक तो यह बहुत जरूरी है ।

दूसरे जो डायरेक्टिव प्रिसिपल्ज़ हैं, इनको एवरोगेट करके उनको फंडामेंटल राइट्स में ट्रांसफर किया जाए ताकि उनके मुताबिक गवर्नमेंट चले । उनको फंडामेंटल राइट्स में जगह दी जाय । आप देखें कि आज जो अनएम्प्लायमेंट की फिगर्ज़ हैं, वे बढ़ती ही जा रही है, पहले प्लान में कम थी दूसरे में ज्यादा हो गई, तीसरे में और ज्यादा हो गईं । अगर खुली ढील रही तो वे बढ़ती ही जायेंगी फिर ये चाहे एजुकेटिड अनएम्प्लाइड की फिगर्ज़ हों या अनएजुकेटिड अनएम्प्लायड की हों । अगर

है,

आप आईन में राइट टू वर्क गारेंटी करेंगे तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट आराम की नींद नहीं सो सकेगी, आफिसर्स जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आराम से नहीं सो सकेंगे, उनको रात दिन काम करना पड़ेगा ताकि जो बाहर हैं बेकार, उनको काम पर लगाया जा सके। हमारा प्लान भी तब ही चलेगा जब कि बुनियादी तौर पर जो कमजोरी हमारे आईन में है, उसको दूर कर दिया जाय। अगर इस तरह की गारेंटी नहीं होगी तो हमेशा की तरह हमारे मिनिस्टर लोग सालाना रिपोर्ट दे दिया करेंगे कि बहुत अफसोस है कि यह शार्टफाल हो गया, वह शार्टफाल हो गया। आज भी यही रिपोर्ट पेश है कि बड़ा अफसोस है कि शार्टफाल हुआ है। यह कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यह कहना कि ये खामियां रह गई हैं, इस वास्ते शार्टफाल हो गया है कोई बड़ी बात नहीं है। शानदार तो तब होता कि जो हमारे टारगेट थे, उन से भी हम आगे बढ़ जाते। तब हम समझते कि हमारी जो हुकूमत है वह सही मानों में रातदिन कोशिश कर रही है। बजाय इस के कि हम शार्टफाल बतलायें, हमें चाहिये था कि हम सर्प्लस रिपोर्ट देते। हम सर्प्लस रिपोर्ट दे दें कि हम ने यह किया। काश्मीर के लिये मैं कहूंगा कि सन् १९५२ में हमारे पास एलेक्ट्रिसिटी की कैपिसिटी सिर्फ ४,००० कीलोवाट थी, लेकिन दस साल के बाद जब हम उस के फिगर पढ़ते हैं कि वह ३१,००० कीलोवाट हो गई है तो दिल खुश हो जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में भी, जहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में जिन के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में जिन के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं, स्टेट्स में जिन के नमाइन्दे बैठे हुए हैं, एक इन्कलाब आ रहा है। यह कहना कि हिन्दुस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, इन्कलाब नहीं हो रहा, यह ठीक नहीं है। यह बेइन्साफी है कि हम लोग उन के साथ इन्साफ न करें जो रात दिन काम कर रहे हैं।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू): यदि योजना की कार्यान्विति में कुछ त्रुटियों के कारण हम लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें आयोजन ही नहीं करना चाहिये था। एक लोकतंत्र में उतनी प्रगति नहीं हो सकती जितनी कि सर्वाधिक खादी देशों में संभव है। क्योंकि हमारा संविधान जनके संविधान से भिन्न है। हमारा संविधान संघीय संविधान है जिसमें राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। तीसरी योजना के अन्तर्गत ८० प्रतिशत परियोजनायें राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं। केन्द्र उन्हें केवल मंत्रणा दे सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का एक कारण यह भी दिया जा सकता है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को बड़े निदेश नहीं दिये जाते और यह ठीक ही है क्योंकि हमारे यहां व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वातन्त्रय को अधिक महत्व दिया जाता है।

योजना के लक्ष्यों में कमी के लिये प्रस्ताव के प्रस्तावक ने जो तीन कारण बताये हैं वे बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इस समय यह बता रही है कि कृषि के क्षेत्र में प्रशासनिक सन्वय का अभाव रहा जबकि १९५८ में श्री स० का० पाटिल, जो उस समय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री थे, ने इस ओर सभा का ध्यान दिलाया था। "अपर्याप्त अग्रिम आयोजन तथा कार्यान्विति का आशावादी कार्यक्रम" का कारण भी युक्तिसंगत नहीं है। क्या सरकार ने गम्भीर रूप से यह सोचा है कि योजना के लक्ष्य आशावादी हैं? क्या इस्पात के उत्पादन में ४० प्रतिशत की वृद्धि अथवा पांच वर्षों में सीमेंट के जत्पादन में ५० लाख टन की वृद्धि आशावादी लक्ष्य हैं?

तीसरा कारण यह दिया गया है कि विदेशी मुद्रा के समय पर न मिलने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। क्या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का यह पहला अवसर था?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूरारका]

योजना बनाते समय यह बात ध्यान में क्यों नहीं रखी गई? जैसा कि योजना आयोग ने मूल्यांकन दस्तावेज़ के पृष्ठ १२४ पर कहा है ऐसा विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण नहीं हुआ अपितु अपर्याप्त आयोजन के कारण ही हुआ है। दो कारण और दिये गये हैं, एक आपातकाल और दूसरा जनसंख्या में वृद्धि। जहां तक जनसंख्या में वृद्धि का प्रश्न है इसमें तीसरी योजना में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है और योजना तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा गया था।

इसके विपरीत आपात की अवस्था में कुछ कारणों से उत्पादन बढ़ गया है। आपात के कारण तो योजना को लाभ ही हुआ, हानि नहीं हुई है। आखिर सोचना यह है कि योजना को उस सीमा तक सफलता क्यों नहीं मिली, जिस हद तक मिलनी चाहिए थी। एक तो यह भी कारण है कि राज्य केन्द्रीय सरकार के आदेशों का तुरन्त पालन नहीं करते। हमारे मुख्य मंत्रियों को कई बार प्रधान मंत्री ने कहा भी है कि वे कृषि का विभाग अपने पास रखें, इस पर भी कई राज्यों में ऐसा नहीं हुआ।

इसका अन्य कारण यह है कि मजूरी और भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। उसके लिए बड़ा समय लगा दिया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि यदि हम योजना का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कार्यवाही शीघ्र करने की व्यवस्था करनी होगी। इन दो कारणों के अतिरिक्त तीसरा कारण यह है कि विशेष कर के औद्योगिक उपक्रमों की व्यवस्था एसे लोगों के हाथ में है जो कि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। प्रशासन कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई गम्भीरता से प्रशिक्षित करने के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

चौथा कारण इस दिशा में असफलता का यह है कि दूसरी और तीसरी योजना के अनुभवों को सामने रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। साधनों के बारे में तो मेरा मत यह है कि सरकार को लक्ष्य अधिक प्राप्त हुआ है। जनता का सहयोग भी मिला है और लोगों ने अतिरिक्त कर भी दिये ११०० करोड़ के स्थान पर अब १९०० करोड़ मिल रहे हैं। अतिरिक्त कर ५०० करोड़ के स्थान पर ६०० करोड़ मिल रहे हैं। पांच वर्षों में ८०० करोड़ कर्जा लेने का लक्ष्य था। ५५० करोड़ तो लिया जा चुका है। लघु बचतों में से ३०० करोड़ लिया जा चुका है। भौतिक लक्ष्य ५० प्रतिशत से अधिक पूरे नहीं हो सके।

माननीय सदस्यों ने कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा है, अतः उद्योगों के बारे में कुछ कहूंगा। औद्योगिक क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी। अब समय आ गया है जब कि कुछ उद्योगों को सहकारी क्षेत्र में भी चालू किया जाय। सरकार को इस दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए और इस काम को करने वालों को उचित अपेक्षित प्रशिक्षण देना चाहिए। खेद की बात है कि इस्पात उद्योग का कार्य काफी धीमा रहा है और इस बारे में जब तक विशेष प्रयत्न नहीं किये जायेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह उर्वरक उद्योग का कार्य बड़ा निराशाजनक है। योजना के तीसरे वर्ष में इसकी क्षमता ३.८६ लाख की होनी चाहिए। २.४० लाख टन का उत्पादन कृषि के लिए उर्वरक बड़ी आवश्यक वस्तु है। इसके भी लक्ष्य पूरे होते दिखाई

नहीं देते। अन्त में मेरा इतना ही कहना है कि जनता के सभी प्रकार के बलिदानों से भी यदि योजना के लक्ष्य पूरे न हो सके तो योजना के बारे में लोगों को काफी निराशा होगी।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मंदसौर) : आज प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से योजना की बात कर रहा है। परन्तु देखना यह होता है कि परिणाम क्या हुआ है। योजना केवल योजना के लिए ही नहीं होनी चाहिए। देखने में आ रहा है कि गत १५ वर्षों में हमारे देश में योजना योजना के लिए ही रही है। हमें तो देखना चाहिए कि देश किस प्रकार प्रगति की ओर बढ़ सकता है। इस दृष्टि से हमें उन समस्त आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए जो कि यहां प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे योजना की असफलताओं का पता चलता है। ८,३०० करोड़ रुपये का खर्चा करके जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वह यह है कि आज देश पहिले की अपेक्षा अधिक गरीब है। आज देश भर में यह स्थिति है कि लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक ठोस तथ्य है कि संविधान के विदेशी तत्वों के बावजूद हमने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है। भूमि सुधारों से भी हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा है। किसान की दशा वैसी की वैसी है। उसे भूमि का स्वामी नहीं बनाया गया है। यद्यपि भूमि सुधारों की बात अवश्य की गयी है। और अब इस के लिए संविधान (१७ वां) संशोधन विधेयक भी आने वाला है। इससे सरकार जिससे जब चाहे और जो भी चाहे ले सकेगी। चाहे उसका मुआवजा दे अथवा न दे। मेरा कहना यह है कि योजना का कार्य ठीक ढंग से नहीं चला है। उत्पादन में कमी हुई है। आवश्यकता की हर चीज़ महंगी हो गयी है। किसी भी प्रकार से जनसाधारण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

और सब बातों को छोड़ मैं रेलवे के विकास की बात करता हूं। अंग्रेज़ के काल में जहां एक वर्ष में ४५ इंजिन तैयार कर दिए गये थे, और जो देश का एक कुशल कारखाना है धीरे धीरे बन्द किया जा रहा है। और अब भी हम बाहर से इंजिन खरीद रहे हैं। देश में इंजिन बनाने का कोई कारखाना नहीं। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में ऐसे कई स्थान हैं, काफी बड़े क्षेत्र हैं, जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। यात्रियों को अब भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दुःख की बात यह है कि हम प्रगति को व्यय की दृष्टि से देखते हैं। केवल व्यय करने से ही तो प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। व्यय का अर्थ अपव्यय भी तो हो सकता है। आज भी कर्मचारियों तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों की दशा शोचनीय है। रेलों की भीड़भाड़ कम नहीं हो पा रही। लोग रेलों की छतों पर बैठ कर यात्रा करते हैं। क्या इस तरह से हम लोगों की दशा सुधार सकेंगे? हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और लोकतंत्र की भावना को पहिचानना होगा।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धरवर उत्तर) : योजना की सफलताओं और कमियों को हमेशा ही स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रखा जाता रहा है ताकि सभी दिशाओं से इस पर रचनात्मक तथा अन्य प्रकार की आलोचना इस पर चलती रहे। इस सदन का यह अधिकार है कि देखे कि जो धन जनता ने दिया था, उसका सद्उपयोग किया गया है कि नहीं। हम लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सोच समझ कर प्रत्येक कार्य में भाग ले। इसीलिए तो उन्हें उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सरोजिनी महिषी]

विकास के लिए सुविधायें देनी जरूरी होती हैं। उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। १३ वर्षों के आयोजन के पश्चात मंत्री महोदय हमें योजना की कमियों और असफलताओं की कहानी सुना रहे हैं। हो सकता है उनके तर्क बहुत ठोस न हों। परन्तु तर्कों से ही तो रोग का उपचार नहीं हो सकता। यह तो ठीक ढंग से कार्य को कार्यान्वित करने से ही होगा। सरकार को अपना बचाव पक्ष ही प्रस्तुत करना चाहिए प्रत्युत पूरे प्रयत्न से योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे इस बात की आशा है कि जो भी आलोचना सदन में सरकार की की जायेगी, उसके कारण वह लक्ष्यों को कम करने का प्रयत्न नहीं करेगी, प्रत्युत उसको प्राप्त करने की दिशा में पूरे कदम उठायेगी। स्वतन्त्र दल के प्रवक्ता की यह बात नहीं मानी जा सकती कि योजना को हटा ही दिया जाय।

योजना आयोग को योजना के निर्माण करते समय भी इस बात का ध्यान था कि किसी न किसी आपति के समय में योजना में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपात से मेरा तात्पर्य चीनी आक्रमण से नहीं है। मैं अन्य साधनों के न मिलने की आपात का उल्लेख कर रही हूं। मेरा निवेदन यह है कि अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को खूब सोच समझ कर बनाना चाहिए। अपने सभी भौतिक साधनों को अपने समक्ष रखना चाहिए। ठीक योजना बने, यह भी लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। हम अपने प्राप्ति के लक्ष्य कुछ नीचे कर सकते हैं, परन्तु ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कृषि जत्पादन में कमी रही है। हमें पता है कि इस देश में ७१ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है और देश की ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय इससे प्राप्त होती है। कई उद्योगों का आधार भी यह है। चीनी, पटसन, इत्यादि तो इसके बिना शून्य के बराबर हैं। हमें इसकी ओर ध्यान देना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों को अपेक्षित सुविधायें दी जायें। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, वह यह कि कृषि के सम्बन्ध में वास्तविक क्षमता और उसके प्रयोग में काफी अन्तर होता है। एक परियोजना के पूरे होने और फिर उन उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाने के बीच बहुत बड़ा अन्तर है।

कृषि उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बात यह ह कि किसानों के दृष्टिकोण में तबदीली लाई जाय। उन्हें कृषि उत्पादन के नये ढंगों और साधनों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो कि कृषि प्रधान हो। कितनी लज्जा की बात है कि हमारा देश जो कि कृषि प्रधान देश है अब भी खाद्यान्नों के बारे में विदेशों पर निर्भर रहे। केवल अनाज के उत्पादन में ही कमी नहीं हुई प्रत्युत रूई, पटसन तथा गन्ने के उत्पादन में भी काफी कमी हुई है। १००० लाख टन के लक्ष्य के तो हम अभी निकट नहीं पहुंचे। हमने लाखों रुपयों की रूई भी विदेशों से आयात की ह। देश के हित की दृष्टि से हमें इन सब बातों पर विचार करना है।

राष्ट्रीय आय २·५ प्रतिशत बढी है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार जनसंख्या १९६६ में ४९२० लाख और १९७१ में ५५५० लाख हो जायेगी। योजना आयोग का यह भी विचार है कि २०वीं शताब्दी के अन्त तक देश के सभी लोगों को पौष्टिक खाद्य प्राप्त नहीं होंगे। यह तो बहुत ही निराशाजनक अनुमान है। वैसे भी अन्य देशों की तुलना में हमारे देश के खाद्यान्नों में पौष्टिक तत्व बहुत कम होते हैं। परन्तु एक तिहाई लोगों को खाना ही ठीक न मिला तो योजना क्या चलेगी।

इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र का ११ प्रतिशत का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। यह ६ और ८ प्रतिशत के बीच में है। इस्पात के लक्ष्यों में भी हम काफी पीछे रह गये हैं। हमारा लक्ष्य १९० लाख टन है परन्तु १९६६ के अन्त तक हम १९७५ तक २८० लाख टन की आशा रख रहे हैं। सरकार को इस्पात के उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से उद्योगों का विकास इसी पर निर्भर करता है। हमने २०० करोड़ रुपये की मशीनरी का उत्पादन किया है, जबकि मांग ५०० करोड़ के लगभग है। आशा है मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में लोग लम्बी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्हें तो समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वे पूंजीगत गहन उद्योगों के बारे में अनुपूरक सिद्ध होंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में कुछ शिकायतें हैं कि उनका प्रबन्ध ठीक नहीं चल रहा। इस बारे में अखबारों में भी चर्चा हुई है। सरकार को इसकी छानबीन करनी चाहिए और वहां का प्रशासन ठीक करना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि योजना आयोग के सदस्यों पर भी किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण होना चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित कर रहा हूं जो कि अब तक बहुत उपेक्षित रही है। वह इण्डस्ट्री है शिपिंग। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जब से हिन्दुस्तान में फर्स्ट प्लैन आरम्भ हुई तब से १३४० करोड़ रु० फारेन एक्सचेंज हम फारेन शिपिंग कम्पनियों को किराया के रूप में दे चुके हैं और १२४ करोड़ रुपया फारेन शिप को खरीदने के लिये फारेन एक्सचेंज के रूप में हम फारेन कण्ट्रीज़ को दे चुके हैं। इस प्रकार १४६४ करोड़ रुपय ११ वर्षों के अन्दर हम लोगों ने फारेन एक्सचेंज के रूप में विदेशों को भेजा है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो यह एक ऐसा अभागा देश है जिस देश से हम लोग १३३ करोड़ रु० प्रतिवर्ष फारेन एक्सचेंज के रूप में विदेशी कम्पनियों को दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में इस अभागे देश की आर्थिक अवस्था कैसे ठीक होगी।

मैं इस सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमरीका से गेहूं लाने के लिये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। ८० करोड़ रु० गहूं लाने का रेट होता है, लेकिन आज एक टन गेहूं भी हम अपने जहाज में नहीं ला सकते। इस ८० करोड़ रु० में से, जो कि हिन्दुस्तान की जेब में जा सकता था, एक कौड़ी, एक छदाम भी हिन्दुस्तान की जेब में नहीं आया। यह तो हमारी अधोगति है।

मैं प्लैनिंग कमीशन के लिये क्या कहूं। सन् १९५२ में जब पहले पहल प्लैन आई उस समय शिपिंग पर जोर दिया गया क्योंकि कहा गया कि शिपिंग सेकेण्ड लाइन आफ डिफेन्स है। इस सिलसिले में करीब करीब १३५ करोड़ रु० हर साल विदेशों को जाता है इसकी हमको तरक्की करनी चाहिये। बावजूद तीन प्लैन्स के हमारा ओवरसीज ट्रेड का परसेन्टेज सिर्फ १२ परसेन्ट है। ओवरसीज ट्रेड में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसका सिर्फ १२ परसेन्ट इंडियन वाटम में लाया जा रहा है। जब थर्ड प्लैन बनी तो इस सदन में मैंने कहा था कि शिपिंग बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि १४ लाख टन का हमारा टार्गेट होना चाहिये। प्लैनिंग कमीशन ने उसे घटा दिया और कहा कि ११ लाख का टागट होगा। फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में इस सिलसिले में २·७५ लाख टन का ऐडीशन हुआ, सेकेण्ड प्लैन में ३·९० लाख टन का ऐडीशन हुआ और थर्ड प्लैन में १ लाख १० हजार टन का ऐडीशन होने की बात है। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता जागरूक थी।

[श्री रघुनाथ सिंह]

हिन्दुस्तान की शिपिंग कम्पनियां जागरूक थीं इसलिये इस १ लाख १० हजार टन का ऐडीशन हुआ। इसको इस तरह से कुल लगभग ६ लाख टन का ऐडीशन हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इस ऐडीशन में हमारी सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। बहुत कम। आप देखिये कि जब हमने फर्स्ट प्लैन शुरू की तो वर्ल्ड के शिपिंग टनेज में हमारा परसेन्टेज .५२ था और आज ११ वर्षों के बाद भी हम बहुत कम खिसके हैं। अब यह परसेन्टेज .६५ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है लेकिन हमारे पास वर्ल्ड टनेज का १ परसेन्ट भी नहीं है जबकि वर्ल्ड को हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का रेशियो १.७५ है। चूंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो १.७५ है इसलिये हमारी शिपिंग का रेशियो भी इतना ही होना चाहिये। हमारा ग्रेड हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। अगर हमको सामान लाना है तो हम अपने जहाज में लायेंगे, नहीं लाना है तो नहीं लायेंगे।

दूसरी तरफ आप देखिये कि जब फर्स्ट प्लैन शुरू हुई तो आपने एक पालिसी ऐडाप्ट की। शिपिंग कम्पनियों को लोन दिया जायेगा। फर्स्ट प्लैन में ढाई परसेन्ट का सिस्टम था लेकिन आज आप तीन परसेन्ट चार्ज करते हैं। शिपिंग कम्पनी को आप सरकार की तरफ से कोई सबसिडी नहीं देते, इनकम टैक्स माफ नहीं है, चीप लोन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शिपिंग ट्रेड हिन्दुस्तान में बढ़ता गया रेट आफ इंटरेस्ट ऊपर होता गया और अब ढाई परसेन्ट से तीन परसेन्ट पर लोन दिया जाने लगा है।

इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं सेकेण्ड शिपयार्ड के बारे में इस सम्बन्ध में कुछ दिनों से कोशिश हो रही थी कि फर्स्ट शिपयार्ड से आगे चलकर सेकेण्ड शिपयार्ड हो, लेकिन मैं शिपिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान ने अब तक १४१ करोड़ रु० के जहाज बाहर से खरीदे, जिसमें से ११० करोड़ रु० प्राइवेट सेक्टर ने दिये और ३० करोड़ रु० जहाज खरीदने के लिये पब्लिक सैक्टर से दिये गये। इस प्रकार से कितना ज्यादा रुपया बाहर चला गया। सन् १९६२ में ११० करोड़ रुपया हमने फारेन एक्सचेंज के रूप में शिप्स खरीदने के लिये दिये लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। इन्वेस्टमेंट यह किया गया कि प्राइवेट सैक्टर को ४७.४५ करोड़ रु० के लोन दिये गये; पब्लिक सैक्टर में ७.२० करोड़ रु० के लोन दिये। अर्थात् आज तक कुल इन्वेस्टमेंट ५४ करोड़ रुपये का है तीनों प्लैन मिलाकर शिपिंग के कंस्ट्रक्शन के लिये किया गया हालांकि हम करीब १५०० करोड़ रु० बाहर भेज चुके हैं। फिर भी थर्ड प्लैन तक ११ वर्षों के अन्दर हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वह शिपिंग सम्बन्धी सब बातों को मिलाकर ६० करोड़ रु० से ज्यादा नहीं हुआ। यह इण्डस्ट्री एक ऐसी चीज थी जिसकी हम तरक्की कर सकते थे। हमें इसको बना सकते थे लेकिन नहीं बना सके। आज दुनिया में १५ करोड़ टन के जहाज हैं, लेकिन उसमें हमारा टनेज क्या है। हमारा कुल टार्गेट ११ लाख टन का था लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कारण बढ़ कर १५ लाख टन हो गया है। हिन्दुस्तान में प्लैन बना कर क्या हुआ। आपके पास सिर्फ एक शिपयार्ड है जिसमें आपने कुल २८ जहाज बनाये तीन प्लैन्स के अन्दर। कुल २९ करोड़ रुपये के जहाज बनाये जबकि विदेशों से आपने लगभग ११० करोड़ रुपये के जहाज लिये और उसको यह रुपया फारेन एक्सचेंज में दिया। इस प्रकार हिन्दुस्तान ने तीन प्लैन्स के अन्दर कुल २०१ जहाज खरीदे, जिसमें से १७३ जहाज विदेशों से आये और बाकी जहाज हमने हिन्दुस्तान से लिये। इस प्रकार भारत १५४ करोड़ रुपया विदेशी कम्पनियों की जेब में चुपचाप रख देता है बिना मुहब्बत के और बिना प्रेम के बल्कि मजबूर होकर।

मैं बताना चाहता हूं कि शिप्स के कांस्ट्रक्शन की क्या अवस्था है। आप एक छोटे से देश यूगोस्लावेकिया का उदाहरण लीजिए। सन् १९५६ में उसके पास कुल २१ हजार टन के जहाज थे। आज उसके पास, दस बरस के बाद, तीन लाख टन के जहाज हैं। जबकि हमारे पास पहली योजना के आरम्भ में ३ लाख टन के जहाज थे और ११ बरस तरक्की करने के बाद टारजेट के अनुसार हम ११ लाख टन के बाहर नहीं जा सकते। छोटा सा मुल्क यूगोस्लावेकिया है। वह हर साल करीब करीब तीन लाख टन के जहाज तैयार करता है और उसकी इकानमी करीब करीब इसी उद्योग पर निर्भर है। हिन्दुस्तान, उस देश से जहाज खरीद रहा है और दुनिया के अन्य देश उससे जहाज खरीद रहे हैं। आप देखें कि यूगोस्लावेकिया ने ४० जहाज इस साल फारिन कंट्रीज को बेचे हैं। कितना रुपया उनके पास इस उद्योग से आता है, इसका अनुमान कीजिए।

रूस का उदाहरण लीजिए। रूस की पोजीशन आज से तीन बरस पहले बहुत अच्छी नहीं थी। रूस का स्थान दुनिया के शिपिंग में ११वां था, हिन्दुस्तान का १९वां था। आज रूस का स्थान आठवां हो गया है, और रूस ने १९८० तक का प्लान बनाया है। उनका प्लान ३ करोड़ जी० आर० टी० के जहाज बनाने का है और वह कम्पिटीशन में आ गया है। अगर उनका एशिया में किसी से कम्पिटीशन होगा तो हिन्दुस्तान से होगा।

हिन्दुस्तान की अवस्था ठीक इससे उल्टी रही है। हमने इस दिशा में ज्यादा तरक्की नहीं की है। हमारी ओवरसीज़ ट्रेड १२ परसेंट से अधिक नहीं हो सकी, जबकि इंटरनेशनल कनवेंशन के अनुसार हमारी ५०परसेंट ओवरसीज़, ट्रेड हमारे साथ में हो सकती थी। मैं कहूंगा कि यह पालिसी ठीक नहीं है।

नार्वे का उदाहरण लीजिए। बहुत छोटा मुल्क है। नार्वे के पास तीन बरस पहले ११ लाख ५८ हजार टन के जहाज थे, आज उसके पास १ करोड़ ३६ लाख टन के जहाज हैं। इन छोटे छोटे मुल्कों ने देखा कि शिपिंग इंडस्ट्री में थोड़ासा भी रुपया इनवेस्ट करने से तरक्की हो सकती है। इसलिए नार्वे, स्वीडन, इटली और यूगोस्लावेकिया जैसे देशों ने इसमें रुपया लगाया और काफी तरक्की की और उनकी इकानमी आज ज्यादातर शिपिंग पर वेस्ड है।

जापान का उदाहरण लीजिए। जापान हमसे आयरन ओर खरीदता है। इटली भी हमसे आयरन ओर खरीदता है। जापान हिन्दुस्तान से आयरन ओर खरीदता है और आज दुनिया का दूसरा मुल्क है जोकि शिपिंग इंडस्ट्री में सब से आगे है। उसके बाद वैस्ट जर्मनी का नम्बर आता है, उसके बाद इटली का नम्बर आता है। हम अपना आयरन ओर दूसरों को दे रहे हैं जबकि हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टील प्लांट है। अभी हमारी बहिन श्रीमती महीषी जी ने कहा कि हम सब से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। मैं कहता हूं कि आप इतना स्टील उत्पादन करते हैं, इसको शिपिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगाते। आखिर इतने स्टील का होगा क्या? आयरन ओर आप एक्सपोर्ट करते हैं। आप अपने जहाज बनाइए। अगर आप जहाज बनायेंगे तो आज जो एशिया और अफ्रीका के बैकवर्ड देश हैं, और जो कि दुनिया के दूसरे देशों से अपने लिए जहाज खरीदते हैं, वे हिन्दुस्तान से जहाज खरीदेंगे। आप इन देशों को टक्सटाइल गुड्स बेचते हैं। आप शिपिंग की इंडस्ट्री को भी अपने यहां बढ़ावें तो आप को बाहर से बहुत ज्यादा आमदनी हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक शिपिंग इंडस्ट्री का सवाल है, उसमें हमारा इनवेस्टमेंट बहुत कम है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

अब मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । प्राइवेट सेक्टर में शिपिंग इंडस्ट्री में कुल २९ करोड़ ५८ लाख और पब्लिक सेक्टर में २५ करोड़ ४६ लाख रुपया हिन्दुस्तान में लगा है । जबकि हर साल आप १३५ करोड़ रुपया विदेशी कम्पनियों को देते हैं फारिन एक्सचेंज के रूप में । इस तरह कैसे इस देश की इकानमी चलेगी । फारिन कम्पनीज जो हमारा सामान लाती हैं वे रुपए में पेमेंट लेने को तैयार नहीं हैं । तो मैं कहता हूं कि इस बारे में हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए ।

जैसा मैंने कहा, पहली योजना में आपने इस उद्योग के लिए ढाई परसेंट पर लोन दिया । इससे शिपिंग की कुछ तरक्की होने लगी, तो आपने ३ परसेंट कर दिया । बढ़ा दिया । कोई सुविधा नहीं दी । इंगलैंड में रेट आफ इंटरेस्ट पौने तीन परसेंट है, हिन्दुस्तान से कम है । वह हिन्दुस्तान से कम रेट पर लोन देते हैं । अमरीका में यह ढाई परसेंट है । और उसके साथ ही साथ वहां सबसिडी भी दी जाती है । जितने दिन तक जहाज समुद्र पर चलता रहेगा उतने दिन तक वह सबसिडी देते हैं । और इसके अलावा अगर जहाज खरीदा जाता है तो अमरीकी कम्पनी से सेंट परसेंट लोन जहाज को मारगेज करके अमरीका की सरकार से ले सकती हैं । अगर आप एक करोड़ का जहाज कोई अमरीकी कम्पनी से खरीदें तो एक करोड़ रुपया अमरीका से आप उस जहाज पर ऋण के रूप में ले सकते हैं । और हमारे यहां अवस्था यह है कि अगर कोई कम्पनी हमारे पास लोन की गारंटी के लिए आती है तो हम उसको तीन तीन चार चार बरस तक रगड़ते हैं । इस कारण कितनी ही कम्पनियां तो फेल हो गयीं । तो मेरा कहना है कि इस पर नई दृष्टि से सरकार को विचार करना है । अगर सरकार नई दृष्टि से विचार नहीं करेगी तो हम इस उद्योग से ज्यादा लाभ न उठा सकेंगे और यह बड़े शर्म की बात होगी ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : कोस्टल ट्रेड तो अपने हाथ में रहनी चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह : वह तो हमारे हाथ में है ही । उस को तो हिन्दुस्तानी जहाज ही करते हैं । लेकिन ओवरसीज में हम बहुत पीछे हैं यह बड़े शर्म की बात है । हम अमरीका से गेहूं लेते हैं और उसके लिए ८० करोड़ रुपया फ्रेट होता है और इसमें से एक छटांक गेहूं भी हम अपने जहाजों में नहीं ला सकते और हम अपने को दुनिया में बड़े गौरव वाला देश कहते हैं । हम दुनिया के अनेक देशों में गए, वहां के लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं ।

आज दुनिया में १९ लाख टन का लेड अप टनेज है । यू० के० के जहाजों के पास काम नहीं है, अमरीका के जहाजों के पास पूरा काम नहीं है । जो बड़े बड़े देश कहे जाते हैं उनके जहाजों के पास पूरा काम नहीं है और उनके जहाज बन्दरगाहों में खड़े हैं । केवल हिन्दुस्तान ही दुनिया में ऐसा मुल्क है कि इसके जितने जहाज हैं सब काम पर लगे हैं, एक दिन के वास्ते भी हमारे जहाज काम बन्द नहीं करते । जब हमारे पास इतना काम है और इस काम से इतना रुपया आ सकता है, तो मैं नहीं समझ सकता कि आप का ध्यान शिपिंग इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं जाता ।

आखिर में मैं पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जहां तक पोर्टस का सवाल है विजिगापट्टम तथा कलकत्ता को देखिए । बहुत ज्यादा जहाज इन पोर्ट्स में जाते हैं । कलकत्ता में विदेशी कम्पनी का कोई जहाज नहीं आना चाहता । उसका आधा माल पहले विजिगापट्टम में उतारा जाता है और जब वह हलका हो जाता है तो कलकत्ता पोर्ट में जाता है । आप को याद

रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान का ४५ परसेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कलकत्ता से होता है । लेकिन जहां किसी विदेशी कम्पनी के जहाज ने सुना कि उसको कलकत्ते पोर्ट में जाना है तो वह कांप उठता है । वहां उनका फ्रेट चार्ज ज्यादा हो जाता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई में, कांदला में और मद्रास में तथा कलकत्ता में मिकेनाइज्ड लोडिंग अन लोडिंग का इन्तिजाम होना चाहिए । अब वह जमाना नहीं है कि जहाजों पर हाथों से माल चढ़ाया जाए या उतारा जाए क्योंकि अगर कोई जहाज एक दिन एक पोर्ट में ज्यादा ठहरता है तो उसे दस हजार रुपया देना पड़ता है । उसको अपने टनेज के अनुसार पैसा देना पड़ता है । और वह आखिर में हमारे ऊपर पड़ता है । इसलिए मैं कहता हूं कि पोर्ट्स की तरक्की की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए ।

और जहां तक सैकिंड शिपयार्ड का सम्बन्ध है, मैंने उसके बारे में बहुत दिन पहले कहा था । आपको याद होगा कि पहले सन् १९५३ में हमने आवाज उठायी थी कि सैकिंड शिपयार्ड होना चाहिए । लेकिन उस पर प्लानिंग कमीशन ने ध्यान नहीं दिया । सैकिंड प्लान में प्लानिंग कमीशन ने एग्री किया और ७५ लाख रुपया इसके लिए रखा गया । ३ नवम्बर, १९५९ को यू० के० से एक मिशन आया और १९६३ में जापान से एक मिशन आया, और तीन चार दिन हुए कि श्री राज बहादुर ने बतलाया कि सन् १९६४ तक हम काम आरम्भ करेंगे और सन् १९६७ में हमारा पहला जहाज तैयार होगा और थर्ड प्लान में इसके लिए दस करोड़ रुपया रखा गया है । तो जैसा मैंने निवेदन किया, १२४ करोड़ रुपया आपने विदेशों से जहाज खरीदने में दे दिया पर इस काम के लिए केवल दस करोड़ रुपया दे रहे हैं । समझ में नहीं आता कि क्या इसकी इकानमी है और क्या इसमें वृद्धि है ।

इसमें सन्देह नहीं कि शिपिंग इंडस्ट्री ने, बावजूद अनेक प्रकार के व्यवधानों के, शिपिंग का जो टारजेट था उससे ढाई बरस में ६ गुना ज्यादा तरक्की किया है । इसका क्रेडिट जनता को और उन कम्पनियों को जो इसमें लगी हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं प्लानिंग कमीशन से कहूंगा कि थोड़ा दूरदर्शिता का परिचय दें, दूरन्देशी का परिचय दें, और यह जो सैकिंड लाइन आफ डिफेंस है इसकी तरफ भी कुछ ख्याल रखें ।

श्री खाडिलकर (खेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष एक स्थिति हमारे देश में पैदा हुई जिसके बारे में काफी उत्तेजना प्रकट हुई और अन्त में हमने चीन का मुकाबला करने के लिए दृढ़-संकल्प किया । चीन का मुकाबला हमें प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियां कर के ही नहीं वरन् देश में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार स्थापित कर के करना था । आज एक वर्ष पश्चात् एक अन्य स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है जब हमें देखना है कि हम किस हद तक अपने दृढ़ संकल्प को कार्यरूप दे सके हैं । क्योंकि, केवल आवेश में आने का कोई लाभ नहीं हुआ करता । जब तक तत्परता दिखा कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक चीन की चुनौती का सामना नहीं कर सकते । यह योजना आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाने का एक प्रयास है ।

योजना की कई प्रकार से आलोचना की गई है । परन्तु यह केवल सिद्धांतों की बात नहीं है । इन बातों का जनता के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है । डा० लोहिया ने कह दिया कि एक आम व्यक्ति की आय ३ आने है परन्तु मैं समझता हूं कि यह ७ आने है । मगर जो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

बातें यहां पर होती हैं, देश की जनता उन्हें सुन ी है, ग्रामीण लोग भी सुनते हैं, जिन पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है। अब समय आ गया है जबकि हमें पुरानी विचारधाराओं का त्याग करना होगा। आज दुर्भाग्य से हमारे देश में दफतरशाही का बोल-बाला है। जब तक लोग अपने उद्देश्यों को समक्ष रख कर बलिदान करने की तैयार नहीं होंगे तब तक हम वर्तमान विकट स्थिति में से छुटकारा नहीं पा सकते। निस्सन्देह, आपात की दृष्टि से, हमारी योजना के लक्ष्य आशा के अनुकूल प्राप्त नहीं हुए हैं।

आयोजन के बारे में मैं समझता हूं कि हमारी योजना बेशक सफल नहीं हुई परन्तु त्रुटियों को दूर करके इसे सफल बनाने का हमें प्रयास करना है। श्री मसानी का कथन, कि आयोजना को त्याग दिया जाये, भ्रमपूर्वक और निस्सार है। श्री मसानी द्वारा अपने कथन के समर्थन में श्री गैलब्रैथ का उद्धरण दिया गया। मैं आप को बताऊंगा कि श्री ग्रैलब्रैथ ने सरकारी उपक्रमों के लिये क्या कहा है: "सरकारी उपक्रमों के साथ आयोजन हो सकता है; बिना सरकारी उपक्रमों के प्रभावयुक्त ढंग से आयोजन नहीं हो सकता।" परन्तु श्री मसानी सरकारी उपक्रमों के बहुत विरुद्ध हैं। मैं समझता हूं कि श्री मसानी अमरीकी विद्वानों को समझने में गलती करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी "आवर इंडिया" और यदि आप आयोजन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस पुस्तक को पढ़ें। आप को मालूम होगा उस को पढ़ने से, कि किस प्रकार एक विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति पतित हो जाता है। उस पुस्तक में श्री मसानी मुख्य उद्योगों को, उन उद्योगों को जिन पर आम लोगों का जीवन निर्भर करता है, जनता अथवा देश के हाथों में रखने का समर्थन करते हैं। परन्तु आज उन की विचारधारा में परिवर्तन आ चुका है। तब वह संघर्ष कर रहे थे और जनता की आवाज़ को समझते थे, और आज वह योजना की आलोचना कर के और सरकार पर कटाक्ष कर के देश की सत्ता प्राप्त करने की चिन्ता में हैं;

कुछ लोगों ने योजना आयोग को नेराश्य दल का नाम दिया है। मैं समझता हूं कि चूंकि हमारे देश के विरोधी दलों को निकट भविष्य में सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिलता दिखाई नहीं देता इसलिये वह गैर जुमेदाराना बातें करते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आयोजन संबंधी प्रयासों पर निष्पक्ष ढंग से विचार किया जाये।

यह देख कर बहुत निराशा होती है कि योजना के किसी क्षेत्र में भी काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं हुआ। आप कृषि को लीजिये। विधान द्वारा भूमि संबंधी तो हमने बदल दिये परन्तु आर्थिक संबंधों में वैसे के वैसे ही हैं। कृषि का ढांचा कैसा हो, रूस और चीन तो इस बारे में एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। परन्तु इस मूल्यांकन में इस विषय में स्पष्टवादिता का अभाव है। स्पष्ट रूप से इस में नहीं बताया गया कि कमी क्यों हुई और उस के लिये उत्तरदायी कौन है।

उर्वरक के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये गये। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि कृषि उत्पादन नहीं बढ़ता तो हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती।

उद्योगों की स्थिति भी यही है। मैं समझता हूं कि इस का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण लाइसेंस देने की नीति है। यदि कोई एकक उत्पादन निश्चित सीमा तक नहीं कर सकता तो उस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।

सामाजिक उद्देश्यों की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया। निस्सन्देह कुछ सड़कें बनाई गई हैं, कुछ स्कूल भी खोले गये हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनसाधारण का अधिक सहयोग प्राप्त किया जाये।

दफ्तरशाही बढ़ती जा रही है। परन्तु देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिये कोई सन्तोषजनक काम नहीं किया गया है।

आज देश में एकता स्थापित करने की जरूरत है। परन्तु हम देखते हैं कि केवल बड़े बड़े शहरों में उद्योग स्थापित किये गये हैं। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब तक हम सारे देश में एक विशेष वातावरण पैदा नहीं कर देते तब तक प्रगति नहीं हो सकती। परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यदि हम चाहते हैं कि देश प्रगति करे तो उद्योगों आदि का संकेन्द्रण नहीं होना चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था की कुन्जी कुछ ही हाथों में है। यदि हम इस संकेन्द्रण को दूर नहीं करेंगे तो देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। योजना को दृढ़ता से कार्यान्वित करना चाहिए। यदि हम इसमें असफल होते हैं तो, साफ-साफ अपनी असफलता को मानना चाहिए।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र का यह सर्वोच्च सदन आज केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यान्तर पर ही विचार विमर्श नहीं कर रहा है बल्कि जैसा-कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था पच्चीस वर्षीय योजना युग के मध्यान्तर पर भी विचार कर रहा है अर्थात् इस योजना युग को स्थापित हुए साढ़े बारह वर्ष समाप्त हो चले हैं। हमने इस अवधि में कितनी उन्नति की है, इसका आज लेखा जोखा हमें करना है। और इसको देखना है। उसके पश्चात् ही कुछ कहा जा सकेगा।

हमारी योजना का लक्ष्य था, या जो तरक्की हमें योजनाकाल में करनी थी, उसका लक्ष्य था भारत को समृद्धशाली यानी सैल्फ सफिशेंट राष्ट्र बना कर संसार के बढ़ते हुए राष्ट्रों के बराबर लाना। अगर मैं देहाती भाषा में कह दूं तो कह सकता हूं कि भुखमरी, बेकारी, पिछड़ेपन को दूर करना। समाज में बढ़ती अराजकता या असमानता तथा अव्यवस्था को दूर करके समाजवादी समाज की रचना करना तथा पूरे राष्ट्र को खुशहाल बनाना। यही लक्ष्य था योजना काल का, और आगे भी रहेगा।

लेकिन हम देखते हैं कि यह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यान्तर पर जब हम तृतीय योजना के लक्ष्यों को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा लक्ष्य था कि खेती की उपज में ३० प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी, उद्योग में ७० प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी, आज ढाई वर्ष के पश्चात भी हमारी यह इच्छा कुछ आशा में परिणत होती हुई नजर नहीं आती है; यदि मैं आदरणीय मंत्री महोदय की इस बात को भी मान लूं कि प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में बढ़ौतरी कम ही नजर आती है अगर हम एक तिहाई मान कर चलें कि इन ढाई वर्षों में एक तिहाई लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिये और दो तिहाई बाकी ढाई वर्षों में पूरा हो जाएगा तब भी वह नहीं हुआ है और न ही बाकी पूरा होने की बाद में आशा बंधती है। एक तिहाई लक्ष्य भी कहां तक पूरा हुआ है इसको आप देखें। जैसा मैंने कहा तृतीय योजना का लक्ष्य था कि खेती की उपज में ३० प्रतिशत, उद्योग में ७० प्रतिशत और राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत की बढ़ौतरी होनी चाहिये। बार बार इस सदन के सामने यह बात आई भी होगी। यह रिपोर्ट भी हमारे सामने है। इसके दूसरे पन्ने पर यह लिखा हुआ है :

> "तृतीय योजना की कालावधि में आर्थिक विकास की गति मन्द रही और राष्ट्रीय आय केवल ५ प्रतिशत ही बढ़ी।"

[श्री मौर्य]

इसी रिपोर्ट के सातवें पन्ने पर थोड़ा सा उसको खोल कर बताया गया है:

"तृतीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में वर्ष १९६१--६३ में राष्ट्रीय आय लगभग २.५ प्रतिशत ही बढ़ी।"

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

इससे जाहिर होता है कि सत्यता क्या है। एक तिहाई अगर मान कर भी चलें कि इन ढाई वर्षों में एक तिहाई लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिये था खेद है यह भी पूरा नहीं हुआ।

अब आप देखें कि कारण क्या हैं। अपने भाषण में मंत्री जी ने बताया है कि बहुत से इसके कारण हैं जिनकी वजह से हम इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाये हैं। संकटकाल को उन्होंने सबसे पहले रखा है। उसके बाद मौसम तथा प्रकृति के प्रकोप की बात उन्होंने कही जिसकी वजह से हमारी उपज खास तौर से खेतीबाड़ी की उपज कम हो जाती है। एक कारण उन्होंने विदेशी मुद्रा का बताया है और कुछ क्षेत्रों में अधिक उन्नति हो गई है, यह भी उन्होंने कहा है मैं नहीं समझता हूं कि एक इकोनोमिस्ट इन बातों से कहां तक लगाव रखता है या रख सकता है। अव्वल तो मैं एमरजेंसी की बात को ज्यादा छूना नहीं चाहता हूं। हां प्रकृति के प्रकोप को बहुत ज्यादा छूऊंगा। आज बीसवीं शताब्दी के भारत के एक मंत्री महोदय इस बात की शरण लें कि प्रकृति का प्रकोप हुआ बारिश नहीं हुई, सूखा हो गया या पानी अधिक बरस गया तो मैं समझता हूं कि वह चौदहवीं शताब्दी की बात ही कहते होंगे उसी शताब्दी में इस तरह की बात कही जा सकती थी। वही राष्ट्र, वही मुल्क जहां पर कि प्रकृति का प्रकोप इससे भी ज्यादा होता है, अफसोस की बात यह है कि हम उन से ही भीख मांग कर खाते हैं। प्रकृति के प्रकोप की शरण आज के जमाने में नहीं ली जा सकती है।

जहां तक एक्सचेंज का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, हमारे एक कम्युनिस्ट मित्र ने बहुत खुल कर इसके बारे में कहा है। इसको मैं अधिक छूना नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन बातों की शरण ले कर आप सत्यता को छिपा नहीं सकते हैं। जहां तक प्रकृति के प्रकोप का सम्बन्ध है क्या मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं हम ऐसी नहरें बनाते जिनसे जब सूखा पड़े ज्यादा से ज्यादा पानी कम से कम पैसों पर किसानों को दिया जा सके? क्यों नहीं हमारी योजना में ऐसी नहरें बनाने की व्यवस्था की गई कि जब अधिक पानी पड़े ज्यादा बारिश हो, तो प्रकृति के प्रकोप को हम बरदान के रूप में ले कर बाढ़ के पानी को समुद्र में ले जा कर डाल दें? यह कोई २१वीं या २२वीं शताब्दी की बात तो नहीं है। इस तरह की बात क्यों नहीं सोची जाती है? हर बार यह कह देने से कि सूखा हो गयी या पानी नहीं बरसा काम नहीं चल सकता है। इस तरह की बात जब की जाती है तो मैं सोचता हूं कि इसका बुद्धि से अधिक लगाव नहीं हो सकता प्लांनिंग से अधिक लगाव नहीं हो सकता मुझे मंत्री महोदय इन शब्दों का प्रयोग करने पर क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

उद्योगों के बारे में भी मैं अधिक नहीं कहूंगा। खेती बाड़ी को ही मैं अधिक लूंगा क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। उद्योगों के बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि १९६१-६२ में केवल ६.८ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि हम दावा करते थे कि १४ प्रतिशत की

बढ़ोतरी होगी। मैं इसके ब्यौरे में जाना नहीं चाहता हूं। इसके बारे में भी कहा जाता है कि कच्चा माल नहीं मिलता : मैं पूछता हूं कि कच्चा माल क्या खुदा देगा। कच्चा माल नहीं मिलता तो क्या इन बातों को आप सामने नहीं रखेंगे? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो उसके लिए कितना समय चाहिये। कारणों में कच्चे माल का न मिलना ईंधन की कमी,, यातायात के साधनों की कमी इत्यादि बताये गये हैं। जब यातायात के साधनों की कमी है तो इसको कौन दूर करेगा, ईंधन की कमी को दूर कौन करेगा? योजना में इन सब को पूरा स्थान क्यों नहीं दिया जाता है। पूरी शक्ति इन कमियों को दूर करने पर क्यों नहीं लगाई जाती। इन कमियों को ला करके अगर हमारे सामने रख दिया जाए और यह कह दिया जाए कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब लगाया जाए? आज अंग्रेज की इस मुल्क पर हकूमत तो है नहीं जिनको दोषी ठहराया जा सकता हो।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ३५३·१ मिलियन वाट की कमी है और ४५५·२ मिलियन वाट की कमी १९६६ में जाकर हो जाएगी। यह कमी बढ़ती ही चली जाएगी। क्या आपने इन कमियों के बारे में कभी सोचा है?

अब मैं खेतीबाड़ी को लेना चाहता हूं क्योंकि अधिक समय नहीं है और अधिक समय तक बोलने की आप मुझे आज्ञा भी नहीं देंगे। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ८५ प्रतिशत लोग इस राष्ट्र के खेती से सम्बन्ध रखते हैं चाहे वे छोटे किसान हैं या बड़े किसान, खेतीहर मजदूर हैं या मौसम में या फसलों पर काम करने वाले मजदूर। ये तमाम लोग मिल कर ८५ प्रतिशत होते हैं जो एग्रिकल्चर से, खेती से सम्बन्ध रखते हैं। क्या हमारी योजना का ८५ प्रतिशत रुपया क्या आपकी ८५ प्रतिशत शक्ति, क्या राष्ट्र के निर्माताओं की ८५ प्रतिशत बुद्धि योजना बनाते समय किसानों की भलाई के लिए या खेती की उपज को बढ़ाने के लिए लगी है? यदि मुझे इसका उत्तर देने को कहा जाए तो वह "न" में ही होगा। १९४९-५० से लेकर १९६०-६१ तक के ग्यारह बरसों के इतने लम्बे समय में खेतीबाड़ी में गल्ले में, खेती से सम्बन्धित जो चीजें हैं, जो उपज है, उनमें केवल ३·८४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। आप यह नहीं कह सकते कि आपने पर एकड़ ज्यादा पैदा किया, है, बल्कि मैं यहां पर कह दूं कि जहां पर आपने जमीनों के साथ बढ़ोतरी लगाई है वहां यह भी लगायें कि २·०८ फी सदी खेती जो थी उससे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। खेती की तादाद, खेती की शक्ति, वह खेत जिस में हल चलता है उसका भी स्कोप ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर उस स्कोप को उसमें से निकाल दिया जाय तो खेती से जो उपज बढ़ी है वह कुल १·४५ फीसदी बढ़ी है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है, क्या यह संकट पैदा करने वाली बात नहीं है। सन् १९६१-६२ के वर्ष में ७९.७ मिलियन टन पैदा हुआ था और सन् १९६२-६३ में ७७·५ मिलियन टन पैदा हुआ। उस में २·२ मिलियन टन की कमी रही। उस वक्त जब कमी को सामने रक्खा गया तो आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। मंत्री महोदय, उस पिता से पूछो जिस का बालक दर्जा पांच में पढ़ता है, और दर्जा पांच में पढ़ते पढ़ते साल के आखिर में उस गरीब पिता को, जिस के ११२ रु० एक साल में खर्च हो गये हैं, मास्टर यह खबर दे कि तुम्हारा बच्चा दर्जा छः में न जा कर दर्जा चार में वापस कर दिया। क्या यह संकट की बात नहीं है, क्या यह हमारे हृदयों को, शोषितों के हृदयों को, मजलूम मजदूरों के हृदयों को शांति हो सकती है।

[श्री मौर्य]

आप अपने मन को कुछ सदस्यों के मन को, कुछ खाते पीते इन्सानों को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन भूखे मरते हुए इन्सानों को, जिनको साढ़े बारह वर्षों में रोजी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, मकान नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, जो खानाबदोश हैं, किसी तरह सांत्वना नहीं मिल सकती।

मैं ज्यादा देर तक आप का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि खेतों का जो ढंग है इस मुल्क का वह कुछ अजीब सा है। अव्वल तो मैं पूछना चाहूंगा आज की सरकार से, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां की खेती का क्या लगाव अमरीका की खेती से है। हमारे यहां के ट्रैक्टर मार्का किसान, हमारे यहां के प्लैनिंग कमिशन के चेयरमैन, हमारे यहां के बड़े बड़े मिनिस्टर, यहां के बड़े बड़े सदस्य, जो कि खेती से सम्बन्ध रखते हैं वह अमरीका जाते हैं। अमरीका मैं भी गया हूं, इस किसान को भी उस अमरीका में जाने का मौका मिला है जहां पर एक किसान के पास एक हजार, दो हजार, तीन हजार और पांच हजार एकड़ जमीन है, जिसको वह अपने ट्रैक्टर के बल पर जोत देता है। हमारी समस्या यह नहीं है कि किस तरह मशीनों के बल पर ज्यादा से ज्यादा हम जोत सकें। हमारा मसला यह है कि एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से पैदा हो। मेरा अपना विश्वास है कि हमारे यहां की सरकार को अगर किसान को भेजना है, अगर मंत्रियों को भेजना है, अगर प्लैनिंग कमिशन के सदस्यों को भेजना है तो अमरीका न भेज कर जापान भेजना चाहिये। हमारी समस्या है कि एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम पैदा करें। इस समस्या का हल हम अमरीका से नहीं सीख सकते। इसका हल जापान से मिलेगा।

इसके बाद मैं दो एक बातें और लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि उन बातों को शायद किसी ने भी न लिया हो। अनएकनामिक होल्डिंग हमारी एक समस्या है। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक किसान मरता है। मान लीजिए कि उसके पास १०० बीघा जमीन है। वह मरता है पांच बच्चों को छोड़ कर। १०० बीघा जमीन पांच बच्चों में बंटी तो एक एक बच्चे के पास २०, २० बीघा रहेगी। उसके बाद उस बच्चे के भी पांच बच्चे हुए, तो फिर बंट कर वह कितनी रह जायेगी। इस तरह से एक दिन होगा जब यह जमीन छोटी छोटी इकाइयों में बंट कर रह जायेगी। आप कहेंगे कि आप कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे। आप उसको लाकर रखते हैं लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग हिन्दुस्तान में सफल नहीं हो सकती। इस पिछड़े हुए मुल्क पर लागू नहीं हो सकती, गरीब मजलूमों पर लागू नहीं हो सकती मजदूरों पर लागू नहीं हो सकती, जो निरक्षर हैं जिनके लिये काला अक्षर भैंस बराबर है उन पर लागू नहीं हो सकती। जहां भाई भाई में कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं चलती वहां दो अलग कौमों में, दो अलग समुदायों के किसानों में कोआपरेटिव फार्मिंग कैसे चलेगी। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अनएकनामिक होल्डिंग दोनों रूपों से हमारे सामने है। एक तो यह कि एक एक किसान पांच पांच बीघे के ऊपर पूरा साल समाप्त करता है और दूसरा यह है कि एक एक किसान जो कि किसान का नाम भी नहीं समझते ठीक तरह से उनके पास आज भी हजारों बीघे जमीन है फार्म के नाम पर, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खास तौर से इन फार्मों को रख रक्खा है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिये। खैर, मैं इसे ज्यादा उठाना नहीं चाहता। लेकिन जब मैं अनएकानामिक होल्डिंग के बारे में कहता हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि कोई बुरा न माने, कोई मुझे गलत न समझे, यहां पर जो मजदूर काम करता है यदि उसके हृदय में इस बात का विश्वास हो जाय कि वह जो पैदा करता है वह उसे मिलेगा, उसकी पत्नी को मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा उसके बच्चों का निर्माण होगा, उसको बढ़ाने के लिये होगा, तो मुझे विश्वास है कि उपज बढ़ाई

जा सकती । आज जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, खेतहीन मजदूर हैं, जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, उन्हें विश्वास नहीं है कि वह जो पैदा करते हैं वह उन्हें मिलेगा, इसलिये जिस खेत में वे हल चलाते हैं वह किसी विशेष व्यक्ति को करार न दे कर सरकार को करार दी जाय, सरकार को करा दी जाय । मैं कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं, कलेक्टिव फार्मिंग में विश्वास करने वाला आदमी हूं । उन खेतों में काम करने वाले जो मजदूर इन्सान हैं, जो शोषित हैं, उनसे कहा जाय कि जहां चाहे खेती करो, जो सुविधा चाहो हम देंगे, जितना भी तुम पैदा करोगे उस का लाभ तुम को पहुंचेगा, बीच के इंटरमीडियरी को नहीं पहुंचेगा। बड़े किसान आज मजदूरी करने वाले, हल चलाने वाले, वहां पर जोतने और बोने वाले, गहाने वाले मजदूर और सरकार के बीच में इंटरमीडियरी बन गए हैं । उन को समाप्त किया जाय । आज हजारों इन्सान नहीं, लाखों इन्सान नहीं, करोड़ों इन्सान भूखों मर रहे हैं, त्राहि त्राहि कर रहे हैं, इसके बावजूद आप की योजनायें उन्हें कुछ दे नहीं पा रही हैं। साढ़े बारह वर्षों में आपने करोड़ों इन्सानों को भूखों मारा है और जो साढ़े बारह वर्ष रह गई हैं उस में भी आप सब को रोटी और कपड़ा नहीं दे पायेंगे, रोजी नहीं दे पायेंगे । पेश्तर इसके कि सब्र का दामन छूटे, पेश्तर इस के कि इस मुल्क के अन्दर बगावत फैले, पेश्तर इसके कि इकबाल की वह जोशभरी शेर सच साबित हो कि :

"जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी,
उस खेत के हर खोशये गंदुम को जला दो ।"

पेश्तर इस के कि मजलूम लोग, मजदूर लोग, भूखे नंगे लोग, सर्वहारा लोग, शोषित लोग बगावत पर उतर आयें, हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिस से सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके,वर्ना मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में बगावत हो सकती है और किसी भी दिन हो सकती है ।

†वित्त मंत्री (श्री ति० तं० कृष्णमाचारी) : पिछले कुछ दिनों से योजना तथा सरकार की बहुत कटु आलोचना की जा रही है, यहां तक कि योजना का रूप ही बिगाड़ देने की कोशिश की गई । यह सौभाग्य की बात है कि आलोचकगण अदक्ष सिद्ध नहीं हुए । उन की अधिकतर आलोचना बेतुकी रही, और योजना उसी तरह आशा और गुणों के साथ हमारे सामने है ।

मेरे मित्र, श्री मसानी, सरल भाषी और चतुर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं । उन में व्यक्तियों के उद्धरण देने की अद्वितीय शक्ति है । उन्होंने श्री गोमुलका का उद्धरण देते हुए कहा कि वह धर्म-परिवर्तक थे ; परन्तु आज नहीं हैं । चाऊ-एन-लाई का भी उन्होंने उद्धरण दिया । हो सकता है कभी वह भी श्री मसानी को खुश करने के लिये बदल जायें ।

सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने योजना के बारे में बहुत निराशा जनक धारणा बनाई जो मैं समझता हूं कि पूर्णतया असमर्थनीय है । परन्तु मैं यह नहीं कहता कि ऐसी धारणा बनाने के लिये पर्याप्त कारण नहीं थे । इसके दो कारण हो सकते हैं उन्होंने इन दो वर्षों को ही समूचा योजना काल समझ लिया और यह न समझा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है । मेरे माननीय मित्रों ने बीज बोया और फिर जमीन को खोद कर देखने लगे कि फल लगा है कि नहीं । यही कारण है कि उन्हें बीज से फूल निकलते दिखाई नहीं दिए । आवश्यकता इस बात को समझने की है कि योजना भविष्य के लिये बनाई गयी है और जो कुछ आज हम देख रहे हैं वह उस भविष्य का एक तुच्छ भाग ही है । साथ ही साथ, हम तृतीय योजना के कुल लक्ष्यों को समक्ष रखकर आज की स्थिति का मूल्यांकन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

कर रहे हैं । एक बच्चा जो कभी कभी १० वर्ष की आयु तक तेजी से नहीं बढ़ता वह २० वर्ष की आयु होने पर ६ फुट, ३ इंच का बड़ा आदमी बन जाता है । यह हम नहीं कह सकते कि वह १० वर्ष की आयु तक क्यों नहीं बढ़ा । यह बात में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । स्वयं मेरे अपने पुत्र के साथ ऐसा हुआ है । हो सकता है कि इस योजना का भी हमें वैसा ही अनुभव हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह भी हो सकता है कि हम ने लक्ष्य कुछ अधिक निर्धारित किये हों । नाईट्रोजन पदार्थ वाले उर्वरक का लक्ष्य ८००,००० टन का हमने निर्धारित किया था । उस समय अभी दूसरी योजना समाप्त नहीं हुई थी । दूसरी योजना के लिये अन्दमान २००,००० टन का था । वास्तव में हम ने केवल इससे आधे उर्वरक का ही उत्पादन किया था । इस लिये यह लक्ष्य बहुत ज्यादा है । इस लक्ष्य को कम करने सम्बन्धी प्रश्न भी उठा था । तब यह निर्णय लिया गया था कि लक्ष्यों को कम न किया जाय और जितना उत्पादन सम्भव हो सके किया जाय । वह उत्पादन चाहे ४००,००० टन हो ५००,००० टन हो अथवा हमारे वर्तमान लक्ष्य बेशक चौथी योजना के दूसरे वर्ष में जा कर पूरे हों । परन्तु योजना के लक्ष्य ८००,००० टन के निर्धारित करके कोई गुनाह नहीं किया गया ।

मैं नम्रतापूर्ण सभा को बताना चाहता हू कि यह जो दस्तावेज़ सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है यह तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन मात्र है । इस में तथ्यों का ठीक ठीक निरूपण किया गया है । इसमें तथ्यों पर परदा नहीं डाला गया है । योजना आयोग ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तथ्यों का ठीक ठीक निरूपण किया है ।

हमें इस बात पर गर्व होता है कि हम स्पष्टवादी हैं और अपनी त्रुटियों की चर्चा भी स्पष्ट रूप से करते हैं । हम में अपनी सफलताओं पर अधिक प्रकाश डालने की प्रवृत्ति नहीं है । आठ वर्ष की बात है कि दूसरी योजना के लिये मैंने ६० लाख टन तक इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया था । उस समय श्री मसानी समझते थे कि २२ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए और उन्होंने मेरे आग्रह को पागलपन बताया था । क्योंकि वह समझते थे कि देश को इतने इस्पात की आवश्यकता नहीं है । परन्तु मैंने अपने नेता को स्पष्ट कर दिया था कि या तो ६० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित होगा या मुझे अपने पद का त्याग करना होगा । मैं चला गया, परन्तु आज इस देश में ६० लाख टन इस्पात का उत्पादन हो रहा है । आप यकीन कीजिये कि यदि आज ६० लाख टन इस्पात का उत्पादन न हो रहा होता तो आप आज ११० अथवा १२० अथवा १८० लाख टन के उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते थे । आज एक सदस्य कह रहे थे कि १८० लाख टन इस्पात का उत्पादन हम चौथी योजना तक भी नहीं कर सकते । हो सकता है हम लक्ष्य प्राप्त न कर सकें । यदि आप कहते हैं कि हम उत्पादन अधिक नहीं कर सके तो मैं अपना दोष मानने के लिये तैयार हूं । परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि इस्पात के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर के मैंने गलती की है । यह नहीं कहा जा सकता कि यह संसाधन देश के हित में नहीं होंगे । आज सारे देश से इस्पात की मांग की जा रही है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि २० लाख टन की हमारे पास पहले ही कमी है । यदि विरोधी दलों के सदस्य, जो हमारे मुकाबले में अधिक बौद्धिक क्षमता का दावा करते हैं, यह कहते हैं कि "इस्पात सम्बन्धी आयोजन करके आपने महत्वपूर्ण गलती की है, अर्थात् आपने २५ प्रतिशत फ्लैट माल और ७५ प्रतिशत

व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले इस्पात का आयोजन किया", तब उन का कहना ठीक था। हो सकता है कि आयोजन ठीक न हो, परन्तु मैं इस बात को पहले ही कैसे देख सकता था कि फ्लैट माल की मांग ४० अथवा ४५ प्रतिशत तक हो जायगी। मैं यह बात पहले नहीं देख सकता था कि हमारे देश में उत्पादन इस गति से होगा कि हम प्रत्येक वर्ष ४० से ५० लाख टन और माल तैयार कर सकेंगे। परन्तु आप की शिकायत यह नहीं है। आप तो मुझे इसलिये दोषी ठहराते हैं कि मैंने इस्पात के उत्पादन की बात सोची। आप तो कहते हैं कि मैं इस्पात की ओर ध्यान देकर उपभोक्ता वस्तुओं की अवहेलना कर रहा हूं। मुझे सन्देह नहीं कि श्री मसानी उद्योगपतियों को संयंत्र स्थापित करने की मंत्रणा देकर एक अच्छा काम कर रहे हैं चूंकि उससे भी योजना को सहायता मिलती है। मेरे मित्र कहते हैं कि मैं इस्पात क्यों उत्पादित करता हूं, कि मैं भारी उद्योगों पर क्यों जोर देता हूं। यदि अमरीका में पीटर्सबर्ग वाले कहते हैं कि भारत में इस्पात का उत्पादन न किया जाय तो मैं उनकी बात समझ सकता हूं क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका माल भारत में आयात किया जाय; परन्तु श्री मसानी जब कहते हैं कि इस्पात का उत्पादन न किया जाय; उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाय, तो मैं उनकी बात नहीं समझ सकता।

सही बात तो यह है कि कुछ उपभोक्ता वस्तुयें भी इस्पात ही से तैयार होती हैं। मोटर कारें, ट्रैक्टर, हल के भाग इस्पात ही से तैयार होते हैं और निर्माण-कार्य के लिये इस्पात और सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये यदि हम कहते हैं कि इस्पात आधार उद्योग है जिस पर अधिक ध्यान देना चाहिए तो यह हमारी गलती नहीं है।

योजना के बारे में कहा गया है कि यह कल्पनामय सोच है; फिजूलखर्ची की गयी है; अत्यधिक हस्तक्षेप हुआ है, कट्टर व्यूहबन्धन है, पुराने सिद्धान्त हैं और कि इससे सारे देश में असन्तोष फैल गया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यह सुझाया गया कि योजना को त्याग दिया जाय। इसका कोई भी भाग रखने के काबिल नहीं समझा गया। मेरे मित्र ने जिन शब्दों का प्रयोग योजना के लिये किया है उनको शब्द-कोष से चुनने में उन्होंने काफी समय लगाया होगा। परन्तु कोई उत्तरदायित्व समझने वाला सदस्य एक ऐसी योजना के लिये इस प्रकार की बात नहीं कर सकता जिसके द्वारा हम देश के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चय ही इस प्रकार की फिजूल की बातों को हम अधिक महत्व नहीं दे सकते।

†**श्री रंगा** : मुझे इसमें सन्देह है।

†**श्री दासप्पा** : व्यर्थ का सन्देह है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी नहीं श्री रंगा प्रोत्साहन दे सकते हैं।

†**श्री रंगा** : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आप मुझे से यह आशा नहीं करते कि प्रत्येक बार जब वह इस बेदर्दी से शब्दों का प्रयोग करें तो मैं बीच में बोलूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम कठोर मार्क्सवादी हैं। निस्सन्देह उसने हमारे नेता को श्रेय दिया है और मुझे भी कुछ मात्रा में श्रेय दिया है यह कह कर कि हममें स्वतंत्र दल की प्रतिभा को आत्मसात करने की क्षमता है। मेरा अनुमान है कि हम जो कुछ कहते हैं वह स्वतंत्र दल की प्रतिभा से कहते हैं।

माननीय सदस्य की इच्छा है कि हम यथार्थवाद का प्रदर्शन करें। मैं विनम्रता-पूर्वक यह दावा करता हूं कि हमने सदा यथार्थवाद का प्रदर्शन किया है। हम कभी किसी उत्साह या नारों में नहीं बहे। यही कारण है कि हमारी आलोचना दो ऐसे दल कर रहे हैं जो एक-दूसरे के सर्वथा विरोधी हैं। उन दोनों को यह घबराहट है कि सत्तारूढ़ दल इतना अधिक यथार्थवादी है कि वह पथ से विचलित नहीं हो सकता। उन्हें क्रोध है कि उन्हें सत्तारूढ़ होने की कोई आशा नहीं है। निसन्देह हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं और एक फालूत खर्च बेटे की तरह उसे स्वीकार कर लेंगे। मैं उस पर और अन्य अनुपस्थित सदस्यों के मामलों पर समय गंवाना नहीं चाहता।

हमारे लिए योजना गंभीर प्रयत्न का विषय है। यह प्रयोग केवल विद्यमान तथ्यों का मूल्यांकन है। अतः हम आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं।

इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने और मेरे दल के सदस्यों ने भी समाजवाद का परिहास किया है। वास्तव में यह समाजवाद ऐसा नहीं कि उसकी लोगों द्वारा प्रशंसा की कामना की जाये। यह हमारे लिए बहुत गंभीर और वास्तविक विषय है। मेरे दल के नेता ने बहुत पहले जब सत्तारूढ़ होने की बात भी उतने न सोची थी तभी यह मार्ग निर्धारित किया था क्योंकि यही एक दर्शन है यही आर्थिक नीति है जिस से दरिद्र लोगों की सहायता हो सकती है। पिछले दिनों एक आगंतुक भारत आया था। उसका देश गैर-सरकारी उद्यम का समर्थक है। उसने मेरे एक मित्र से कहा कि भारत की स्थिति भिन्न है और कि हम किसी का अनुकरण नहीं कर सकते। जब वह बम्बई से रवाना हुआ तो उसने मुझे एक तार भेजा। यह चापलूसी की बात नहीं बल्कि यथार्थ और वास्तविक बात है। उसका कथन है कि इस देश में आने वाले सभी विदेशी अनुभव करते हैं कि जिन आर्थिक लक्ष्यों के लिए हम प्रयत्नशील हैं उनका स्वरूप निर्माण हमने ही किया है।

इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र दल के नेता के दाहिनी ओर बैठे सदस्य हमारी असफलताओं की बात करते हैं और कम्पनियों की रक्षित निधि सम्बन्धी आंकड़ों और मुनाफे के आधार पर यह कहते हैं कि आर्थिक राशि कुछ हाथों में संग्रहीत हो रही है। हम धन संग्रह से अनभिज्ञ नहीं हैं किन्तु भले ही यह देशद्रोह हो किन्तु हमारा विश्वास है कि भले ही धन का संग्रह हो कि कुछ उत्पादन होना अधिक अच्छा है। यदि धन का कहीं संग्रह होगा तो उसे किया जा सकता है। और उसका सदुपयोग किया जा सकता है और उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया जा सकता है। किंतु कुछ उत्पादन न होने से उत्पादन का होना अधिक अच्छा है।

†मूल अंग्रेजी में

चाहे वह उत्पादन कोई भी करे कोई भी उसका उपयोग करता है किन्तु वह विद्यमान तो है। हम इसे बाद में ले लेंगे। हम अनभिज्ञ नहीं हैं। धन की राशि से सभी प्रभावित होते हैं। साम्यवादी भी धन चाहते हैं। बिना धन के वे जी नहीं सकते। जब उत्पादन का परिणाम प्राप्त होगा तभी हम उसका वितरण कर सकेंगे। वित्त मंत्री होने के नाते मैं अंशतः वितरण के प्रयोजन के लिए कर लगाता हूं और यदि धन का उत्पादन ही न हो तो मैं किस से धन प्राप्त करूंगा। मैं धन के कुछ हाथों में संग्रह से चिंतित नहीं हूं बल्कि धन शक्ति के प्रयोग से चिंतित हूं। इस बात के लिए चिंतित हूं कि उसका राजनैतिक प्रयोजन के लिए प्रयोग न हो। यह बताना आपका काम नहीं है कि धन का संग्रह कैसे रोका जाये। योजना और योजना के समाजवादी उद्देश्यों के बारे में हम बहुत उत्सुक हैं। यह अस्थायी स्थिति है। कोई धन पैदा करे मुझे चिंता नहीं है। किन्तु धन पैदा अवश्य होना चाहिये और काम का उत्पादन होना चाहिये। यदि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता है क्योंकि हमें धन के स्तर को समान करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। किन्तु इससे हमारी आर्थिक विकास की योजना के लक्ष्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वितरण गलत होगा तो सरकार को उसमें समानता लाने के लिए कदम उठाना होगा। ऐसा क्यों ? क्योंकि सरकारी उद्योग क्षेत्र का अभी आरम्भ ही हुआ है। सरकारी क्षेत्र को हमने १९५५ में आरम्भ किया था। जून १९५५ में इस्पात कारखाने आरम्भ किये गये थ। माननीय सदस्य हमसे यह आशा नहीं कर सकते कि हम आठ या नौ वर्षों में कोई चमत्कार कर सकते थे अतः साम्यवादी सदस्यों की अधिकांश आलोचना अप्रसांगिक है। किन्तु मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने योजना का समर्थन किया है। वास्तव में योजना और इसके तकनीक के बारे में हर आलोचना का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आलोचना पर आपत्ति नहीं है। किन्तु मुझे इस बात पर आपत्ति है कि योजना का ही विरोध किया जाए और योजना आयोग के सदस्यों पर आरोप लगाये जाएं। किसी ने कहा था कि वे निराशा फैलाने वालों का दल है। मुझे विश्वास है कि उनमें से किसी में भी निराशा नहीं है। वे पूरी योग्यता से काम कर रहे हैं। लोकतंत्रात्मक और संघीय शासन व्यवस्था में आर्थिक योजना की कठिनाइयों को समझने में कुछ कठिनाई होती है। यदि एकतंत्रात्मक राज्य होता और हमने योजना को कार्यान्वित किया होता तो जो भी आलोचना की गई है वह ठीक होती। किन्तु अब तो योजना आयोग एसा संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। योजना के अलावा वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्य सरकारों में परस्पर सम्पर्क पैदा करता है। राज्य सरकारों पर हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन सरकारों के पहले अपने अधिकार है और बाद में वे दलीम सरकारें हैं राज्यों के लोगों के प्रति उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। योजना आयोग बीच की कड़ी है। मैं राज्य के वित्त मंत्री से यह नहीं कह सकता कि उसे अमुक काम नहीं करना चाहिये। योजना आयोग उसे ऐसा कह सकता है। वह कह सकता है अमुक नियत राशि है और उसे इस प्रकार प्रयोग करना है इस लिए उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिये। निस्संदेह यदि अन्ततोगत्वा राज्य सरकारें यह अनुभव करें कि उनका राज्य के लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व है तो वे योजना आयोग के परामर्श की अवहेलना कर सकते हैं। किन्तु फिर वे योजना आयोग से सहायता की आशा नहीं कर सकते। अतः इस प्रकार इस संघीय शासन पद्धति की कठिनाइयों को इस उपयोगी अस्त्र द्वारा दूर करते हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कहा है। क्या हम इससे अनभिज्ञ हैं ? क्या हमें यह दूसरों से जानना होगा कि हमें अमुक बात

[श्री ति० त० कृष्णमचारी]

नहीं कहनी चाहियें क्योंकि लोग उस से नाराज़ हैं ? कभी हम चाहते हैं कि एकमार्गीकरण बढ़ाया जाए और लोगों से कहें—"थोड़े समय के लिए इन वस्तुओं के बगैर गुजारा कीजिए । एक वर्ष के लिए वस्तुएं न खरीदिये । चीनी केवल बच्चों को दीजिए । अन्य लोग एक महीना चीनी न खाएं और उसके बाद चीनी की कोई कमी नहीं होगी ।" किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों में ऐसा प्रभाव पैदा होने की संभावना है कि वे सरकार पर आरोप लगायेंगे । लोकतंत्रात्मक शासन में लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध अधिक देर तक लाभ नहीं किया जा सकता । आप ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए कर सकते हैं । लोगों पर प्रभाव डालने वाली वस्तूओं के प्रति हम सदैव सचेत रहते हैं कि उपभोक्ताओं के बारे में उनकी क्या इच्छाएं हैं । मैं एक कदम आग अपनी व्यक्तिगत स्थिति से यह कहना चाहता हूं कि मैं योजना के मूल उद्देश्यों को अनुभव करता हूं अर्थात् उद्योग के मूल क्षेत्र का निर्माण करना है, और कृषि, संचार, कोयला और विभिन्न बातों पर अधिक खर्च करना है ; और हमें लोगों को जहां तहां कुछ साधारण सुविधाएं भी देनी होंगी ताकि उन्हें कुछ राहत अनुभव हो कुछ समय के लिए सुख का सांस ले सके और कहें कि "आह केन्द्रीय सरकार हमारा ध्यान रखती है वह हमें कुछ सहायता दे रहे हैं ताकि हम आज़ादी से सांस ले सकें।" इससे हम बच नहीं सकते । और विश्वास मानिये कि हम निरंतर कार्यशील हैं और यह पता लगाते रहते हैं कि पीड़ित और जरूरतमन्द लोगों को उन लोगों को बुढ़ापे या यतीमी के कारण सहायता चाहते हैं उन्हें कुछ सहायता दी जाए। कुछ करना चाहिये और यह किया जाएगा । हम इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि श्री मसानी हमें बताएं कि हमारे मूल उत्तरदायित्व क्या हैं । किन्तु इस सब को मुख्य तथ्य में मिलना है जिससे देश प्रगति कर सके ।

माननीय सदस्यों ने इस ओर ठीक ही संकेत किया है कि *अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की* दर के बराबर ही जन संख्या की भी वृद्धि होती जाती है। सरकार इस पर *विशेष ध्यान* दे रही है और निस्संदेह इसे हल करने के लिए हम सभा में सब से सहायता चाहते हैं । वास्तव में हमें जनसंख्या नियोजन के कार्य को गंभीरता से करना चाहिये । मेरे नेता कल जो कहने वाले हैं उसे मैं नहीं कहूंगा । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को यह बताने के लिए स्वयं सेवक मिलने चाहियें कि यदि आप इस प्रकार बच्चे पैदा करते रहेंगे तो हम जो कुछ भी उत्पादन बढ़ायेंगे वह पर्याप्त नहीं होगा ।" वास्तव में जो भी विदेशी देश में आता है और जिसमें मैत्री भाव हैं वह इन बातों की ओर संकेत करता है कि अन्य अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है आप लोगों को कष्ट दे रहे हैं किन्तु हो यह रहा है कि मनुष्य प्राकृतिक प्रवृत्ति तुम्हारे प्रयत्नों को विफल बना रही है । आप मानव को इस प्रवत्ति पर काबू पाने के लिए कैसे कहेंग ? यदि सस्यों ने यह कहा है कि हमने जन संख्या नियोजन के लिए जोरदार आंदोलन नहीं किया तो मैं मानता हूं कि यह अपराध मेरा है । किन्तु यह योजना आयोग का अपराध नहीं है । यह अपराध नीति निर्माताओं का है । हम केन्द्रीय सरकार और मुख्य मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में नीति बनाते हैं । योजना निर्माता नीति नहीं बनाते । आप नीति के बारे में उन पर आरोप क्यों लगाते हैं ?

मैं आलोचना को या काम से कम आलोचना की भावना को स्वीकार करता हूं किन्तु मेरी आपत्ति केवल यही है कि योजना आयोग पर आरोप मत लगायें। यह उचित नहीं है । वे यहां पर नहीं हैं । आप गलत जगह निशाना लगा रहे हैं । हम उसे बदल सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि वे गलती कर रहे हैं। जहां तक योजना के केन्द्रीय पहलू का सम्बन्ध है उसकी सारी जिम्मेदारी

सरकार पर है और इसका आरोप योजना आयोग पर न लगायें। वे सचेत अब से सर्वोत्तम रीति में इस कठिन काम को कर रहे हैं। मैं अपने साथी की अभ्यर्थना करता हूं जिसने आयोग के उपसभापति के रूप में काम करते हुए अपना स्वास्थ्य काफी बिगाड़ लिया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं उनसे असहमत होता था किन्तु उसने और योजना आयोग ने तीसरी योजना बनाने और बाद में देख रेख करने में जो महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिये।

कृषि में विफलता हुई है। यह कहना इतना सुगम है कि श्री रंगा कई प्रकार के किसान रह चुके हैं। किन्तु मुझे पता नहीं कि जन्होंने कभी कुछ पैदा भी किया था? क्या देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिये उनकी प्रशंसा करूं?

कृषि क्षेत्र में पहली दो योजनाओं में हमारे पास १९० लाख एकड़ भूमि में कृषि होती थी। तीसरी योजना में खेती की भूमि २०० लाख एकड़ है। अभी तीसरे वर्ष का अन्त नहीं आया यह उसका लक्ष्य है। पहले तीन वर्षों में छोटी सिंचाई के अपेक्षित संसाधनों में से ७० प्रतिशत से अधिक का प्रयोग किया गया है। बड़ी परियोजनाओं से दो दौरों में २०० लाख एकड़ भूमि में कृषि होने लगेगी। हो सकता है कि चौथी योजना के प्रारम्भ में कुछ परिणाम प्राप्त हो। यदि धन व्यय का महत्व है तो हमने ४०० करोड़ रुपया खर्च किया है।

उर्वरक के विभाग के अलावा उसके प्रयोग का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहली योजना के प्रारम्भ में ५५,००० टन नाइट्रोजन के उर्वरक का उपयोग हुआ था। दस वर्षों में यह २००,००० टन तक बढ़ गया है। १९६३-६४ में यह ४५०,००० टन हो गया है। इसमें कुछ का निस्संदेह आयात किया जाता है। फासफोटिक उर्वक की स्थिति भी इतनी ही अच्छी है।

सहकारी तथा सामुदायिक परियोजना कार्यक्रमों के विफलता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि सामुदायिक विकास परियोजना पहले प्रथम योजना में आरम्भ की गई थी। हमने प्रत्येक राज्य में कुछ क्षेत्र चुनकर कार्य आरम्भ किया, और इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। हर किसी ने यह बताया था कि वह कार्यक्रम सफल रहा है। फिर निकटवर्ती क्षेत्रों से मांग आई थी। तब हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आरम्भ किया था जो सामुदायिक परियोजना जैसा गहन नहीं है किन्तु उसके भी कुछ लाभ हैं। तीसरी योजना में हमने सारे देश में सामुदायिक परियोजना कार्य आरम्भ कर दिया है।

निस्सन्देह सभी परियोजनाएं समान रूप से सफल नहीं हैं। मैं इस वर्ष के आरम्भ में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गया था। वहां ११ सामुदायिक विकास खण्ड हैं जिन्हें पंचायत संघ कहते हैं। उनमें बहुत ही अच्छा है, ५ या ६ मध्य कोटि के हैं और शेष निकृष्ट है। हम इसे असफल नहीं कह सकते क्योंकि आधे काफी अच्छे हैं। यदि शेष आधे संघों में सुधार नहीं हो रहा तो उसका यह कारण है कि स्थानीय नेतृत्व उपलब्ध नहीं है। एक स्थान पर एक धनी व्यक्ति बहुत समय तक नेता रहा जिसने काफी पैसा लोगों पर खर्च किया यहां तक कि जब वह पंचायत का सभापति बना तो—वह अब नहीं रहा—तो उसने कहा "मैं लोगों से बिल्कुल कर वसूल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास काफी संसाधन हैं।" इस प्रकार का व्यक्ति पाना कठिन है। दूसरे स्थानों पर जहां नेतृत्व प्राप्त हो सका कार्य सफल रहा है। एक स्थान पर एक नवयुवक जो ताजा स्नातक था और उसके पास २० या २५ एकड़ भमि थी और वह वहां बसना चाहता था उसने नेतृत्व प्रदान किया और कार्य को बढ़ाया। दूसरे स्थानों पर प्रगति अच्छी नहीं रही।

[श्री ती० त० कृष्णमचारी]

सामुदायिक परियोजनाओं में कुछ कठिनाइयां हैं। उन १३ परियोजनाओं में मैंने सभी ग्राम-सेवकों से भेंट की और उनसे पूछा कि वे कैसे काम करते हैं। क्या उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। क्या गांवों में उन्हें मकान मिल जाते हैं, उनकी शिकायतें उनका परिवार नियोजन आदि के बारे में क्या विचार है। एक ग्राम सेविका ने बताया कि कुछ महिलाओं ने उससे पूछा था कि उसके कितने बच्चे हैं, निस्संदेह एक नवयुवती से यह कहना कि वह जाकर परिवार नियोजन का उपदेश दे गलती है क्योंकि गांवों की बड़ी आयु की महिलाएं उससे स्वभावतः पूछेंगी कि "तुम्हारे कितने बच्चे हैं तुम्हें इस बारे में क्या पता है ?" हमें वयोवृद्ध महिलाओं को भेजना चाहिये जो गांवों में जा कर कह सकें "देखो मेरे तीन बच्चे हैं। मैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मैं इसी से संतुष्ट रहूंगी।" क्योंकि व्यावहारिक उदाहरण से अच्छा कोई उपाय नहीं है।

एक और कठोर तथ्य है। उन्होंने मुझ से पूछा कि "आपका भविष्य क्या है। हम सदा के लिये ग्राम सेविका नहीं रह सकतीं। हमें अध्यापक या परिचारिका का प्रशिक्षण देना चाहिये।" मैं केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी आप जायें आप देखेंगे कि लोगों को इस प्रकार की कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ रही हैं। हमें इन कठिनाइयों को भी देखना चाहिये। किन्तु कठिनाइयों का यह मतलब नहीं कि योजना बुरी है। वास्तव में मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है कि हमें ज़िला केन्द्रों के अस्पतालों में परिचारिका प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये और छात्र-वृत्तियां देनी चाहिये ताकि जो लोग इससे जीविका कमाना चाहते हैं वे इसका लाभ उठा सकें और विवाह कर सकें। उन्हें अवसर देना चाहिये पैकेज डील की भी यही स्थिति है। जो एक अमरीकी वैज्ञानिक १९५८ में भारत आये थे वे अभी हाल में यहां फिर आये थे और उन्हें कहा गया है कि वे पेकेज डील जिलों की देखरेख करें। उसने प्रतिवेदन दिया है कि यह सब काम अच्छा चल रहा है। उनका कथन है कि यद्यपि इसके प्रारम्भ में दों से अधिक वर्ष का विलम्ब हो गया है किन्तु प्रारम्भ के बाद इसका कार्य ठीक चल रहा है। सम्भवतः माननीय सदस्य को निराशा होगी क्योंकि कांग्रेस पेकेज डील में सफल हो गई है।

मैं इसका उल्लेख आपको यह बताने के लिये कर रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में कोई भी निश्चित नियम नहीं बना सकता न ही मैं अपने पूर्व वक्ता का परामर्श स्वीकार कर सकता हूं कि मुझे बाढ़ों को रोकना चाहिये, तूफानों को रोकना चाहिये। मैं चाहता हूं कि नागपनम में ऐसा कर सकता जो मेरे राज्य में है और जहां एक दिन में २० इंच वर्षा होती है।

रूस से भी अधिक सर्वशक्तिमान सरकार भी होती तो भी वह वर्षा को न रोक सकती। बाढ़ें अवश्य आनी ही चाहिये। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि बाढ़ों के बाद लोगों को सहायता दे दें। ऐसा करने के लिये आप योजना आयोग को कह सकते हैं। आप उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं जो असम्भव है। यह उनका काम नहीं। यह मेरा काम है। यदि राज्य सरकारें सहायता चाहें तो मैं सहायता दे सकता हूं और उन्हें सहायता देने की व्यवस्था है। अतः कृषि के मामले में हम पूंजी निवेश और उत्पादन के अनुपात को नहीं ले सकते। हम नहीं कह सकते कि हमने इतने उर्वरक प्रयोग किये हैं अतः उत्पादन इतना होना चाहिये। क्योंकि संभव है कि उर्वरक प्रयोग किये गये हों परन्तु कृषिनाशक ओषधियों का प्रयोग न किया जाय। मेरे राज्य के एक प्रमुख कृषिकार ने मुझे बताया था कि वह कभी कभी अनुभव करता है कि उर्वरक प्रयोग करना अपराध है। कारण पूछने पर उसने बताया कि "मैं तो समृद्ध हूं और मैं उर्वरक प्रयोग करता हूं। फसलें स्वादिष्ट होती हैं और उन्हें कीड़ा लग जाता है अतः कृषिनाशक दवाइयां प्रयोग करता हूं किन्तु कीड़े दूसरे गरीब आदमी के खेत में चले जाते हैं

जिसके पास न उर्वरक है न कृमिनाशक दवाइयां हैं। अतः उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इससे स्पष्ट पता लग जाता है कि कृषि जत्पादन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका ज्ञान यहां दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता बल्कि अनुभव द्वारा हो सकता है। अतः इस समस्या के लिये हमें कठोर प्रयत्न करना है। मेरे मित्र यह जानते हैं कि यदि फिश गनामड का प्रयोग किया जाय तो उपज के लिये तीन वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और यदि इस बीच में मोनसून आ जाय तो सब कुछ घुल जायगा। मैं भी कुछ सुझाव दे सकता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिये। वास्तव में दक्षिण के राज्यों में गोदवारी कृष्णा अथवा कावेरी जैसी नदियों से सिंचाई नहीं होती बल्कि तालाबों से की जाती है। इन तालाबों में रेत भर गया है जो कि तीन वर्षों में ६ या ७ फुट तक बढ़ गया है। उस क्षेत्र में वर्षा और बाढ़ की यह औसत है। ऐसा हुआ कि हमने इन तालाबों से मिट्टी नहीं निकाली। यह बहुत बड़ा काम है। यदि हम कृषि को स्थिर करने के लिये यह काम कर दें तो उत्पादन बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के तिरुनेलवाली जिला में ऐसा हुआ कि वहां कृषि को स्थिर करने के लिये तालाब बनाया गया जिससे दस वर्ष से बंजर पड़ी भूमि में खूब उपज होने लगी। इस प्रकार कृषि सम्बन्धी कार्यों में कई सुधार किए जा सकते हैं। उनका तात्कालिक विचार किया जा सकता है। राज्य सरकारों को यह करना होता है। श्री मुरारका ने सुझाव दिया था कि राज्यों के मुख्य मंत्री कृषि विभाग को अपने हाथ में ले लें। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हो सकता। यदि मुख्य मंत्री कृषि का कार्य संभाल लें तो कुछ भी काम नहीं हो सकता क्योंकि मुख्य मंत्री को अन्य अनेक प्रकार के काम करने होते हैं। कृषि ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिये जो एकत्रित होकर इस की ओर ध्यान दे सके। इस पर एक से अधिक मंत्रियों को ध्यान देना चाहिये। योजना आयोग में भी मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता रहा हूं कि वे कृषि की ओर अधिक ध्यान दें। और अनुसंधान के माप को खेत तक पहुंचाएं। संभवतः अधिक संख्या में कृषि आयुक्त कार्य का खर्च संचलन करेंगे। जिन उपायों का सुझाव दिया गया है वे अच्छे हैं। उनकी जांच की जायगी। और भी उपाय है। कृषि के सम्बन्ध में हमें एक ही बात समझनी चाहिये कि योजना आयोग खेती को बोता नहीं वह निलाई नहीं करता और न सिंचाई करता है। यह काम कई स्थानों पर होता है।

इसके बाद भूमि सम्बन्धी विधान का प्रश्न आता है। इस विषय में हमारे दो अतिवादी दृष्टिकोण हैं। मुझे पता नहीं कि साम्यवादी इस विषय में क्या सोचते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उनके विचार में जोत लाभप्रद होनी चाहिये। मुझे मालूम है कि १९५२ में मेरे राज्य में कुछ साम्यवादी नेता विभिन्न लोगों के पास कागज-पत्र ले जा कर कहा करते थे कि आप यह भूमि ले सकते हैं। अन्ततः जब लोग भूमि पर अधिकार करने गये तो जमींदारों ने उन्हें पीटा। दूसरी बार वे समझ गये कि यह बात व्यर्थ की है और सलिये उन्होंने कांग्रेस को मत दिये।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : उस राज्य के साम्यवादी नेताओं ने कभी भी इस प्रकार के कागज-पत्र नहीं दिये। मैं इस बात का खंडन करता हूं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र इसका खंडन करते रहें। किसानों का तिनिधित्व करने वाले मेरे मित्र भी यहां हैं। वे भूमि सम्बन्धी विधान के विरुद्ध क्यों हैं? एक वर्ग तो यह कहता है कि भूमि सम्बन्धी विधानों को उचित रूप से, पर्याप्त रूप से और संतोषजनक रूप से लागू नहीं किया गया। दूसरे वर्ग के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

लोग कहते हैं कि हम भूमि सम्बन्धी विधान नहीं चाहते। और फिर भी मेरे मित्र किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

भूमि सम्बन्धी विधान के सम्बन्ध में वास्तविक बात यह है कि यह एक विशाल देश है। जापान के समान यहां कोई मैकआर्थर नहीं है जिसने यह हुकुम दे दिया कि एक व्यक्ति को ७ एकड़ भूमि ही मिलेगी। जापान के उत्तरी भाग के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ विभेद कर दिया था और १५ एकड़ भूमि की अनुमति दे दी थी। किन्तु हमारा देश प्रजातंत्र देश है। भूमि सम्बन्धी विधानों में अवश्य ही कुछ कमियां हैं। यह सच है कि जमींदारों ने हम से बाजी मार ली है किन्तु वे हमेशा ऐसा नहीं कर सकेंगे। पूंजीपतियों ने पूंजी जमा कर ली है, अपने हाथों में शक्ति केन्द्रित कर ली है और उनके पास रक्षित धन अधिक है लाभांश भी उन्हें अधिक प्राप्त होते हैं। यह लोग अपनी भूमि अधिक समय तक कब्जे में नहीं रख सकते। कभी न कभी "बेनामीदारों" को समाप्त होना ही पड़ेगा। हो सकता है कि विधान उचित नहीं था। हो सकता है कि श्री नायक ने जिन्होंने १९३९ में नई भूमि अर्जित करने के लिये सीमा निर्धारित कर दी थी, ठीक ही किया था। सी दूरदर्शिता के कारण बम्बई में अन्य राज्यों की अपेक्षा भूमि सुधार अधिक अच्छी प्रकार लागू किये गये। किन्तु यह प्रक्रिया कठिन है। इसका यह अर्थ नहीं कि मूल उद्देश्य और जो पग उठाये जा रहे हैं वे गलत हैं। अन्ततः सदस्यों के भी अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं। वे वहां जाकर कहें कि यह किया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों का अपने राज्यों में काफ़ी प्रभाव है। इसलिये उन्हें अधिक अच्छे भूमि सम्बन्धी विधान और उसको अधिक अच्छी प्रकार लागू करने के सम्बन्ध में हमसे सहयोग करना चाहिये और उन्हें चाहिये कि राज्य सरकारों से जाकर यह बातें कहें। योजना आयोग के पास न तो इस सम्बन्ध में विधान है और न भूमि के स्वामित्व से ही उनका सम्बन्ध है। वे केवल यही कह सकते हैं कि यह करना अधिक अच्छा होगा। जोतने वाले को ही खेत का मालिक होना चाहिये और उसके पास लाभप्रद जोत होना चाहिये।

किन्तु हम अपना कार्य कर रहे हैं। यह हो सकता है कि गत वर्षों की अपेक्षा उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और कृषि क्षेत्र में उत्पादन का मुख्य साधन विद्युत् है। मेरे राज्य में कृषि के लिये विद्युत् का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। १९४७ में मद्रास में संभवत. कुल ११०० ग्रामों में विद्युत् थी अब ११,००० से अधिक ग्रामों में विद्युत् है और हम तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या १८,००० तक पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील हैं। यदि एक राज्य ऐसा कर सकता है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : तीसरी योजना के अन्त तक राजस्थान के सम्बन्ध में लक्ष्य १७,००० में से कुल ५०० रखा गया है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कुछ सीमा तक गलती उन्हीं की है। वे कितनी शक्ति के साथ अपनी मांग यहां सभा के सम्मुख रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उन्होंने संचार पथों आदि के लिये धन की मांग की थी वह उन्हें नहीं दिया गया । तीसरी योजना में वहां का लक्ष्य केवल ५०० गांवों का रखा गया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमचारी :** यह मैं मानता हूं कि यह अत्यन्त असंतोषप्रद है । इसकी जांच की जानी चाहिये । किन्तु कठिनाई यह है कि यदि राजस्थान नहर का कार्य केन्द्रीय परियोजना के रूप में नहीं चलाया गया तो इसमें प्रगति नहीं हो पायेगी । भाखड़ा बांध के निर्माण में २०५ करोड़ रुपये लग गये हैं जिसमें से अधिकतर केन्द्र ने दिये हैं । योजना आयोग की और वित्त मंत्री की ऐसी स्थिति है जैसी १६ बच्चों की मां की होती है । वह किसी को भी दूध देने से इन्कार नहीं कर सकती ।

मैं केन्द्रीय संसाधनों की समस्या सुलझाने के लिये ही प्रयत्नशील हूं । श्री मसानी ने पूछा था "आपने क्या किया है । केवल कर लगा दिये हैं । आप मूल्यों को बढ़ने देते हैं ।" किन्तु क्या बिना करों के कुछ किया जा सकता है । क्या मैं राजस्थान के माननीय सदस्य की मांग को पूरा कर सकता हूं ? मैं समझता हूं कि सब बातों को देखते हुए हमें विद्युत् उत्पादन के विषय में लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है ।

कोयले के सम्बन्ध में भी मैं यही कह सकता हूं । रेलवे की स्थिति काफ़ी अच्छी है । वे १७.५० करोड़ टन बोझा ले जा सकती हैं और हमारे २४०० अतिरिक्त डिब्बे हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम डिब्बे बनाना बन्द कर दें । हमें और अधिक डिब्बों का निर्माण करने का और रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिये । इसलिये मैं गत जून की स्थिति में पड़ने की अपेक्षा जबकि कोयले का समुचित वहन नहीं हो सकता था यह अधिक समझूंगा कि ५०,००० डिब्बे फालतू हों । यदि अधिक धन की भी आवश्यकता हुई तो हम देंगे ।

गत जून में मेरे चीफ ने कोयले के वहन, विद्युत् परिवहन और कुछ अन्य मामलों का कार्य मुझे सौंपा था । मैं यह नहीं कहता कि मैंने कोई विशेष सफलता प्राप्त की है । किन्तु आज हमारे पास कोयले की तंगी नहीं है, कोयला खानों में पड़ा है । २४०० रेलवे डिब्बे भी फालतू हैं । विद्युत् कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य अधिक से अधिक रुपया चाहते हैं । हम प्रायः योजना के थम तीन वर्षों में लिये गये ऋण का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा सुनते हैं । हमने ७९ प्रतिशत ऋण के लिये क्रयादेश दे दिये हैं । ५५-५६ प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है । क्रयादेश दिये जा रहे हैं । सामान आ जायेगा । विद्युत् के सम्बन्ध में जितना धन उपलब्ध था उस सबका उपयोग किया जा चुका है । मैं नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया, योजना आयोग ने ऐसा किया है । सब ने मिल कर यह किया है । रेलवे के वहन और कोयले के उत्पादन के विषय में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं । आप ऐसा पूछ सकते हैं कि और बातों के सम्बन्ध में आप ऐसा क्यों नहीं करते । हो सकता है कुछ त्रुटियां हों ।

हमसे उद्योगों के बारे में भी कहा गया है । उद्योगों के कार्य में शिथिलता है । सके कई कारण हो सकते हैं । मैं स बात को स्वीकार करता हूं कि बिना इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

का पता लगाये कि क्या संबंधित पक्ष लाइसेंसों का उपयोग कर सकते हैं बहुत अधिक लाइसेंस जा ी कर दिये गये हैं। कुछ मामलों में उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल का समुचित अनुमान नहीं लगाया गया।

इसीलिये मैं गत तीन चार महीनों से कह रहा हूं कि हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिये। बाद में जब हमें यह पता चल जाय कि किसके हिस्से में अधिक भाग गया है तो फिर हम उस भाग को कम कर सकते हैं।

इसलिये इस सभा के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि हम आगे बढ़ें। यह कहा गया था कि यह राष्ट्रीय योजना नहीं है। हो सकता है कि वे लोग भारतीय नहीं हों और गलती से इस सभा के सदस्य चुन लिये गये हों। यही एक व्याख्या हो सकती है। यह योजना देश के प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिये है।

दूसरा क्षेत्र शिक्षा का है जिसके लिये हम गर्व कर सकते हैं। हमने प्राथमिक शिक्षा के अथवा उच्चशिक्षा के, हर क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वरन उससे भी आगे बढ़ गये हैं। यह निश्चय ही हमारी सफलता है। क्या इस बात को अस्वीकार किया जा सकता है इस उद्देश्य की प्राप्ति में योजना आयोग सहायक सिद्ध हुआ है अथवा राज्यों ने सहयोग दिया है ?

योजना में जो दोष हैं मैं स्वयं आपको बताता हूं। हमें उद्योगों के लिये पर्याप्त प्रविधिज्ञ उपलब्ध नहीं हो सके। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में मुख्य दोष यह है कि प्रबन्धकों और प्रविधिज्ञों की कमी है, क्योंकि हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिकीकरण की गति के साथ प्रशिक्षण समस्या का भी तालमेल रखना है। इसे उचित रूप से कभी भी समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि हर क्षेत्र की तरह यहां भी मांग अधिक है और साधन कम हैं। इसके संबंध में हम योजना में यह प्रयत्न कर रहे हैं कि संभरण की व्यवस्था मांग से अधिक हो। फिर न मूल्य नियंत्रण का प्रश्न उत्पन्न होगा और न ऊंचे मूल्यों का। मूल्य ऊंचे होने का यही एक मुख्य कारण है। प्रविधिज्ञों के संबंध में भी यही बात है। हमें इंजीनियरों की फोरमेनों की डाक्टरों की नर्सों की सभी की आवश्यकता है। यदि डाक्टर और नर्सें उपलब्ध होती तो मैं आज स्वास्थ संबंधी कोई बड़ी योजना आपके सामने प्रस्तुत कर सकता था। स्वास्थ योजनाओं के संबंध में धन की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी डाक्टरों और नर्सों की। इसलिये विकास में मुख्य रुकावट कर्मचारियों की और प्रशासक आदि उच्च कर्मचारियों का अभाव है।

इन प्रशासकों के बारे में कई कठोर बातें कही गयी हैं। आइ०ए०एस० के नौजवान अधिकारीगण योजना की सफलता के लिए काफी परिश्रम कर रहे हैं और वे योजना के साथ, देश के विकास कार्य के साथ बंध गये हैं। उनमें से अधिकांश को उतना ही वेतन मिलता है जितना हम सदस्यों को लेकिन उनमें कर्तव्य की भावना है। हम ऐसे लोगों को अधिक संख्या में चाहते हैं। योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रबन्धकों की कमी है।

कुछ क्षेत्रों में हम शीघ्र प्रगति इस कारण से नहीं कर सके कि हम उस प्रयोजन के लिए कर्मचारी नहीं तैयार कर सके। आज हमारी असफलता इस कारण हुई है कि हमारे औजार असफल रहे है। योजना का क्षेत्र बराबर बढ़ता जा रहा है और चौथी योजना वर्तमान योजना से कहीं अधिक बड़ी होगी। आज चौथी योजना से ढाई साल पहले ही सरकार चौथी योजना के संबंध में कई बातों पर विचार कर रही है। चौथी योजना बनाते समय उन सभी कठिनाइयों पर ध्यान दिया जायगा जो तीसरी योजना कार्यान्वित करते समय सामने आयी थीं। मैंने विरोधी दलों के सदस्यों की सभी टीका-टिप्पणियों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि १९९९ में भी लगभग १० या १५ प्रतिशत लोग भूखे होंगे। हो सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि या अन्य कारणों से कुछ लोगों को भूखा रहना पड़ा। लेकिन हमारी इच्छा ऐसी नहीं है। हमें आशा है कि १० वर्षों के अन्दर हम स्वयं-स्फूर्त दशा से आगे बढ़ जायेंगे। मैंने सोचा था कि १९५६ में हम स्वयंस्फूर्त दशा में पहुंच चुके थे लेकिन वह सही नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि चौथी योजना के अंत तक हम यह कह सकेंगे कि कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। मेरे एक माननीय मित्र ने रोजगार के बारे में कहा। सच तो यह है कि हर साल लाखों लोग शिक्षित होकर निकलते हैं। यदि शिक्षा बंद कर दी जाये तो अवश्य ही यह बेरोजगारी दूर हो जायगी। बेरोजगारी दूर करने की समस्या केवल वर्तमान समस्या नहीं बल्कि यह भविष्य की भी है। इसलिए हल यही है कि हर कोई कुछ न कुछ उत्पादन करे और कुछ रोजगार उत्पन्न करे। इसलिए अधिकाधिक उद्योग स्थापित करके ही यह समस्या हल हो सकती है। जो लोग धन संचित होने के कारण जनता के कल्याण के विपरीत हानिकारक कार्य करते हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास शक्तियां हैं और उनका इन्तजाम हम कर सकते हैं।

आप योजना को चाहे भला बुरा कहें लेकिन वह बराबर बनी रहेगी। योजना एक सिंह के समान है। यदि हम उस पर से उतर जायेंगे तो वह हमें खा लेगी। इसलिए जब तक योजना जारी रहेगी लोग संतुष्ट रहेंगे क्योंकि योजना के परिणाम प्रकट होते: इसलिए हमें यह योजना बराबर चलाने रहनी होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

पूर्वी रेलवे की लिलुआ वर्कशाप में तालाबन्दी

†**श्री वेंकटासुब्बया**: रेलवे मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार तालाबन्दी २५ नवम्बर से चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तालाबन्दी समाप्त करने और कर्मचारियों द्वारा काम शुरू किए जाने के बारे में कोई कदम उठाये गये हैं।

†**रेल मंत्री (श्री दासप्पा)**: जो लोग मजदूर संघ के प्रतिनिधि मालूम होते हैं उनके साथ प्रशासन बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं। हमारी कठिनाई यह है कि प्रशासन के साथ मामला निबटाने के लिए कोई भी जिम्मेदारी के साथ आगे नहीं आ रहा है। सरकार निराधार कोई आश्वासन नहीं दे सकती, और न ही वहां किसी काल्पनिक प्रस्ताव के संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

में कोई वचन दे सकती है। सरकार तब तक कोई आश्वासन नहीं दे सकती जब तक कि श्रमिक निश्चित रूप से कुछ न कहें। प्रशासन ने २५ तारीख से ही जब कि उसे उस दिन अवैतनिक छुट्टी घोषित करनी पड़ी थी, और उसके बाद भी श्रमिकों को कई अवसर दिये, नोटिसें भी जारी कीं लेकिन किसी ने भी प्रबन्धकों को भली भांति सहयोग नहीं दिया। माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि सरकार की नीति किसी को परेशान करने की नहीं है। जब कर्मचारी हिंसात्मक कार्य या दुर्व्यवहार या उसी तरह दूसरे काम करते हैं तब किसी हद तक अनुशासन बनाये रखना ही पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न पर यथासंभव सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार हूं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है।

मजदूरों के काम के घंटों के बारे में मेरे साथ चर्चा हुई है और मुझे बताया गया है कि इन श्रमिकों ने यह मान लिया है कि वे संकटकाल में बिना कुछ मांगे हुए प्रति सप्ताह ४८ घंटे काम करेंगे। इस समझौते से पहले अनेक रेलवे वर्कशापों में काम के घंटे ४८ से कम थे। इसलिए एक वर्कशाप के संबंध में इस तरह का प्रश्न फिर उठाने से काफी पेचिदगियां पैदा हो जायेंगी और इसलिए लिलुआ वर्कशाप को सामान्य नियम का एक अपवाद बनाना उचित नहीं होगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्याँकन संबंधी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि योजना आयोग ने कुछ नहीं किया है और यह योजना रद्द कर दी जानी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री और कुछ अन्य सदस्यों ने काफी समझाया है कि यह वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना है और वह हमारी योजना है। इसलिए हमारी आलोचना रचनात्मक होनी चाहिये। उसकी कमियों पर चर्चा की जानी चाहिये और सुधार के ऐसे सुझाव दिये जाने चाहिये जिससे योजना को सफलता से कार्यान्वित किया जा सके और योजना के लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

तेरह वर्ष के आयोजन के बाद भी देश में अब भी गरीबी बनी हुई है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। १९४८–४९ की कीमतों के अनुसार १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति आय २९३.४ रुपये थी और १९६१–६२ में वह २९२.७ रुपये थी। इससे यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय घट गयी है जब कि दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

खेती की पैदावार भी कम हो गयी है और यह कमी हमें आयात से पूरी करनी पड़ रही है। १९६२ में हमने ३५८ लाख टन और १९६१ में ३४४ लाख टन अनाज विदेशों से मंगाया। पिछले ११ वर्षों में १४०० करोड़ रुपये से अधिक का अनाज विदेशों से मंगाया गया। दूसरी योजना के पिछले दो वर्षों में १० से ११ प्रतिशत के मुकाबले में

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ में उत्पादन में वृद्धि की औसत दर केवल ७ प्रतिशत थी। यह बड़े दुख की बात है कि खाद्य उत्पादन के मामले में भी हम अब तक आत्म निर्भर नहीं हो सके हैं। खेती पर निर्भर उद्योगों का उत्पादन भी घट गया है। मांग और पूर्त्ति के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू की गई कटौती के कारण चीनी का उत्पादन भी घट गया है।

तीसरी योजना में दिसम्बर, १९६२ तक २,१९६ करोड़ रुपये की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी।

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

†श्री राजे (बुलडाना) : श्रीमन्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, ११ दिसम्बर, १९६३/२० अग्रहायण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३

१९ अग्रहायण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९८५—२००६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७५	मालाबार में हवाई अड्डा	१९८५–८७
४७६	दिल्ली परिवहन	१९८७—९१
४७७	दुग्ध परिरक्षण	१९९१–९२
४७८	गांवों में ऋणग्रस्तता	१९९३—९७
४७९	दूषित मक्खन से घी बनाना	१९९७—२००१
४८०	रूई का उत्पादन	२००१—०३
४८१	चम्बल की कन्दराओं को कृषि योग्य बनाना	२००३—०५
४८३	बिजली की दरें	२००५—०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२००६—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७४	सुपरसानिक कनकार्डस्	१००६–०७
४८२	त्रिपुरा को मिलाने वाली रेलवे लाइन	२००७
४८४	सड़क बोर्ड	२००७–०८
४८५	सहकारी चावल मिलें	२००८
४८६	भारतीय नौवहन समवाय	२००८–०९
४८७	सहकारी क्षेत्र को जर्मनी की सहायता	२००९
४८८	मंगलौर पत्तन	२००९–१०
४८९	आदिम जाति अनुस्थापन विद्यालय, रांची	२०१०
४९०	कृषि उत्पादन	२०१०
४९१	कीटाणु नाशक दवाइयों का प्रचार	२०११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या

४९२ गुड़ के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध . . . २०११

४९३ भारतीय मत्स्य पालन निगम . . . २०११–१२

४९४ रसायन २०१२

४९५ माल भाड़ा दरें . . २०१२–१३

४९६ पर्यटकों से आय २०१३–१४

४९७ धुलेश्वरी नदी में नौपरिवहन २०१४

४९८ कोयलावाहक जहाज "भारत वीर" में आग . २०१४

४९९ एक्सप्रैस लेटर २०१५

५०० आसाम में दूर संचार . . . २०१५

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१३३७ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन . . . २०१६

१३३८ पूर्वोत्तर रेलवे का विद्युतीकरण . . २०१६

१३३९ राजमहल घाट नौका टिकटें . . २०१६–१७

१३४० सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना . . २०१७

१३४१ थजाबूर जिले में "पैकेज प्रोग्राम" . . २०१७

१३४२ सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड २०१८

१३४३ रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का देना . . . २०१८

१३४४ दिल्ली में राजघाट के निकट यमुना पर पुल . . २०१८

१३४५ बख्तियारपुर स्टेशन २०१९

१३४६ पोस्टल सुपरिन्टेंडेंट २०१९

१३४७ मध्य रेलवे पर स्टेशन २०१९–२०

१३४८ चम्बल के समीप भू-कृष्यकरण . . . २०२०

१३४९ मंडेर में टेलीफोन एक्सचेंज . . . २०२०

१३५० लोहार में टेलीफोन २०२०–२१

१३५१ ग्वालियर में स्वचालित टेलीफोन पद्धति . . . २०२१

१३५२ कृषि का विकास . . . २०२१

१३५३ गन्ना पेरना २०२१

१३५४ हिमाचल प्रदेश के डाकघर . . . २०२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३५५	कृषकों को दिया गया ऋण	२०२२–२३
१३५६	लद्दाख में उथापक सिंचाई	२०२३
१३५७	दिल्ली परिवहन द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका को देय राशि	२०२३–२४
१३५८	चूहे पैदा होने को रोकने की योजना	२०२४
१३५९	जिला परिषदें	२०२४–२५
१३६०	बाजरे की खेती	२०२५
१३६१	राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज	२०२५–२६
१३६२	बीज उत्पादन योजना	२०२६
१३६३	चीनी आक्रमण पर साहित्य	२०२६–२७
१३६४	पंचायतीराज सम्बन्धी अध्ययन दल	२०२७
१३६५	लद्दाख में डाक तथा तारघर	२०२८
१३६६	कोटा बूंदी में चीनी की मिल	२०२८
१३६७	दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन	२०२९
१३६८	भारत मंगोलिया टेलीफोन सेवा	२०२९
१३६९	पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को रेल द्वारा मिलाना	२०२९–३०
१३७०	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	२०३०
१३७१	अलाभप्रद फसलें	२०३०–३१
१३७२	बेंतवा पर पुल	२०३१
१३७३	पौधों पर संगीत का प्रभाव	२०३१
१३७४	मैसूर की रेलवे लाइनें	२०३१–३२
१३७५	नौवहन सेवायें	२०३२
१३७६	दक्षिण रेलवे के पंजीबद्ध दावे	२०३२
१३७७	कृषि समितियों को ऋण	२०३२–३३
१३७८	सहकारी चीनी कारखाना	२०३३
१३७९	सस्ता प्रोटीन कारखाना	२०३३
१३८०	आसाम में रेलवे पुल	२०३३–३४
१३८१	त्रिपुरा-आसाम डाक-सेवा	२०३४
१३८२	हवाई अड्डों पर दूरी नापने का उपकरण	२०३४
१३८३	इगतपुरी भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण	२०३४–३५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३८४	वनों का विकास	२०३५
१३८५	उत्तर प्रदेश में रेलवे कर्मचारियों के लिये विद्यालय	२०३५–३६
१३८६	उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन	२०३६
१३८७	छपरा–कचेरी स्टेशन	२०३६
१३८८	अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तार और टेलीफोन सेवायें	२०३७
१३८९	बागबानी का विकास	२०३७
१३९०	डाक तथा तार विभाग द्वारा की गई खरीद	२०३७–३८
१३९१	टेलीप्रिन्टर आपरेटर	२०३८
१३९२	वन अनुसन्धान संस्था द्वारा सर्वेक्षण	२०३८
१३९३	टेलीफोन संयंत्र के लिये विश्व बैंक से ऋण	२०३८–३९
१३९४	चावल का उत्पादन	२०३९
१३९५	विदेशी विद्यार्थियों को यात्रा संबंधी रियायतें	२०४०
१३९६	मत्स्य पालन का विकास	२०४०
१३९७	मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	२०४०–४१
१३९८	टी० टी० ई०	२०४१
१३९९	नेपाल के साथ चावल और धान का व्यापार	२०४१
१४००	महिला समाज शिक्षा संयोजिका	२०४२
१४०१	नैमित्तिक श्रमिक	२०४२
१४०२	डाक के फार्स	२०४२–४३
१४०३	डाक और तारघर	२०४३
१४०४	रेलवे समय सारिणी	२०४४
१४०५	ऊन श्रेणीकरण	२०४४–४५
१४०६	रेलवे पास	२०४५
१४०७	टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण कारखाना	२०४५–४६
१४०८	पंजाब में वनों का विकास	२०४६
१४०९	पंजाब में डाक और तार कर्मचारी	२०४६
१४१०	पंजाब को वित्तीय सहायता	२०४६–४७
१४११	रेलवे दुर्घटना का टलना	[२०४७
१४१२	रेलवे साइडिंग्स	२०४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४१३ नर्मदा नदी पर पुल २०४७–४८
१४१४ डेरी उद्योग का विकास २०४८
१४१५ बस्तर जिले को दिया गया चावल . . . २०४८
१४१६ डाक और तार कर्मचारियों के लिये मकान . . . २०४८–४९
१४१७ कृषि परियोजनाओं के विशेषज्ञों की बैठक . . . २०४९
१४१८ राज्यों के लिये गुड़ का कोटा . . . २०४९–५०
१४१९ फोक्कर फ्रेंडशिप सेवा २०५०–५१
१४२० खाद्यान्नों का आयात २०५१
१४२१ मगंलौर पत्तन २०५१
१४२२ मत्स्य पालन उद्योग २०५२
१४२३ मछली तथा मछली तेल उद्योग २०५२
१४२४ समुद्रीय प्रोद्योगिकी के अध्ययन की संस्था . . . २०५२
१४२५ कार्बनिक खाद २०५३
१४२६ विमान सेवायें २०५३
१४२७ भारतीय रेलों के इंजीनियर २०५३–५४
१४२८ कोचीन पत्तन २०५४
१४२९ भारत और पूर्व जर्मनी के बीच नौवहन सेवा . . २०५४
१४३० मद्रास में डिंडीगुल से गुण्डालूर तक रेलवे लाइन . . २०५४–५५
१४३१ शिकोहाबाद-टूण्डला सेक्शन पर लूट के मामले . . २०५५
१४३२ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन . . २०५५–५६
१४३३ दिल्ली फ्लाइंग क्लब २०५६
१४३४ चीनी की कीमत २०५७
१४३५ हिन्दी सहायक २०५७
१४३६ एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानें . . . २०५८
१४३७ शक्ति चालित हलों का आयात २०५८–५९
१४३८ दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता . २०५९
१४३९ दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों के वेतन . . २०६०
१४४० दिल्ली दुग्ध योजना २०६१
१४४१ आगरा में रेलवे स्टेशन . . २०६१–६२
१४४२ इथिधानक में रेलवे 'हाल्ट' . २०६२
१४४३ दरभंगा—जयनगर रेलवे लाइन . . २०६२
१४४४ साकरी जंक्शन २०६२–६३
१४४५ गदरवाडा और बोहानी के बीच स्टेशन . . . २०६३
१४४६ स्टेशन मास्टरों को रात में काम करने का भत्ता . २०६३–६४

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २०६४–६५

श्री पें० वेंकटासुब्बया ने पूर्वी रेलवे की लिलुआ वर्कशाप में तालाबान्दी और कर्मचारियों को मजूरी न दिये जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . २०६५—२१११

५ दिसम्बर, १९६३ को श्री ब० रा० भगत द्वारा प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २१११

बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

बुधवार, ११ दिसम्बर, १९६३ / २० अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

तीसरी पंचवर्षीय योजन के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1840(Ai)LS—28-1-64